बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

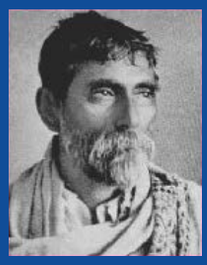

39वां

वार्षिक प्रतिवेदन

2019-2020

भारत के माननीय प्रधानमंत्री

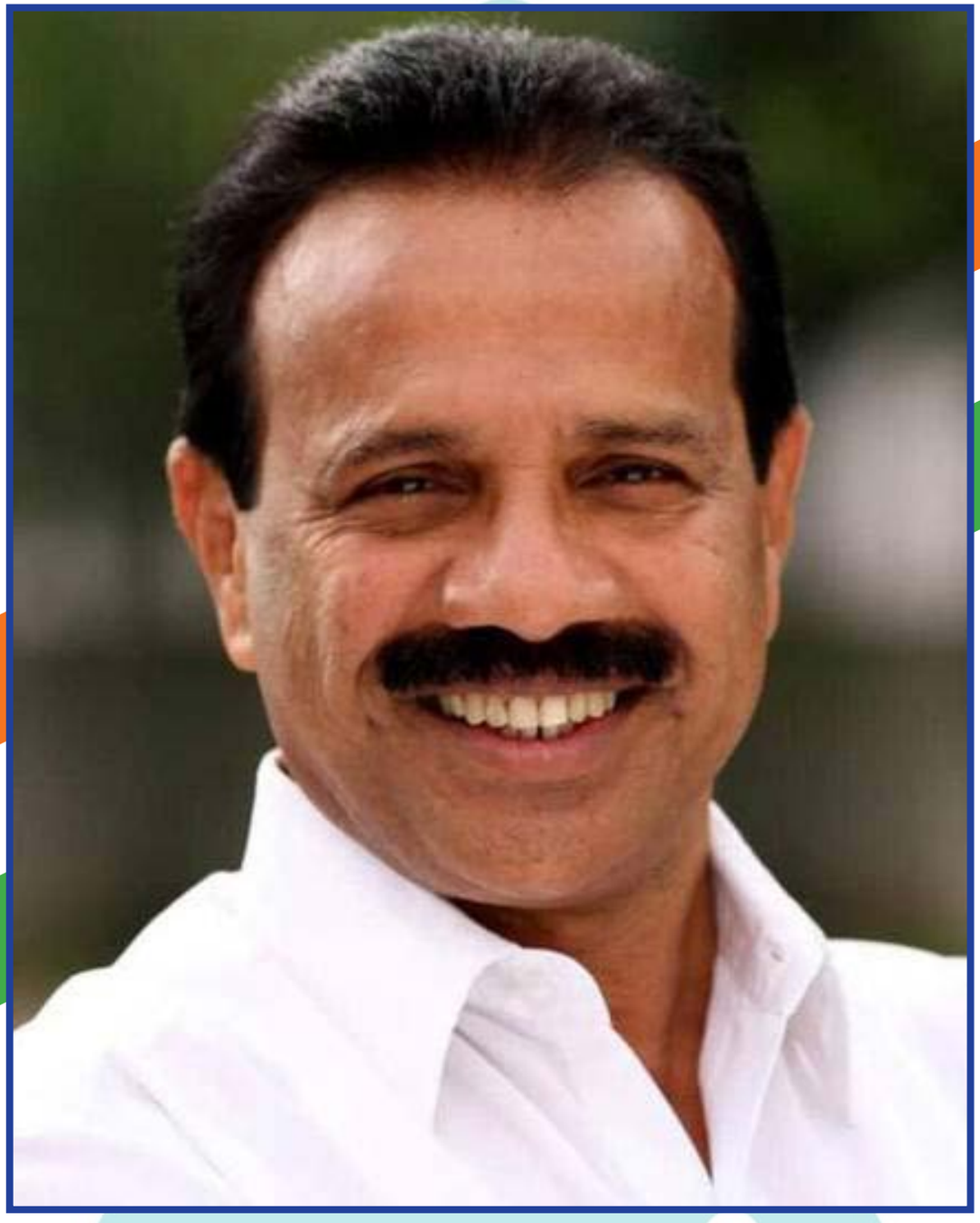

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा

माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री, भारत सरकार

दूरदृष्टि, मिशन और कंपनी के उद्देश्य:

दूरदृष्टि

सभी उपभोक्ताओं की जरूरतानुसार कम कीमतों पर गुणवत्ता चिकित्सा, जीवन रक्षक दवाओं, रसायन और गृह उत्पादों पूर्ति कर एक विश्व स्तरीय सम्मानित संगठन बनना।

मिशन

- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के साथ विनिर्माण हेतु सुविधाएं प्राप्त करना।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हुए, नवाचार और आरएंडडी पहल के साथ उत्पादों की गुणवत्ता में लगातार सुधार करना, जिससे ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाया जा सके।
- सतत विकास के संवर्धन के लिए पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण और ग्रीन पहल के लिए प्रतिबद्ध।
- चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद प्रेरित और प्रतिभाशाली मानव संसाधन विकसित करना।
- सामाजिक रूप से निगमित प्रशासन और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध।
- निवल मूल्य में सुधार लाने के लिए लागत क्षमता को कम रखने की कोशिश।

उद्देश्य

संस्थान अपने दृष्टि/नियोग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्य करेगी:

- मुख्य उत्पाद श्रेणियों में उत्पादों की उच्च गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व के साथ तेजी से विकास करना।
- अनुसंधान एवं विकास और ग्राहक देखभाल के क्षेत्र में निरंतर नवाचार की एक संस्कृति पैदा करना ।
- पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों पर जोर देना जिससे कि संसाधन और अपशिष्ट प्रबंधन के संरक्षण के सतत विकास में अग्रणी होगा। और
- आधुनिक मानव संसाधन प्रबंधन के तरीकों को अपनाकर कर्मचारी संतुष्टि के स्तर में सुधार।

गुणवत्ता नीति

- निर्धारित मानकों के अनुरूप दवाईयों का उत्पादन करना।
- उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण के संचालन के सभी चरणों में गुणवत्ता का रखरखाव।
- उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ावा देना।
- सभी कर्मचारियों की भागीदारी के साथ, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता में लगातार सुधार करना।

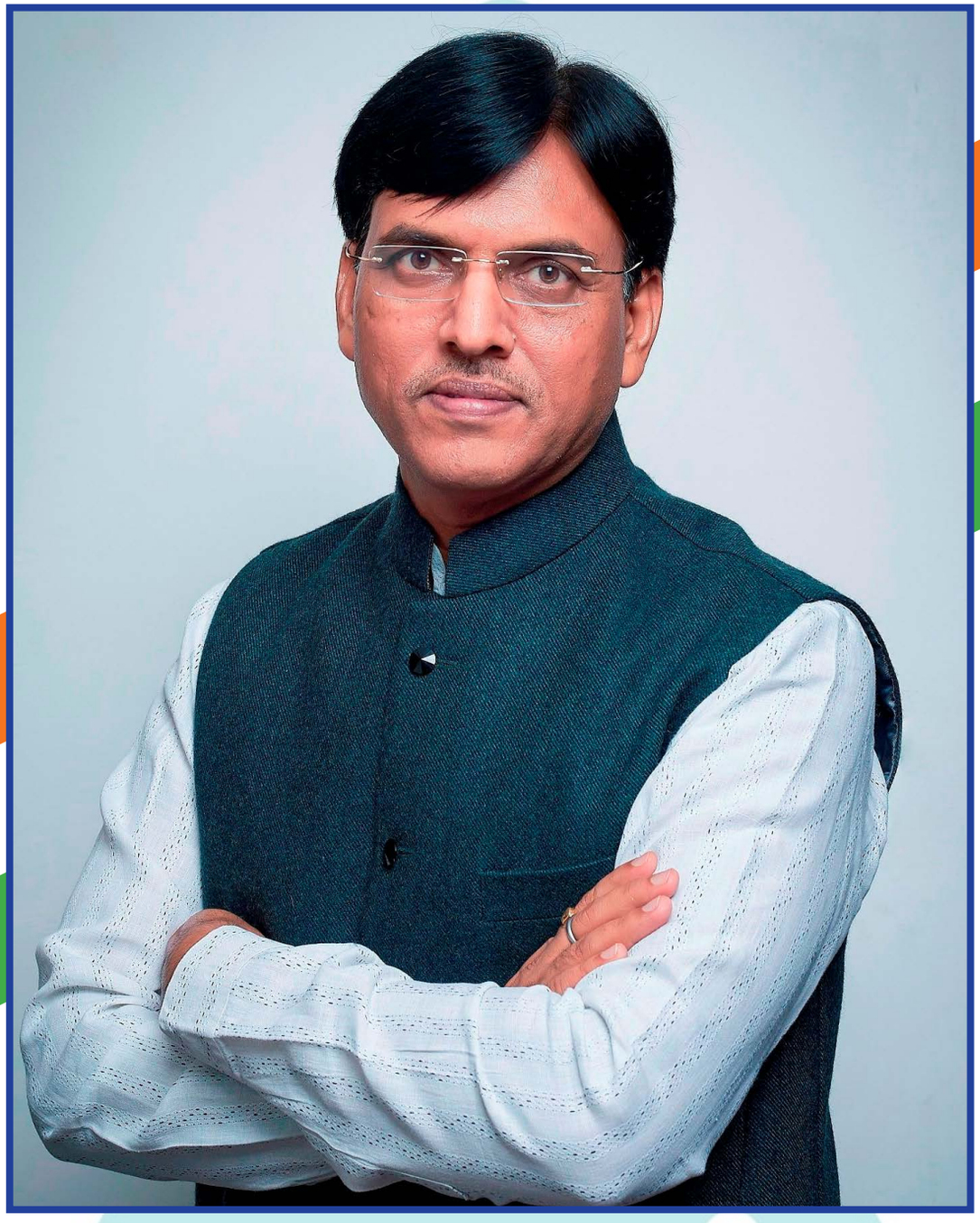

श्री मनसुख मांडविया

माननीय राज्य मंत्री पोत परिवहन (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

बीसीपीएल बड़ा सोचो

उत्पाद प्रोफाइल

प्रभाग I	प्रभाग -II		प्रभाग -III		
ओद्योगिक रसायन	फार्मा- जेनेरिक	फार्म- ब्रांडेड	डिसइन्फेक्टेंट	हेयर आयल	अन्य उत्पाद
• एल्म • ब्लीचिंग पाउडर	• टेबलेट • कैप्सूल • इंजेक्टेबल • ऑइंटमेंट • लिक्विड एक्सटर्नल-लिक्विड • एएसवीएस	• एक्वा सायिकोटिस • कालमेघ • यूथेरिया • बेनफ्लेम	• फिनॉल • वाइट टाइगर • क्लीन टॉयलेट • लिजोल	• कैंथाराईडिन हेयर आयल	• नैप्थालीनबॉल्स • लिक्विड सोप • अगुरु इत्र

डॉ. पी.डी. वाघेला, आईएएस

सचिव, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार

हमारे लेखा परीक्षक तथा बैंकर्स

वैधानिक लेखा परीक्षक
मैसर्स एम चौधरी एंड क०

लागत लेखा परीक्षक
मैसर्स सत्याब्रता दासगुप्ता एंड क०

बैंकर्स
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
भारतीय स्टेट बैंक

पंजीकृत कार्यालय
6 गणेश चन्द्र एवेन्यू,
कोलकाता 700013

ईमेल आईडी : bcplmdsecrtariat@gmail.com
वेबसाइट: www.bengalchemicals.co.in
कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नं: 24299WB1981GOI033489

श्री रजनीश टिंगल

सयुंक्त सचिव औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार

39वें वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 की विषय-वस्तु

विषय-सूची	पृष्ठ सं.
निदेशक मंडल	1
हमारे कार्यालय, कारखाने एवं डिपो	2
अध्यक्ष का संदेश	3-6
39वीं वार्षिक आम सभा की सूचना	7-11
वित्तीय विशिष्टताएं तथा ग्राफ	12-17
रिपोर्ट:	
निदेशकों की रिपोर्ट	18-37
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	38-47
कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	48-62
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता विकास रिपोर्ट	63-64
मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाणन	65
फॉर्म सं. AOC-2	66
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	67-96
वित्तीय विवरण:	
तुलन पत्र	97
लाभ तथा हानि खाता विवरण	98
रोकड़ प्रवाह विवरण	99-100
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	101-109
खातों पर नोट	110-127

निदेशक मंडल

पी एम चन्द्रया
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार),
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रवीण कुमार
अंशकालिक शासकीय निदेशक
(सरकार नामित निदेशक)
(10 जून 2020 से प्रभावी)

एस. के. रॉय चौधरी
अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक
(स्वतंत्र निदेशक)
(08/08/2019 तक)

जितेन्द्र त्रिवेदी
अंशकालिक शासकीय निदेशक
(सरकार नामित निदेशक)
(05/06/2020 तक)

हमारे कार्यालय:

पंजीकृत कार्यालय/ कॉर्पोरेट कार्यालय:
6, गणेश चन्द्र एवेन्यू, कोलकाता-700013
दूरभाष सं. (033)2237-1525/1526; फैक्स: (033) 2225-7697
वेबसाइट: www.bengalchemicals.co.in ; ई-मेल :bcplmdsecretariat@gmail.com

हमारे कारखाने:

मानिकतल्ला फैक्ट्री
164 मानिकतल्ला मेन रोड,
कोलकाता – 700054
दूरभाष सं. 033–2320 4157/4158 & 2320 4154
ई-मेल: works_mfy@bengalchemicals.co.in

पानीहटी फैक्ट्री:
बी.टी. रोड, पी.ओ. – पानीहटी,
कोलकाता – 700114, 24 परंगना (उत्तर)
दूरभाष सं. 033 – 2553/1924/4541
ई-मेल: works_pfy@bengalchemicals.co.in

मुंबई फैक्ट्री:
502, एस.वी.सावरकर मार्ग प्रभादेवी,
मुंबई - 4000255
दूरभाष सं. 022-2430 2081
ई-मेल: works_mumfy@bengalchemicals.co.in

कानपुर फैक्ट्री:
84/23, फैक्ट्री एरिया, फज़लगंज,
कानपुर- 208012
दूरभाष सं. 512- 221 6292
ई-मेल: works_kfy@bengalchemicals.co.in

हमारे डिपो:

दिल्ली डिपो:
डीI-डीII, शिवलोक हाउस–II,
कर्मपुरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
विपरीत: मिलन सिनेमा कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली -110 015
दूरभाष सं. 011- 2592 0486;
ई-मेल: bengalchemicals@gmail.com

गुवाहाटी डिपो:
जतिन तामुली पथ, गरलिया, सरुसजई,
गुवाहाटी- 781040, असम
दूरभाष सं. 7896940840
ई-मेल: bcpl.guwahati@gmail.com

चेन्नई डिपो:
नं. 19ए/88, वेंकटेश नगर, एक्सटेंशन 1, II क्रॉस, दूसरी गली,
विरुगम्बक्कम, चेन्नई- 600092
दूरभाष सं. 044- 2376 4510;
ई-मेल: bcplchennaidpot@yahoo.com

रांची डिपो:
सुवम सुरवी निवास, केटरी बागान,
स्वर्णरेखा नगर मेन रोड,
नामकुम, रांची-834010
दूरभाष सं. +91-8882388794
ई-मेल: ranchibcpl@gmail.com

हैदराबाद डिपो:
ड़ोर नं. 4-98-1-6,
न्यू नरसिम्हा नगर मेन रोड, मालापुरम
नजदीक- नोमा कल्याण वेदेका
हैदराबाद - 500076,
दूरभाष सं. +91-8099422778
ई-मेल: bcplhyd@gmail.com

जयपुर डिपो:
17, यमुना पथ, पटेल नगर ईस्ट,
बिपरीत लक्ष्मी कांता, 22 गोडाउन
जयपुर-302006, राजस्थान
दूरभाष: 8619596774

हमारे रिटेल स्टोर:

1. 6, गणेश चन्द्र एवेन्यू, कोलकाता-700013
2. 153, लेनिन सारणी, कोलकाता-700013
3. 39, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700016
4. 44, गोपाल लाल ठाकुर रोड, कोलकाता- 700036
5. 502, एस.वी.सावरकर मार्ग प्रभादेवी, मुंबई - 400025

अध्यक्ष का सन्देश

प्रिय अंशधारको

मैं आपकी कंपनी, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) की 39वीं वार्षिक आम सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आप सब के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहूँगा और बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेकर इसे सुविधाजनक बनाने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। पिछले तीन वर्षों जोकि 2016-17, 2017-18 और 2018-19 की तरह, आपकी कंपनी ने अपना "शानदार प्रदर्शन" जारी रखा है और 2019-20 में बेहतर प्रदर्शन किया है।

क. वार्षिक वित्तीय विवरण: वर्ष 2019-20 के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना मेरा सौभाग्य है। निदेशकों की रिपोर्ट जिसमें प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता विकास रिपोर्ट तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरण भी शामिल हैं जोकि सभी शेयरधारकों को पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं, और आपकी अनुमति से मैं इन्हें "पढ़ा" विचारित करूंगा। निदेशकों की रिपोर्ट बहुत ही व्यापक है और कंपनी की कार्य प्रणाली, इसके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों और बीसीपीएल द्वारा किए गए बाधाओं का सामना और अवसरों का स्पष्ट और विस्तृत विश्लेषण करती है। मैं आप सब के समक्ष संक्षेप में कुछ प्रासंगिक और प्रमुख विषय जो हमारे सामने हैं, को रखूंगा। निदेशकों की रिपोर्ट सभी वैधानिक प्रकटीकरण जोकि कंपनी अधिनियम 2013, डीपीई दिशानिर्देशों, तथा सचिवीय मानकों के तहत आवश्यक हैं, को सम्मलित करती है।

ख. परिचालन प्रदर्शन: मैं आप सभी और उन हितधारकों को बधाई देता हूं, जो 2019-20 के दौरान बीसीपीएल को "लाभ वाली टर्नअराउंड स्टेटस वाली कंपनी" बनाए रखने तथा पिछले चार वर्षों से लगातार लाभ अर्जित करने के लिए इसके साथ जुड़े हुए थे। वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने 2017-18 में 10.06 करोड़ तथा 2018-19 में 25.26 करोड़ रूपए के लाभ की तुलना में 14.46 करोड़ रूपए का लाभ अर्जित किया। वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने 2013-14 में 17.06 करोड़ रुपये की टर्नओवर की तुलना में 84.19 करोड़ रुपये का उत्पादन, 70.28 करोड़ रूपए की टर्नओवर अर्जित की।

ग. वित्तीय प्रदर्शन: यह बहुत गर्व की बात है कि आपकी कंपनी ने 2016-17 में 4.51 करोड़ रूपए के लाभ, जिस वर्ष में बीसीपीएल लाभ कमाने वाली टर्नअराउंड कंपनी थी, की तुलना में 2019-20 में 70.28 करोड़ रूपए की टर्नओवर के ऊपर **14.46 करोड़ रूपए का लाभ** रिपोर्ट किया। फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद खंड कंपनी की टर्नओवर में उच्चतम योगदान दे रहा है और 2019-20 के दौरान इस खंड ने कुल टर्नओवर में 53% का योगदान दिया है। दूसरा सबसे बड़ा खंड प्रसाधन एवं गृह उत्पाद रहा है, जो कुल टर्नओवर में 43% का योगदान करते हैं। आपकी कंपनी ने 2013-14 में 20.36 करोड़ रूपए की रिपोर्ट की गई सकल हानि की तुलना में 20.26 करोड़ रूपए का सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी) अर्जित किया।

घ. अग्रिम आयकर का भुगतान: 1977 में भारत सरकार द्वारा बीसीपीएल के अधिग्रहण के बाद पहली बार, आपकी कंपनी ने 2019-20 के दौरान 1.50 करोड़ रुपये का अग्रिम आयकर के रूप में भुगतान किया है, जिससे भारत सरकार के कोष में योगदान शुरू हुआ है।

ङ. कोविड-19 अवधि (अप्रैल 2020 से जून 2020) में गतिविधियां/ प्रदर्शन: बीसीपीएल औषधि उत्पादक होने के नाते आवश्यक वस्तुओं के तहत सूचीबद्ध है तथा यह गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) दिनांकित 15 अप्रैल 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन अवधि के प्रतिबन्ध से मुक्त है और सामान्य रूप से काम कर रही है। बीसीपीएल के कर्मचारी इस स्थिति में जीवन रक्षक दवाइयों और डिसइन्फेक्टेंट/ स्वच्छता उत्पादों के विनिर्माण में योगदान देने में उत्साही हैं। कोविड-19 अवधि और पिछले वर्ष की सामान्तर अवधि के दौरान परिचालन और वित्तीय विशिष्टताएं नीचे उल्लिखित हैं:

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	वास्तविक अप्रैल-जून 2020	वास्तविक अप्रैल-जून 2019
1.	उत्पादन	**1899**	1535
2.	कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	**531**	390
3.	सकल मार्जिन	**652**	565
4.	प्रति कर्मचारी आय	**12.07**	9.86

उपरोक्त विवरण से यह देखा जा सकता है कि कोविड-19 अवधि के दौरान बीसीपीएल का प्रदर्शन पिछले वर्ष की सामान्तर अवधि की तुलना में बढ़ा है।

च. कॉर्पोरेट गवर्नेंस: आपकी कंपनी दृढ़ विश्वास रखती है कि अच्छा नैगम प्रशासन सभी हितधारकों को दीर्घ विकास की ओर ले जाता है और इसने "अच्छे नैगम प्रशासन" के मानकों के स्तर को जारी रखा है और लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है। आपकी कंपनी ने लगातार पिछले पांच वर्षों से "उत्कृष्ट" कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग हासिल की है। स्व-मूल्यांकन के अनुसार, 2019-20 में भी आपकी कंपनी "उत्कृष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग" प्राप्त करेगी। 2013-14 तक "Poor" रेटिंग तथा 2014-15 में "Fair" रेटिंग की तुलना में, डीपीई ने वर्ष 2018-19, 2017-18, 2016-17 तथा 2015-16 के लिए आपकी कंपनी को "उत्कृष्ट" रेटिंग के साथ मूल्यांकित किया है। आपकी कंपनी संस्थान में नैगम प्रशासन प्रथा में सुधार और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

छ. प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा परियोजना कार्यान्वयन: वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने गृह उत्पाद विभाग के उत्पाद- वाइट टाइगर, एक साबुन आधारित बहु-उपयोग क्लीन्ज़र और डिओडोरेंट के दो नए वैरिएंट विकसित किए हैं। कोविड-19 महामारी की स्थिति में, आपकी कंपनी ने हाइड्रोक्सीक्लोरोकुइन (एचसीक्यू) तथा हैण्ड सैनिटाईजर के उत्पादन हेतु लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया है। आपकी कंपनी 02 अगस्त 2020 को इसके संस्थापक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के जन्दिवस पर "बेन्सनी" नाम से हैण्ड सैनिटाईजर लांच कर रही है।

ज. मानव संसाधन: मैं हर्ष और गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि आपकी कंपनी के कर्मचारी अब 2022 तक बीसीपीएल को सकारात्मक निवल मूल्य वाली कंपनी बनाने के लक्ष्य के साथ नव-उर्जा के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा, मैं दृढ़ विश्वास रखता हूँ की आपके संगठन की समृधि प्रेरित तथा समर्पित कर्मचारियों के समुदाय पर निर्भर करती है।

झ. 2007 वेतनमान का कार्यान्वयन: तीन वर्षों तक लगातार लाभ प्राप्त करने के बाद और सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के बाद, अक्टूबर 2019 में, आपके प्रशासनिक मंत्रालय यानी औषध विभाग ने बीसीपीएल के कर्मचारियों को 2007 वेतनमान लागू करने की मंजूरी दे दी है, जिसे जनवरी 2020 मजदूर यूनियन के साथ वार्ता करने के बाद विधिवत लागू किया गया था। स्थानीय नेताओं का सहयोग और योगदान सराहनीय है, जिसकी वजह से हमने इसे सफलतापूर्वक लागू किया है।

अभिस्वीकृति:

अंत में, मैं औषध विभाग, लोक उद्यम विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार के अन्य विभिन्न मंत्रालयों, पश्चिम बंगाल सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों, कंपनी रजिस्ट्रार, औषध नियंत्रक प्राधिकरण का आपकी कंपनी के प्रदर्शन में सुधार के लिए प्राप्त निरंतर समर्थन और सहायता के लिए, जिसके कारण बीसीपीएल 2016-17 में "लाभ कमाने वाली टर्नअराउंड कंपनी" बनी तथा 2019-20 में लगातार चौथे वर्ष लाभार्जन किया। मैं हमारे सभी मूल्यवान "वैधानिक लेखापरीक्षक, लागत लेखापरीक्षक, आन्तरिक लेखापरीक्षक, बैंकर्स, कर लेखापरीक्षक, ग्राहक, आपूर्तिकर्ताओं, लायिसोनर, सी.एण्ड.एफ़ एजेंट, और स्टॉकिस्ट" द्वारा किये गये समर्थन और योगदान के लिए भी आभार प्रकट करता हूँ और कंपनी के साथ व्यापर करने में विश्वास बनाए रखने के लिए और इस कंपनी, जो भारतीय रसायन के पिता, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय जी ने स्थापित की थी, को सेवाएं देने के लिए अपने तहे-दिल से धन्यवाद करता हूँ।

मैं निष्ठा से आपकी कंपनी के निदेशकों को वर्ष 2019-20 में कंपनी के इस गौरवशाली प्रदर्शन को हासिल करने एवं कंपनी के संचालन में उनकी बहुमूल्य सहायता और योगदान देने के लिए धन्यवाद देता हूं। अंत में, मैं यूनियन और आपकी कंपनी के "इमारत ब्लॉक" अर्थात् "कर्मचारियों" को मेरा विशेष धन्यवाद करने का अवसर लेता हूँ, जिन्होंने 1 जून 2016 से अबतक मेरे प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार की अवधि के दौरान बीसीपीएल को लाभ कमाने वाली टर्नअराउंड कंपनी बनाने में पूर्ण सहयोग दिया।

ह/-
(पी एम चंद्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त)

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 20 जुलाई 2020

Bleaching Powder
Eutheria Ointment
20 gm
500 gm
Eutheria
ACHARYA PRAFULLA CHANDRA RA
BIRTH: 2ND AUGUST, 1861
DEATH: 16TH JUNE, 1944
INAUGURATED BY
SHRI M. CHANDRAIAH
MANAGING DIRECTOR, BCPL

संविधान दिवस, 26 नवंबर, 2019

सूचना

एतदद्वारा बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कंपनी की 39वीं वार्षिक आम सभा **सोमवार, 20 जुलाई 2020** को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11:30 बजे निम्नलिखित कार्य के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरण जिसमें कि 31 मार्च 2020 का तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण तथा निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है, उस पर विचार कर उसको स्वीकार किया जाएगा।

2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के खातों की लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना और संशोधन के साथ या संशोधन के बिना निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

   "संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों और शाखा लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए, निदेशक मंडल को अधिकृत किया जाता है।"

विशेष कार्य:

1. 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुमोदन करना, तथा उस पर विचार करना तथा सही पाया गया तो एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

   "संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी (ऑडिट एवं ऑडिटर्स) नियम 2014 (कोई वैधनिक संशोधनों और समय-समय पर हुए पुन:संशोधनों) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखाकार, मैसर्स सत्याब्रता दासगुप्ता एंड क०, लगत लेखाकार, को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी में लागत लेखापरीक्षा करने के लिए कुल 55000/- रूपए की फीस जमा लागू कर, टीए/डीए और जेब से किए गए खर्चों रहित, की पुष्टि की जाती है।

   आगे संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सभी कृत्यों और सभी उचित, आवश्यक कदम उठाने के अधिकृत किया जाता है।"

2. केंद्रीय सार्वजानिक क्षेत्र उपक्रमों की पूँजी पुनर्गठन के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन का अनुमोदन:

"संकल्प किया जाता है कि केंद्रीय सार्वजानिक क्षेत्र उपक्रमों की पूँजी पुनर्गठन के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन को अनुमोदित किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
ह/-
(पी एम चंद्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
एवं निदेशक (वित्त)

दिनांक: 25 जून 2020
स्थान: कोलकाता

टिप्पणियाँ:

1. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की 39वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाना है जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल 2020 तथा सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 05 मई 2020 के अनुपालन में है।

2. बैठक का लिंक बैठक से पहले पंजीकृत ई-मेल आईडी और शेयरधारकों के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

3. सदस्य, जिन्होंने अभी तक अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है एवं जो अपना ई-मेल आईडी बदलवाना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी से संपर्क करें ताकि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उन्हें वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस आदि समय-समय पर कंपनी द्वारा भेजे गए सभी संदेश प्राप्त हो सके।

4. अंशधारक कृपया किसी भी प्रश्न/ शिकायत/ सुझाव के लिए cs@bengalchemicals.co.in ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं अथवा श्री सतीश कुमार, कंपनी सचिव, मोबाइल नं- 8697575519 से संपर्क कर सकते हैं।

5. **अंशधारक केवल अपने पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से cs@bengalchemicals.co.in पर ई-मेल भेजकर संकल्पों पर अपना वोट डालेंगे।**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार विवरण

निम्नलिखित विवरण सूचना में उल्लेखित विशेष कार्य से संबंधित सारे तथ्यों का वर्णन करता है:

विशेष कार्य की मद सं. 1

बोर्ड ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर, 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए, निम्नलिखित विवरण के अनुसार लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक को अनुमोदित किया है:

लागत लेखापरीक्षक का नाम	लेखापरीक्षा शुल्क (रुपए में)
मैसर्स सत्याब्रता दासगुप्ता एंड क०	55,000/-

कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियम 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार, लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक का लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित और निदेशक बोर्ड की मंजूरी से कंपनी के सदस्यों द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए।

तदनुसार, जैसाकि सूचना की विशेष कार्य की मद सं. 1 में वर्णित है, 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षक को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करने के लिए सदस्यों की सहमति से एक साधारण संकल्प करने की मांग की जाती है। सूचना के विशेष कार्य की मद सं. 1 के प्रस्ताव के तहत कोई भी निदेशक/ कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा संबंधित रूचि नहीं रखते हैं। बोर्ड सूचना के विशेष कार्य की मद सं. 1 के प्रस्ताव में साधारण संकल्प पर सभी सदस्यों से अपना अनुमोदन देने की मांग करता है।

विशेष कार्य की मद सं. 2

20 जून 2016 को लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी की गई सीपीएसईस की पूंजी पुनःसरंचना के दिशानिर्देशों के अनुसार, हर सीपीएसई इसके अंतिम खातों के अनुमोदन के लिए आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में एक अनुपालन नोट के साथ एक एजेंडा के रूप में इन दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा और इसके तुरंत बाद आयोजित की गयी एजीएम/ ईजीएम में अंशधारकों/ सदस्यों की वांछित अनुमति ली जाएगी। इसीलिए वर्ष 2019-20 के दौरान "सीपीएसई के लिए पूंजी पुनःसरंचना दिशानिर्देश" के अनुपालन का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्रं.सं	प्रावधान	अनुपालन
1	**लाभांश का भुगतान :** पिछले दिशानिर्देशों का दमन करते हुए, हर सीपीएसई मौजूदा वैधानिक प्राबधान के अंतर्गत अधिकतम लाभांश को ध्यान में रखते हुए पीएटी का 30% अथवा निवल-मूल्य का 5% जो भी अधिक हो, वार्षिक लाभांश का भुगतान करेगी।	वर्ष 2019-20 में 1307 लाख रूपए के शुद्ध लाभ के बावजूद बीसीपीएल के पास 20866 लाख रूपए की संचित हानि है। इसलिये वर्ष 2019-20 का 1307 लाख रूपए का सारा शुद्ध लाभ कंपनी की संचित हानि को अवशोषित करने के लिए कंपनी के संचय में हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके आलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, जिन कंपनियों के पास संचित हानि हैं वे जब तक सारी हानि अवशोषित नहीं होती तब तक लाभांश का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

क्रं.सं	प्रावधान	अनुपालन
2	**अंशो का वापसी क्रय :** हर सीपीएसई जिसके पास कम से कम 2000 करोड़ रुपए का निवल-मूल्य और 1000 करोड़ रुपए से ज्यदा नगद एवं बैंक शेष है, वह अपने अंशों का वापसी क्रय के विकल्प का प्रयोग करेगा।	31/03/2020 को बीसीपीएल के पास 5371 लाख रुपए का ऋणातमक निवल-मूल्य और 343.67 लाख रुपए का बैंक बैलेंस था। इसीलिए बीसीपीएल इसके अंशों का वापसी क्रय के विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है।
3	**बोनस अंश जारी करना :** हर सीपीएसई यदि उनका निर्धारित संचय और अधिशेष इसकी प्रदत्त पूंजी का 10 गुणा और इससे अधिक है तो बोनस अंश जारी करेगा।	31/03/2020 को बीसीपीएल के पास संचय का 13067.42 लाख रूपए का ऋणात्मक शेष था, जबकि कंपनी की प्रदत अंश पूंजी 7696.04 लाख रूपए है। इसलिये, इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बीसीपीएल बोनस अंश जारी करने के लिए वाध्य नहीं है।
4	**अंशों का विभाजन :** एक सीपीएसई जब इसके अंशों का बाज़ार मूल्य अथव वही मूल्य इसके अंकित मूल्य से 50 गुणा बढ़ जाए तो इसके अंशों का उचित विभाजन करेगी परन्तु इसके अंश का बर्तमान अंकित मूल्य एक रुपये या एक रुपए से अधिक हो।	बीसीपीएल के अंशों का वही मूल्य 674.28/- रूपए (ऋणातमक) है, जबकि इसके अंशों का अंकित मूल्य 1000/- रुपए प्रति अंश है। इसीलिए, इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बीसीपीएल इसके अंशों को विभाजित करने के लिए वाध्य नहीं है।

बोर्ड, सदस्यों के अनुमोदन के लिए सूचना के बिशेष कार्य की मद सं 2 में वर्णित सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

सेवा में,

बीसीपीएल के सभी अंशधारक

प्रति:

i. बीसीपीएल के सभी निदेशक

ii. भारत सरकार के सचिव,
औषध विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

iii. मैसर्स एम चौधरी एंड क०, सांविधिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

ह/-

(पी एम चंद्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
एवं निदेशक (वित्त)

दिनांक: 25 जून 2020
स्थान: कोलकाता

दस वर्षों की वित्तीय विशिष्टताएँ

(रूपए लाख में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
उत्पादन	8,049	5,922	3,633	1,970	6,410	10,670	10,269	9,818	12,345	**8,419**
वित्तीय प्रदर्शन:										
परिचालन आय/ परिचालन से राजस्व	5,485	4,825	2,737	1,706	4,584	8,819	8,536	7,801	10,050	**7,028**
अन्य आय	959	2,539	1,907	1,957	1,970	2,457	2,488	1,679	1,917	**1,536**
कुल आय	6,444	7,364	4,644	3,663	6,554	11,276	11,024	9,480	11,967	**8,564**
परिचालन लगत/ प्रत्यक्ष लागत	3,453	4,128	2,661	1,454	3,024	5,630	4,663	4,161	5,532	**3,503**
कर्मचारी लाभ व्यय	1,828	2,212	2,567	2,609	2,857	2,352	1,952	1,470	1,479	**1,416**
वित्त लगत	610	1,319	1,469	1,285	1,536	1,642	1,507	905	245	**68**
अन्य व्यय	1,720	1,316	1,705	1,636	1,583	2,170	2,005	1,425	1,673	**1,619**
मूल्यह्रास	222	212	309	334	361	395	447	512	512	**512**
कुल व्यय	7,832	9,187	8,712	7,319	9,361	12,189	10,573	8,474	9,441	**7,118**
असामान्य आय	318	-	-	-	1,076	-	-	-	-	**-**
सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	(239)	(292)	(2,290)	(2,036)	165	1,124	2,405	2,423	3,283	**2,026**
कर एवं असामान्य आय पूर्व लाभ (हानि)	(1,388)	(1,823)	(4,069)	(3,655)	(2,808)	(913)	451	1,006	2,526	**1,446**
कर पूर्व लाभ (हानि)	(1,070)	(1,823)	(4,069)	(3,655)	(1,732)	(913)	451	1,006	2,526	**1,446**
कर व्यय/ आयकर हेतु प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**139**
कर पश्चात लाभ/ (हानि)	(1,070)	(1,823)	(4,069)	(3,655)	(1,732)	(913)	451	1,006	2,526	**1,307**
परिसंपत्तियां और देयताएं:										
देयताएं										
अंश पूँजी	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	7,696	**7,696**
संचय एवं अधिशेष	(7,379)	(9,203)	(13,271)	(16,926)	(17,444)	(18,357)	(17,906)	(16,900)	(14,374)	**(13,067)**
निवल मूल्य	317	(1,507)	(5,575)	(9,230)	(9,748)	(10,661)	(10,210)	(9,204)	(6,678)	**(5,371)**
ऋण	26,855	15,021	18,426	19,256	21,145	21,740	21,955	21,021	20,073	**19,371**
नियोजित पूँजी	27,172	13,514	12,852	10,026	11,397	11,079	11,745	11,817	13,394	**14,000**
अन्य चालू देयताएं	5,547	12,408	7,868	8,534	9,283	9,317	8,082	7,612	6,471	**5,797**
प्रावधान	1,483	1,523	1,724	1,711	1,922	1,973	1,745	1,306	1,027	**1,012**
कुल देयताएं	34,202	27,445	22,444	20,271	22,602	22,369	21,572	20,735	20,892	**20,809**
परिसंपत्तियां:										
अचल संपत्ति (सकल ब्लॉक)	4,634	4,744	5,901	6,519	6,686	12,501	13,463	14,011	14,019	**14,072**
संचित मूल्यह्रास	2,135	2,348	2,758	3,225	2,370	2,765	3,212	3,724	4,236	**4,744**
अचल संपत्ति का शुद्ध ब्लॉक	2,499	2,396	3,143	3,294	4,316	9,736	10,251	10,287	9,783	**9,328**
प्रगतिशील कार्य पूँजी	7,025	11,418	11,092	10,973	10,923	5,718	5,149	4,754	4,754	**4,791**
इन्वेंटरी	1,777	1,515	1,046	811	1,428	1,463	1,467	1,970	1,708	**1,653**
व्यापार प्राप्य	2,985	2,833	1,100	743	1,441	2,633	2,171	2,252	3,521	**3,173**
नकद एवं बैंक बैलेंस	672	395	194	207	217	153	164	59	5	**68**
ऋण और अग्रिम	3,549	2,736	994	1,140	564	504	641	653	381	**544**
अन्य चालू परिसंपत्तियां	15,695	6,151	4,875	3,102	3,712	2,160	1,728	761	739	**1,252**
कुल परिसंपतियां	34,202	27,445	22,444	20,271	22,602	22,369	21,572	20,735	20,892	**20,809**
अन्य:										
कर्मचारियों की सं.	689	629	573	481	405	370	320	248	195	**162**
अंशों की सं.	7,69,604	7,69,604	7,69,604	7,69,604	7,69,604	7,69,604	7,69,604	7,69,604	7,69,604	**7,69,604**
अनुपात:										
प्रति कर्मचारी कुल आय (रु० लाख में)	9.35	11.71	8.10	7.62	16.18	30.48	34.45	38.22	61.37	**52.86**
प्रति अंश आय (रु०)	(139.05)	(236.90)	(528.66)	(474.94)	(225.06)	(118.65)	58.65	130.69	328.21	**169.83**
प्रशासनिक व्यय/ कुल व्यय %	45.30%	38.41%	49.04%	58.01%	47.43%	37.10%	37.43%	34.17%	35.30%	**42.64%**
प्रशासनिक व्यय/ कुल आय %	55.06%	47.92%	92.01%	115.88%	67.74%	40.10%	35.89%	30.54%	26.34%	**35.44%**
वित्त लगत/ कुल व्यय %	7.78%	14.35%	16.86%	17.56%	16.41%	13.47%	14.25%	10.69%	2.74%	**0.96%**
कुल आय के लिए कुल व्यय %	116.61%	124.76%	187.62%	199.77%	126.43%	108.10%	95.91%	89.39%	74.61%	**83.12%**
देनदार टर्नओवर अनुपात (दिन)	199	214	147	159	115	109	93	105	128	**165**
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (दिन)	118	115	140	173	114	61	63	92	62	**86**
ब्याज कवरेज पीबीडीआईटी के लिए वित्त लागत (No. of Times)	-0.39	-0.22	-1.56	-1.58	0.11	0.68	1.60	2.68	13.40	**29.79**
ऋण समता अनुपात No.of Times	4.45	1.10	1.04	0.70	0.79	0.74	0.76	0.75	0.98	**1.15**
लाभ मार्जिन %	3.49	1.95	2.39	2.50	2.75	2.82	2.85	2.73	2.61	**2.52**
परिचालन/ सकल लाभ मार्जिन	-16.61%	-24.76%	-87.62%	-99.77%	-26.43%	-8.10%	4.09%	10.61%	21.11%	**16.88%**
(पीबीडीआईटी/ कुल आय) %	-3.71%	-3.97%	-49.31%	-55.57%	2.51%	9.97%	21.82%	25.56%	27.43%	**23.66%**
परिचालन लागत/ परिचालन आय %	62.96%	85.55%	97.24%	85.22%	65.99%	63.84%	54.63%	53.34%	55.05%	**49.84%**

कुल आय

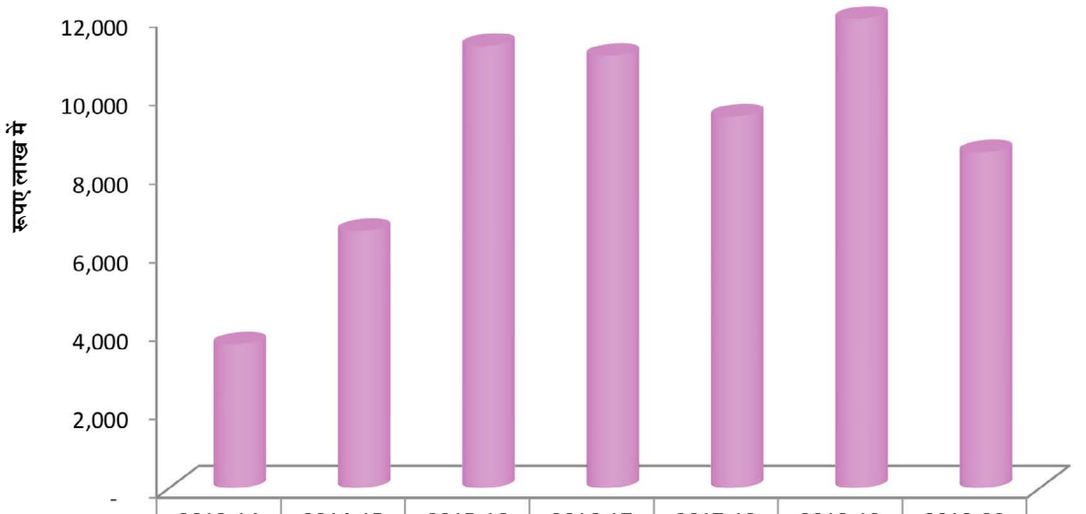

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल आय	3,663	6,554	11,276	11,024	9,480	11,967	8,563

प्रति कर्मचारी कुल आय

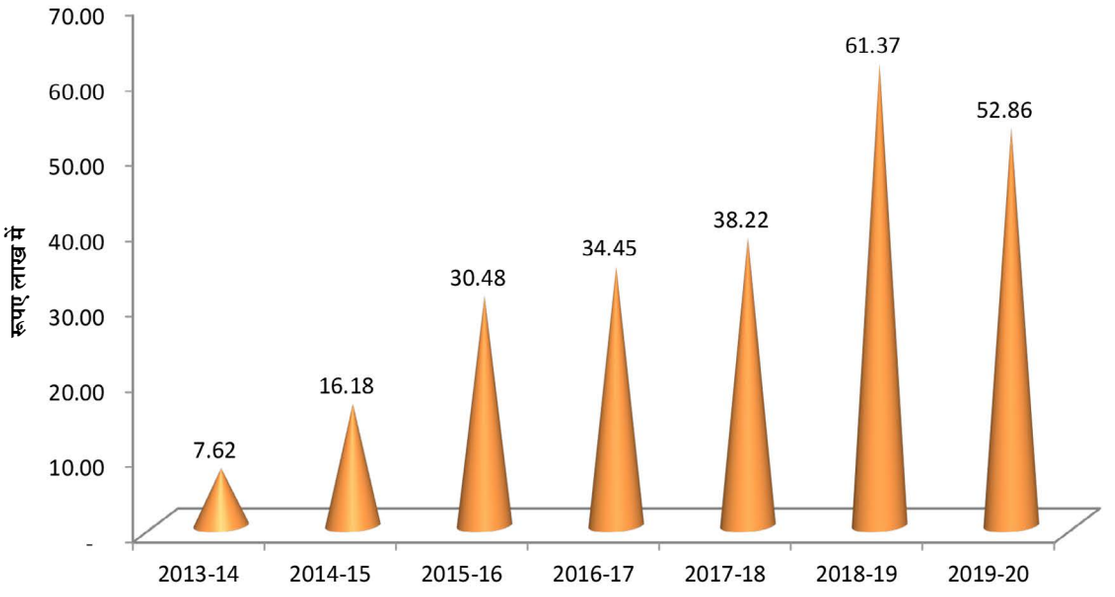

लाभ (हानि)

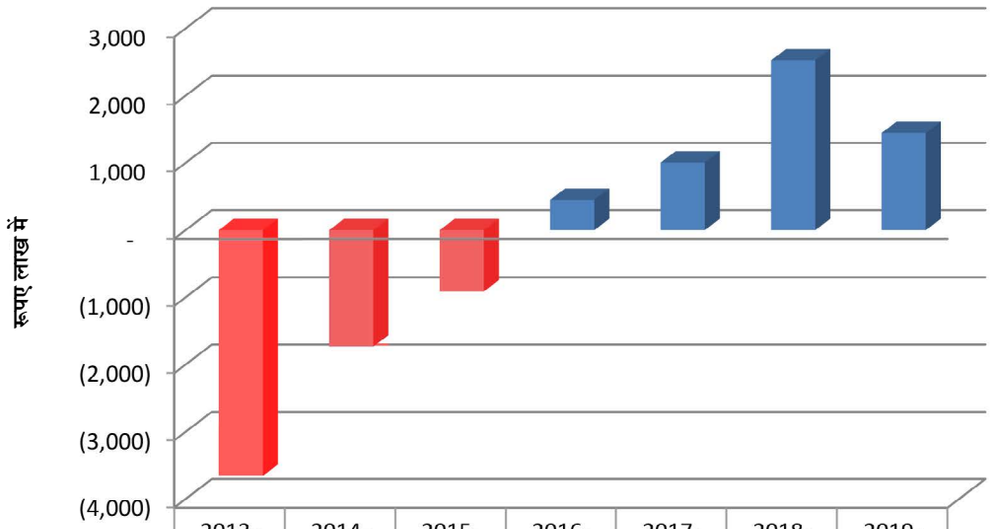

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
लाभ (हानि)	(3,655)	(1,732)	(913)	451	1,006	2,526	1,446

कुल आय पर लाभ

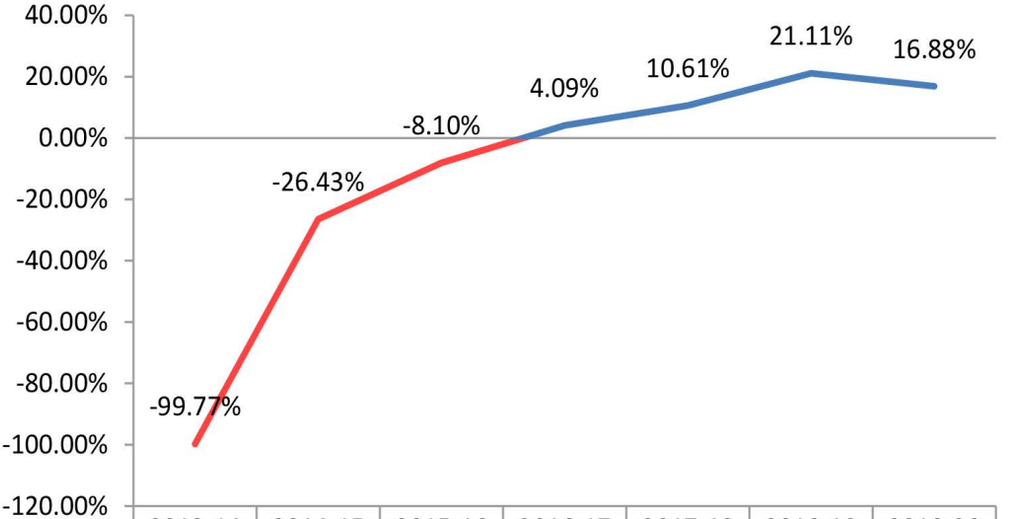

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल आय पर लाभ	-99.77%	-26.43%	-8.10%	4.09%	10.61%	21.11%	16.88%

सकल मार्जिन

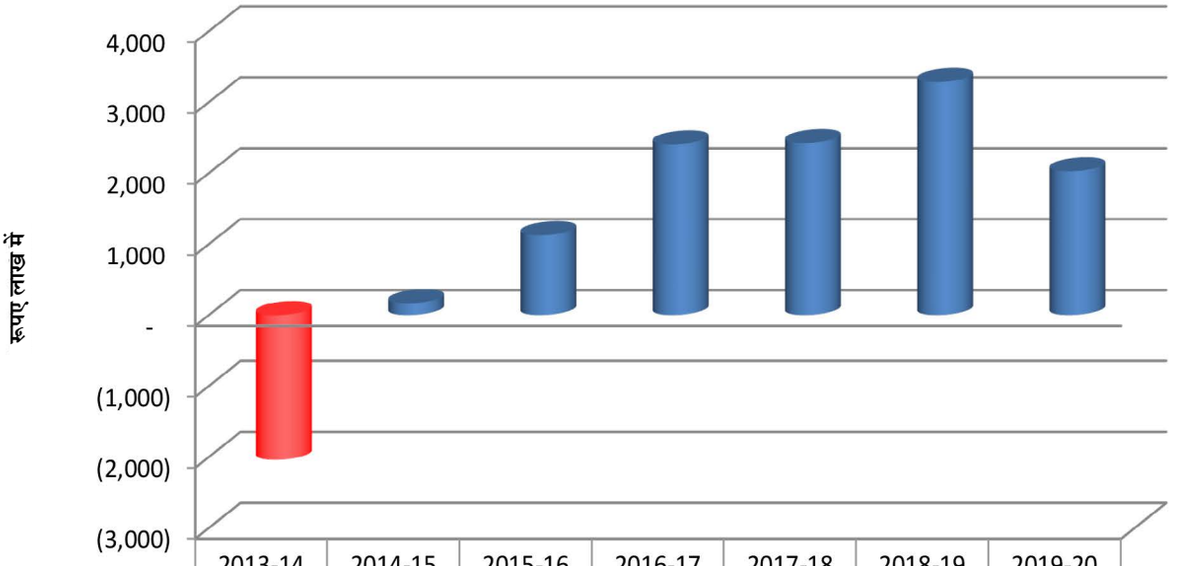

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सकल मार्जिन	(2,036)	165	1,124	2,405	2,423	3,283	2,026

कुल आय पर सकल मार्जिन

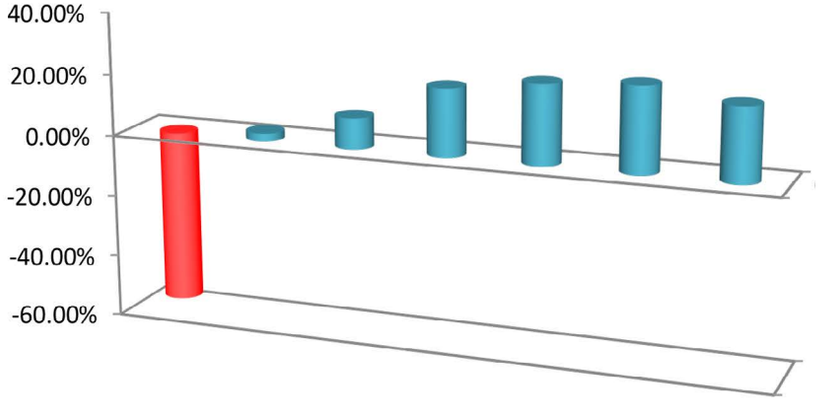

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल आय पर सकल मार्जिन	-55.57%	2.51%	9.97%	21.82%	25.56%	27.43%	23.66%

टर्नओवर

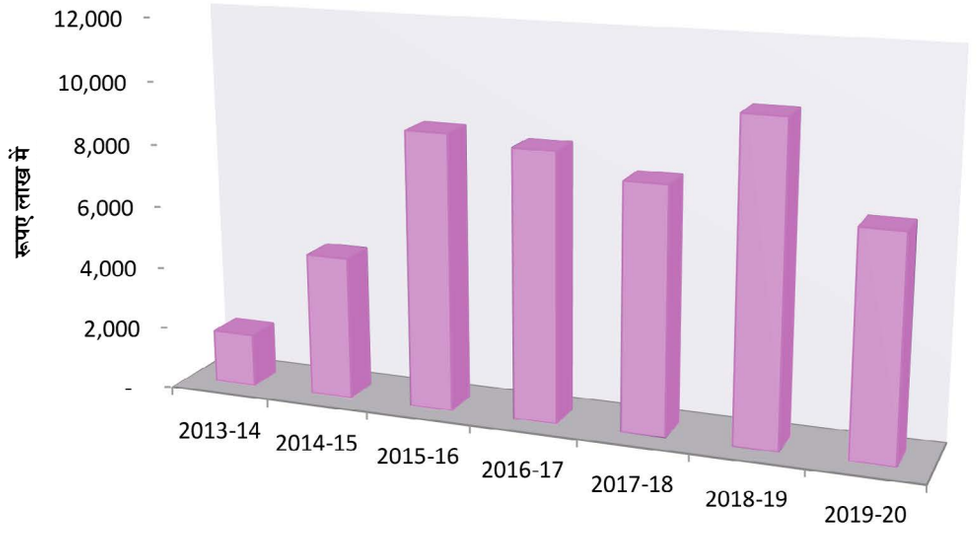

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
टर्नओवर	1,706	4,584	8,819	8,536	7,801	10,050	7,028

कुल ब्यय के प्रति वित्तीय लागत

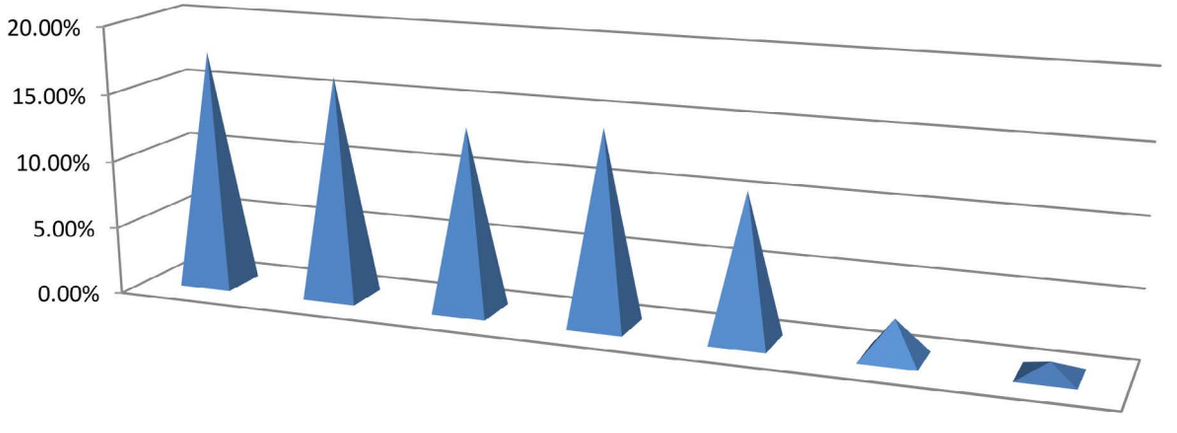

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल ब्यय के प्रति वित्तीय लागत	17.56%	16.41%	13.47%	14.25%	10.69%	2.74%	0.96%

500 ml
5 ltrs
BLEACHING POWDER

Tiger
Cantharidine
Hair Oil
Aqua
Ptychotis
100 ml
400 ml
Kalnegh
2345

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय अंशधारकों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष पर बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के कारोबार और संचालन पर 39वीं वार्षिक विवरण और इसके अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ-साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं इनके ऊपर भारत के महानियंत्रक तथा लेखा परीक्षक की अभिमत पेश करने में खुशी हो रही है।

1. वित्तीय विशिष्टताएं

वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने 2017-18 में 7,801 लाख रु० तथा 2018-19 में 10,050 लाख रु० की तुलना में 7,028 लाख रु० की टर्नओवर हासिल की। इसी तरह, आपकी कंपनी ने लगातार चार वर्षों जोकि 2016-17, 2017-18, 2018-19, तथा 2019-20 में लाभ अर्जित कर काफी उन्नति की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 2013-14 में 3,655 लाख रु० की हानि की तुलना में तथा 2018-19 में 2,526 लाख रु०, 2017-18 में 1,006 लाख रु० तथा 2016-17 में 451 लाख रु० की तुलना में 1,446 लाख रु० का लाभ रिपोर्ट किया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान आपकी कंपनी की वित्तीय विशिष्टताएं तथा मुख्य वित्तीय अनुपात, पिछले दो वर्षों के परस्पर आंकड़ों के साथ निम्न प्रकार है:

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
1	परिचालन आय (टर्नओवर)	7801	10050	**7028**
3	कर पूर्व लाभ (हानि)	1006	2526	**1446**
4	मूल्यह्रास	512	512	**511**
5	वित्त लागत	905	245	**68**
6	सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	2423	3283	**2026**
7	कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	**उत्कृष्ट***
8	देनदार आवर्त (दिनों की सं.)	105	128	**165**
9	इन्वेंटरी आवर्त (दिनों की सं.)	92	62	**86**
10	ब्याज कवरेज अनुपात	2.68	13.40	**29.59**
11	चालू अनुपात	0.75	0.98	**1.15**
12	ऋण समता अनुपात	2.73	2.61	**2.52**
13	परिचालन लाभ मार्जिन (%)	25.56%	27.43%	**23.66%**
14	लाभ मार्जिन (%)	10.61%	21.11%	**16.88%**

*कंपनी ने इसकी स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार उत्कृष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग प्राप्त की है।

2. पूंजी संरचना

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 8000 लाख रूपये है (प्रत्येक 1000/- रूपये के हिसाब से 80000 सामान्य अंशों में विभाजित) और कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 7696 लाख रूपये है (769604 सामान्य अंशों में प्रत्येक 1000/- रूपये के हिसाब से विभाजित)।

3. लाभांश और संचय

यद्यपि आपकी कंपनी पिछले चार वर्षों से शुद्ध लाभ रिपोर्ट कर रही है, लेकिन वर्ष दर वर्ष निरंतर हानि के कारण और इसके लाभ-हानि खाते/ सामान्य संचय खाते में 20866 लाख रूपए का डेबिट शेष होने के कारण, आपके निदेशक वर्ष 2019-20 के लिए किसी भी लाभांश के भुगतान की सिफारिश नही करते हैं और 1307 लाख रूपए के शुद्ध लाभ की संपूर्ण राशि लाभ-हानि खाते के डेबिट शेष/ संचित हानि के साथ समायोजित की गई है।

4. उत्पादन:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने गत वर्ष 2018-19 के दौरान 12,345 लाख रुपये के उत्पादन तथा 2017-18 में 9,818 लाख रुपये के उत्पादन की तुलना में 8419 लाख रुपये का उत्पादन किया।

5. संचालन:

बीसीपीएल के उत्पादों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनका नाम (i) औद्योगिक रसायन (प्रभाग I), (ii) फार्मास्यूटिकल्स (प्रभाग II), तथा (iii) गृह उत्पाद (प्रभाग III) है। वर्ष 2019-20 के दौरान, उपरोक्त प्रभागों की उपलब्धियों का उल्लेख नीचे किया गया है:

5.1 औद्योगिक रसायन (प्रभाग I):

आपकी कंपनी के औद्योगिक रसायन प्रभाग ने वर्ष 2019-20 में **316 लाख रूपये** की शुद्ध टर्नओवर हासिल की। इस प्रभाग ने वर्ष 2019-20 में बीसीपीएल की टर्नओवर में 4% का योगदान दिया।

5.2 फार्मास्यूटिकल्स प्रभाग (प्रभाग II):

बीसीपीएल के फार्मास्यूटिकल्स प्रभाग ने वर्ष 2019-20 में **3675 लाख रूपए** की शुद्ध टर्नओवर रिपोर्ट की है। इस प्रभाग ने वर्ष 2019-20 में कंपनी की टर्नओवर में 53% का योगदान किया है।

5.3 गृह उत्पाद (प्रभाग III):

कंपनी के गृह उत्पाद प्रभाग ने वर्ष 2019-20 में **3037 लाख रूपये** की शुद्ध टर्नओवर हासिल की है। इस प्रभाग ने वर्ष 2019-20 में कंपनी की टर्नओवर में 43% का योगदान किया है।

6. विपणन पहल/ प्रमुख व्यवसाय विकास

6.1 आपकी कंपनी ने इसके गृह उत्पादों के व्यवसाय के लिए "Bigbasket" नाम से प्रसिद्ध ऑनलाइन रिटेल स्टोर के साथ गठजोड़ के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है।

6.2 आपकी कंपनी ने Future Group (Big Bazar), Reliance and Grofers इत्यादि के साथ उनके ई-रिटेल आउटलेट/ सुपरमार्केट/ शौपिंग मॉल से अपने गृह उत्पादों के प्रदर्शन ओर बिक्री के लिए गठजोड़ कर मॉडर्न ट्रेड में प्रवेश करने की पहल की है।

6.3 आपकी कंपनी ने उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए 1 लीटर एचडीपी जार की पैकिंग में अपना "फिनॉल" लांच किया है।

6.4 आपकी कंपनी ने व्हाइट टाइगर के लिए लेमन फ्लेवर के साथ एक नया संस्करण/ ब्रांड एक्सटेंशन शुरू किया है। यह फर्श की सफाई के साथ ताज़गी और अद्वितीय मच्छर विकर्षक प्रदान करता है।

6.5 बीसीपीएल के उत्पादों को सीधे अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और विपणन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, बीसीपीएल ने मुंबई और कोलकाता में एक्सक्लूसिव खुदरा स्टोर खोले हैं।

इसके अलावा, बीसीपीएल के फार्मास्यूटिकल्स फार्मूलेशन का व्यवसाय, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई औषधि क्रय नीति पर आधारित है। इस औषधि क्रय नीति का कार्यकाल 9 दिसंबर 2018 को समाप्त हो गया था, जिसे भारत सरकार ने नवम्बर 2019 में नवीकृत किया था।

7. बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री की स्थिति:

28 दिसम्बर 2016, को केंद्रीय कैबिनेट ने बीसीपीएल की बकाया देयताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक इसकी अधिशेष भूमि की बिक्री को मंजूरी दी। यह बिक्री सरकारी एजेंसियों को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए की जाएगी और बकाया देयताएं बिक्री की आय से चुकाई जाएंगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री को भी मंजूरी दे दी है। तदनुसार, बीसीपीएल ने पानीहटी फैक्ट्री में अधिशेष भूमि की बिक्री के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया और इसे एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर अपलोड किया। लेकिन अंतिम तिथि की तारीख को दो बार बढ़ाने के बाद भी किसी बोली लगाने वाले ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। इसी समय बंगाल केमिकल्स श्रमिक कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने 20/06/2017 को कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर दी और इसकी सुनवाई 06 फरवरी 2018 को हुई और कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त के सबंध में आदेश पारित किया और बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को रद्द कर दिया। इसके अलावा, उपरोक्त आदेश को चुनौती देने के लिए, प्रशासनिक मंत्रालय ने कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय की डिवीज़नल बेंच के समक्ष अपील दायर की है, जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।

8. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के लिए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

9. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बीसीपीएल एक कानूनी, नैतिक और पारदर्शी तरीके से व्यापार के संचालन में अच्छी कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रथा का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी का मानना है कि अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथा अपने सभी हितधारकों जैसेकि अंशधारकों, प्रबंधन, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, फाइनेंसरों, सरकार, कर्मचारियों और समुदाय के लिए दीर्घावधि तक धन के सृजन की ओर ले जाती है। बीसीपीएल लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों का पालन करती है और प्रशासनिक मंत्रालय को तिमाही/ वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट जमा करती है। वर्ष 2019-20 के लिए,

आपकी कंपनी ने इसकी स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार सीपीएसई के लिए डीपीई द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए **"उत्कृष्ट"** रेटिंग प्राप्त की है। इसके अलावा, वर्ष 2018-19, 2017-18, 2016-17 तथा 2015-16 के लिए डीपीई ने बीसीपीएल को "उत्कृष्ट" कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग से पुरष्कृत किया था। इसलिए, बीसीपीएल ने पिछले 5 वर्षों से लगातार **"उत्कृष्ट"** कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग प्राप्त की है। अभ्यासरत कंपनी सचिव के अनुपालन प्रमाण पत्र सहित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट को इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

10 सतर्कता गतिविधियाँ

सतर्कता विभाग, सतर्कता से संबंधित मामलों में शीर्ष प्रबंधन के लिए एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। यह औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी और एक अंशकालिक सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में है। सतर्कता विभाग, निवारक जांच के माध्यम जैसेकि (i) पारदर्शिता की त्रैमासिक सूचना (ii) निविदाओं और अनुबंधों के लिए वेबसाइट का उपयोग, से मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) की दिशा-निर्देशों/ प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, विभाग द्वारा दो आकस्मिक निरीक्षण किए गए थे। तिमाही रिटर्न अर्थात वार्षिक कार्य और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और सीवीओ की मासिक रिपोर्ट निर्धारित समय में सीवीसी को भेज दी गई थी। इसके अतिरिक्त पूर्व-सतर्कता संबधी उपाय किए गए है जोकि निम्नलिखित हैं:-

- प्रतिस्पर्धा के लिए विक्रेता आधार का विस्तार
- बीसीपीएल की जमीन का सीमांकन और भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण;
- लेखा परीक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण;
- सामग्री की गतिशीलता के निरिक्षण और कार्यालय/ फैक्टरी परिसर में सुरक्षा पर्यावरण में सुधार के लिए सीसीटीवी की स्थापना;
- विस्सल ब्लोअर पॉलिसी;

11 मानव संसाधन

31 मार्च, 2020, को आपकी कंपनी के पास 162 कर्मचारी थे, जिसमें से 34 कर्मचारी तकनीकी रूप से या व्यावसायिक रूप से योग्य हैं। कंपनी के पास 23 महिला कर्मचारी हैं। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसेकि भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और समूह दुर्घटना बीमा योजनायें कंपनी में उपलब्ध हैं।

11.1 प्रेसिडेन्सियल निर्देशों पर स्थिति

(क) आरक्षित श्रेणी के लोगों के लिए आरक्षण नीति पर दिशानिर्देश

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति पर राष्ट्रपति के निर्देश, सीधी भर्ती में आरक्षण के लिए कुछ प्रतिशत निर्दिष्ट श्रेणी के अभ्यार्थियों जोकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक बिकलांग हैं, के लिए आरक्षण प्रदान करते हैं। इसके अलावा, निर्देश

सीधे भर्ती और निर्दिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कुछ रियायतों और छूट का भी प्रावधान करते हैं। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर राष्ट्रपति निर्देश क्रमशः 15%, 7.5%/ 27%, तथा 10% हैं। चूंकि बीसीपीएल इसके राष्ट्रीयकरण 1981 के बाद से एक घाटे वाला पीएसयू था, इसलिये कर्मचारियों की भर्ती बिलकुल नहीं हो रही है, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ बिकलांग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन पूरी तरह से नहीं किया जा सकता।

(ख) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग:

31 मार्च 2020 को कंपनी के रोल पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 19, 1 और 6 है, जो कुल संख्या का क्रमश: 11.73%, 0.62% एवं 3.70% हैं।

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति:

31 मार्च 2020 को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या 9 थी, जो कुल कर्मचारियों की संख्या का 5.56% है। शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को उनकी शारीरिक क्षमता के अनुरूप हल्के काम में लगाया गया है।

11.2 श्रमशक्ति स्थिति

क) 31 मार्च 2020 को कुल कर्मचारी जिनमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शारीरिक रूप से विकलांग / अल्पसंख्यक शामिल हैं, को नीचे उल्लेखित किया गया है:

ग्रुप	स्थायी कर्मचारी		कुल कर्मचारी
	पुरुष	महिला	
क	6	0	6
ख	38	5	43
ग	65	9	74
घ	30	9	39
कुल	**139**	**23**	**162**
प्रतिशत	**85.80%**	**14.20%**	**100%**

ख.) 31/03/2020 को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का प्रस्तुतीकरण निम्नानुसार है:

ग्रुप	रोल पर कर्मचारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचितजन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	विकलांग	अल्पसंख्यक	सामान्य
		सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
क	6	0	0	1	0	0	5
ख	43	4	0	2	0	1	36
ग	74	8	1	2	9	3	51
घ	39	7	0	1	0	0	31
कुल	**162**	**19**	**1**	**6**	**9**	**4**	**123**
प्रतिशत	**100%**	**11.73%**	**0.62%**	**3.70%**	**5.56%**	**2.47%**	**75.93%**

* क XIII से XIX स्तर तक दर्शाता है, ख X से XIII स्तर तक दर्शाता है, ग IV से IX स्तर तक दर्शाता है, घ I से III स्तर तक दर्शाता है।

11.3 कर्मचारियों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण

कंपनी ने प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कर्मचारियों की अंतर्निहित शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए भी पहल की है। कर्मचारियों को उनके तकनीकी, संचार, व्यक्तिगत कौशल को बढाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनार, कार्यशालाओं में प्रायोजित किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान, 75 मैनडेज प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, बीसीपीएल ने बीसीपीएल के निदेशक मंडल में नव-नियुक्त निदेशकों को प्रशिक्षण देने के लिए निदेशकों की प्रशिक्षण नीति की भी शुरुआत की है। बीसीपीएल द्वारा कर्मचारियों को दिए गए आंतरिक व ब्राह्य प्रशिक्षण का विवरण निम्नलिखित है:

क) आंतरिक प्रशिक्षण:

वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। सभी आतंरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं	दिनांक	स्थान	विषय	कुल मैनडेज
1	24/07/2019	कॉर्पोरेट कार्यालय	जीईएम क्रय पर प्रशिक्षण	7
2	05/12/2019		आरंभिक प्रशिक्षण	14
3	09/01/2020		"निवारक सतर्कता" पर संवादात्मक सत्र	38
कुल				**59**

ख) बाहरी प्रशिक्षण:

वर्ष 2019-20 के दौरान आपकी कंपनी ने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओ द्वारा आयोजित कार्यक्रम/ कोर्सेज हेतु कुछ अधिकारियों को विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यकमों/ कोर्सेज में नामित किया। विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	दिनांक	स्थान	विषय	कुल मैनडेज
1	22/04/2019 to 26/04/2019	बी.ओ.पी.टी.. (ई.आर.), साल्ट लेक	कौशल विकास पर प्रशिक्षण	5
2	16/05/2019	औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली	GeM क्रय पर क्षमता निर्माण	1
3	07/09/2019	रैडिसन होटल, कोलकाता	ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक नियम, 1945 में हाल के संशोधनों पर कार्यशाला	3

क्र. सं.	दिनांक	स्थान	विषय	कुल मैनडेज
4	14/11/2019 से 15/11/2019	इंडिया हैबिटैट सेंटर, नई दिल्ली	आईएसओ 31000 और आईएसओ 37001 के साथ "कॉर्पोरेट जोखिम प्रबंधन पर कार्यशाला"	2
5	14/01/2020	नई दिल्ली	मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSEs) के साथ GeM-Samvaas-Roundtable	2
6	14/02/2020 to 16/02/2020	हैदराबाद	बोर्डरूम प्रभावशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम	3
कुल				**16**

12 राजभाषा का प्रचार-प्रसार

बीसीपीएल अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, सभी कारखानों, और सभी डिपो में राजभाषा/ हिंदी के कार्यान्वयन हेतु सभी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करती है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) कंपनी के विभिन्न कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की अनिवार्यता पर जोर देती है।

कार्यालीन कार्यों में हिंदी नोटिंग्स, ड्राफ्टिंग आदेशों और परिपत्रों, मुद्रण सामग्री, लेबल्स, कार्टन, दवाइयों की पैकिंग आदि के ऊपर इंग्लिश के साथ हिंदी में प्रिंटिंग द्वारा कंपनी में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने प्रयास किया है।.

कर्मचारी, जो सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवीण व प्राज्ञ परीक्षा पास कर लेते हैं, उन्हें नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए हिंदी अखबारें भी क्रय करती है। कंपनी की वेबसाइट का हिंदी संस्करण भी अपलोड किया गया है। कंपनी हर वर्ष अपनी हिंदी गृह पत्रिका "संजीवनी" का भी प्रकाशन करती है। 14 सितम्बर 2019 से 28 सितम्बर 2019 तक आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्यालय और सभी फैक्ट्रियों में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जिसमें बीसीपीएल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता के अधीन बीसीपीएल के सात बरिष्ठ अधिकारियों की एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी बनाई गई है। यह समिति नियमित रूप से मिलती है और दैनिक नियमित कार्यालीन कार्यों में राजभाषा के उपयोग को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव और सिफारिश करती है। वर्ष 2019-20 के दौरान, पत्राचार, नोटिंग्स एवं ड्राफ्टिंग से संबंधित भारत सरकार द्वारा 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को बीसीपीएल द्वारा पूरा कर लिया गया था।

कंपनी ने हिंदी में आधिकारिक कार्यों के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं, सेमिनारों और प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करके पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपना प्रयास जारी रखा है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 6 कार्यशालाएं आयोजित की गई थी। इसके अलावा, वर्ष 2019-20 में बीसीपीएल की "राजभाषा कार्यान्वयन समिति" की चार बैठकें आयोजित हुई।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का प्रतिनिधिमंडल ने राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों का अनुपालन और बीसीपीएल में हिंदी की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए 13/02/2020 को बीसीपीएल का दौरा किया। कंपनी अपने कर्मचारियों को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के विभिन्न सदस्यों द्वारा आयोजित किए जाने वाले हिंदी प्रतियोगिताओं/ कार्यक्रमों में भी नामित करती है।

13 प्रशासनिक व्ययों में मितव्ययता

सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2019-20 के दौरान बीसीपीएल में प्रशासनिक व्ययों में कमी करने के लिए प्रयास किए गए। गत वर्ष 2018-19 में 26.34%, 2017-18 में 30.54% तथा 2015-16 में 40.10% की तुलना में, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रशासनिक व्यय कुल आय के 35.44% थे।

बीसीपीएल ने लागत बचत के लिए कई निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

केंद्रीकृत क्रय प्रणाली, केंद्रीकृत लेखा प्रणाली, केंद्रीकृत उगाही प्रणाली, केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली, केंद्रीकृत बिल प्रोसेसिंग प्रणाली, केंद्रीकृत पेरोल प्रणाली, केंद्रीकृत स्टोर्स प्रणाली, केंद्रीकृत कोष प्रबंधन प्रणाली, केंद्रीकृत मानव संसाधन अभिलेख रख-रखाव प्रणाली, निष्क्रिय बैंक खातों को बंद करना, कॉर्पोरेट कार्यालय, फैक्ट्रियों और डिपो में सीसीटीवी की स्थापना, घोड़ों का निपटान जो वर्षों से अप्रयुक्त थे, मानिकतल्ला और पानिहटी में औद्योगिक इलेक्ट्रिक कनेक्शन को वियोजित करके घरेलू इलेक्ट्रिक मीटर की स्थापना, अवांछित टेलीफोन कनेक्शनों को समर्पण/ वियोजित, बैंक खातों/ शेष का युक्तिकरण और बैंक ब्याज में कटौती, बिक्री/ वितरण नियमावली का कार्यान्वयन, डीपीई दिशानिर्देशों और जीएफआर नियमों का अनुपालन, कंपनी के बैंकरों के साथ अनुरोध और बातचीत के बाद बैंक ब्याज दरें कम की, अर्धवार्षिक स्टॉक सत्यापन प्रणाली कि शुरुआत इत्यादि।

14 औद्योगिक संबंध

वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के सभी फक्ट्रियों, डिपो और व्यवसायिक क्षेत्र/ कार्यालयों में औद्योगिक संबंध सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण रहे। वर्ष के दौरान सहभागिता संस्कृति और संचार पर जोर दिया गया।

15 कार्यस्थल पर महिलाओं का सुरक्षण

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने के लिए और रोकथाम के लिए और यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का हल निकलने के लिए एक कानून "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" महिला एवं बाल

विकास मंत्रालय, भारत सरकार के नियमों की अधिसूचना के साथ 9 दिसम्बर 2013 को अस्तित्व में आया। इस अधिनियम और इसके नियमों के प्रावधानों का सख्ती के साथ अनुपालन किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार, एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013'' उपलब्ध है।

16 निदेशक मंडल

क) वर्तमान में बीसीपीएल बोर्ड में निम्न शामिल हैं:

क्र.सं.	नाम	से प्रभावी
1.	श्री पीएम चंद्रय्या* प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (वित्त)	25 नवंबर 2014
2.	श्री जितेन्द्र त्रिवेदी अंशकालिक (शासकीय) निदेशक [सरकार नामित निदेशक]	6 जुलाई, 2016

* औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने श्री पीएम चंद्रय्या, निदेशक (वित्त) को 01 जून 2016 से प्रभावी तीन महीने की शुरुआती अवधि के लिए बीसीपीएल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था, जो समय-समय पर 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाया गया था।

ख) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री सजल कुमार रॉय चौधरी, गैर-शासकीय (स्वतंत्र) निदेशक का कार्यकाल 08/08/2019 को समाप्त हुआ था। इसके अलावा, वर्ष के दौरान कोई नया निदेशक/ प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक (केएमपी) नियुक्त नही किया गया था। निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारी से संबंधित नीति का उल्लेख इस रिपोर्ट के साथ सलंग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में किया गया है।

17 निदेशक मंडल की बैठकें

वर्ष के दौरान पांच निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन किया गया। निदेशक मंडल की बैठकों का विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट के साथ सलंग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है।

18 लेखापरीक्षा समिति का विवरण

निदेशक मंडल स्तर की लेखा परीक्षा समिति का विवरण इस रिपोर्ट के साथ सलंग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है। इसके अलावा, ऐसा कोई उदाहरण नही है कि निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया हो।

19 धारा 143 (12) के तहत लेखा परीक्षक द्वारा धोखेबाजी मामले में दी गई रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान कंपनी में न धोखेबाजी की कोई घटना घटी, और न ही सांविधिक लेखापरीक्षक अथवा लागत लेखापरीक्षक ने कोई धोखेबाजी रिपोर्ट की है।

20 लेखा परीक्षक की अहर्ताओं पर बोर्ड की व्याख्या और टिप्पणियों संबधिंत विवरण

बीसीपीएल के प्रबंधन द्वारा दिये गए उत्तर और व्याख्या अलग से वर्ष 2019-20 के कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ सलंग्न हैं।

21 तुलनपत्र की तारीख के बाद घटी धटनाएँ

तुलनपत्र की तारीख 31 मार्च 2020 के बाद ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी, जो बीसीपीएल की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

22 सुरक्षा एवं बचाव

बीसीपीएल में यह सोचते हैं, कि मानव जीवन मूल्यरहित है जिसके खोने पर ना ही उसे धन से पूरा किया जा सकता है और ना ही इसकी निष्ठा और अनुभव का कोई विकल्प हो सकता है। यह हमें कर्मचारियों के साथ-साथ हमारे हितधारकों के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित रखने की पेरणा देता है। बीसीपीएल की विनिर्माण इकाईओं में मजबूत स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई) प्रबंधन व्यवस्था उपलब्ध है। वर्ष के दौरान संस्थान में किसी भी प्रकार की गंभीर विपत्ति या दुर्घटना नहीं हुई। आपकी फैक्ट्रियों/ यूनिटों में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं बचाव का माहौल पैदा करने व बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(क) संयंत्र और फैक्ट्री परिसर में उच्च स्तर की उपस्कर सज्जा बनाई रखी जाती है।

(ख) अग्निशमक यंत्रों (मैकेनिकल फोम, ड्राई केमिकल पाउडर और कार्बन-डाइऑक्साइड) को फिर से भर दिया गया है।

(ग) उत्पादन और रखरखाव से संबंधित नौकरी में काम करने वाले व्यक्तियों को उपयुक्त निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) दिए गए हैं।

(घ) फैक्ट्री परिसर में अलग-अलग जगहों पर काम कर रहे ठेकेदारों को भी पीपीई का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

(ङ) सभी कम्प्रेसर, आटोक्लेव और प्रेशर वाहिकाओं और लिफ्ट और स्टेकर के निरीक्षण के लिए अल्ट्रासोनिक शैल थिकनेस टेस्ट फैक्टरी नियमों की अनुसूची के अनुसार किया जाता है।

(च) आम उत्थान उपचार संयंत्र (सीईटीपी) उपयोग में है और ट्रीटेड पानी हमारे क्यूसी प्रयोगशाला में नियमित अंतराल में परीक्षित किया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भी अपनी प्रयोगशाला में हमारे संयंत्र से ट्रीटेड पानी का नमूना लेकर परीक्षण किया जाता है।

(छ) एक अलग क्षेत्र उचित शेड और अलग क्षेत्र में विभिन्न खतरनाक कचरे के भंडारण के लिए विभाजन के साथ बनाया गया है। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत एक एजेंसी निपटान के लिए इस क्षेत्र में एक ही फॉर्म एकत्र करती है।

(ज) अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग खतरनाक कचरे के भंडारण के लिए एक वैट का निर्माण किया जा रहा है। अधिकृत एजेंसी इसके निपटन के लिए इसे इसी क्षेत्र से उठाएगी।

(झ) धुआँ डिटेक्टर और फायर अलार्म लगाये गए हैं।

(ञ) बीसीपीएल के सभी कार्यालयों, फिक्ट्रियों और डिपो में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं।

(ट) बीसीपीएल की सभी इकाइयों के आसपास के अतिक्रमियों को रोकने के लिए गेट कंट्रोल सिस्टम भी शुरू किया गया है।

23 निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) और 134(5) के तहत आपके निदेशक इस बात की पुष्टि करते है कि:

i) वार्षिक लेखों को बनाने में लागू लेखा मानकों का महत्वपूर्ण विचलनों के उचित स्पष्टीकरण साथ पालन किया गया है;

ii) निदेशकों ने ऐसे लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त हैं कि वर्ष 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के कंपनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ-हानि का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।

iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा और जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचाव के लिए इस अधिनियम के अनुसार लेखों का समुचित रिकॉर्ड रखे जाने पर उपयुक्त एवं पर्याप्त ध्यान दिया है;

iv) निदेशकों ने "गोइंग कंसर्न" आधार पर वार्षिक खातों को तैयार किया है;

v) निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों के अनुपालन को सुनिचित करने के लिए समुचित प्रणालियाँ तैयार की है और ये सभी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं तथा प्रभावी तरीके से काम कर रही हैं;

24 लागत लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मैसर्स के. बनर्जी एंड क०, लागत लेखाकार को लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कुछ आकस्मिक और अपरिहार्य मुद्दों के कारण, मैसर्स के. बनर्जी एंड क० ने अपने पत्र दिनांकित 18/01/2020 के माध्यम से वर्ष 2019-20 हेतु बीसीपीएल के लगत लेखा परीक्षक के रूप से इस्तीफा दे दिया। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, लागत लेखा परीक्षक की आकस्मिक रिक्ति बीसीपीएल के बोर्ड द्वारा भरी गई और मेसर्स सत्यब्रत दासगुप्ता एंड कं0 को उसी पारिश्रमिक पर वर्ष 2019-20 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया जिसे 22/05/2019 को 38वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों ने अनुमोदित किया था। वर्ष 2019-20 के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट निर्धारित समय के अंदर केन्द्र सरकार को जमा कर दी जाएगी। वर्ष 2018-19 की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट वैधानिक समय सीमा के भीतर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को भेज दी गई थी।

25 लेखापरीक्षक

वर्ष 2019-20 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक निम्नानुसार हैं-

क्र.सं.	संस्थान का नाम	क्षेत्र
1.	मैसर्स एम चौधरी एंड क०, कोलकाता, (सीए0063)	कॉर्पोरेट कार्यालय, मुख्यालय, मानिकतल्ला, पानीहटी, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, पटना, कटक, कानपुर, मुंबई की लेखापरीक्षा, तथा समस्त भारत समेकन

26 प्रकटीकरण के विवरण

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के अनुसार, ऊर्जा के संरक्षण की जानकारी, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय की जानकारी विस्तृत रूप से निम्नानुसार है:

26.1 ऊर्जा दक्षता एवं इसका संरक्षण

मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए और भारत में ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण मुख्य रूप से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा संकटों का मुकाबला करने के लिए ऊर्जा संरक्षण हर क्षेत्र की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बीसीपीएल निम्न तरीकों से इस संबंध में योगदान दे रही है-

क) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय: ऊर्जा की बढ़ती लागत को देखते हुए, कंपनी ऊर्जा के संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है और एक ऊर्जा कुशल इकाई होना कंपनी की प्रतिबद्धता है। प्रति उत्पादन की इकाई विशिष्ट ऊर्जा खपत सभी विनिर्माण संयंत्रों में नियमित रूप से नजर रखी जाती है और सुधारात्मक कार्रवाई आवश्यकतानुसार की जाती है।

ऊर्जा संरक्षण पर कंपनी द्वारा उठाए गए कदम और उनके प्रभाव:

- विद्युत फैक्टर बढ़ाने के लिए और बिजली बिल में अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए ऑटो मोड में ऑल पावर फैक्टर करेक्शन (एपीएफसी) पैनल को हर समय में सक्षम बनाए रखते हैं जिससे मानिकतला फैक्ट्री में वर्ष 2019-20 में औसत 93 तथा 66976/- रु० की पावर फैक्टर रिबेट प्राप्त हुई है।
- एलईडी में शत-प्रतिशत प्रकाश को परिवर्तित करना जिससे प्रकाश के लिए ऊर्जा की खपत कम हो गई।
- विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए, हम विभिन्न प्रकार के मोटर ड्राइव, एचवीएसी ड्राइव, ऊर्जा कुशल उपकरणों आदि का उपयोग करते हैं। चर-गति ड्राइव या इनवर्टर का आगमन, जो मोटर में शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित करता है, शक्ति को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। अस्थिर-गति ड्राइव उन्हें धीरे-धीरे शुरू करने के बजाय पूरी गति तक बिजली की भारी उछाल के साथ करने की अनुमति देकर बिजली की मोटरों के जीवन का विस्तार कर सकते हैं।
- हमारे स्टीम बॉयलरों की ऊर्जा दक्षता (1.2T और 3T दोनों) रिसाव की पहचान और मरम्मत, बॉयलर के ब्लो-डाउन को कम करके, इन्सुलेशन में सुधार (बॉयलर और आसपास के उपकरण दोनों) तथा ताप पुनःप्राप्ति में सुधार सहित नियमित रखरखाव द्वारा बढ़ाई जाती है।
- वर्तमान लोड मांग पर विचार करने वाले तीन 1750 केवीए ट्रांसफार्मर में से किसी भी दो को बंद रखते हैं।
- पानिहटी फैक्ट्री में, फैक्ट्री परिसर के बाहर आवासीय क्वार्टर के लिए, 250KW टाइप एग्रिमेंटल लोड को 195KW हाई टेंशन रेट-A और 55KW हाई वोल्टेज डोमेस्टिक रेट-R में परिवर्तित कर दिया गया है।

- इंडस्ट्रियल टाइप एग्रीमेंटल लोड रेट-A, 195KW को 150KW तक कम कर दिया था।
- बीसीपीएल की पानिहटी फैक्ट्री सं. 2 में, हाई टेंशन एग्रिमेंटल लोड 50KW को 25KW तक कम कर दिया था।
- बीसीपीएल की पानिहटी फैक्ट्री सं. 2 में, हाई टेंशन एग्रिमेंटल लोड 25KW को हटा दिया गया क्योंकि यह प्रयोग में नहीं था।
- कुछ बैरियर की LT लाईनों को भी हटा दिया गया है क्योंकि ये भी प्रयोग में नही थी।
- कार्यालय में ऊर्जा के इष्टतम उपयोग के लिए सभी प्रकार की सावधानी जैसेकि जब भी कर्मचारी अपने कक्ष में नहीं होते हैं तब रोशनी/ पंखे/ एयर-कंडीशनर बंद करना, बरती जाती है।
- कुछ पुराने विंडो एयर कंडीशनर नया स्प्लिट एयर कंडीशनर से बदले गए है जिन्होंने ऊर्जा की खपत को कम किया है।
- मानिकतल्ला और पानिहटी फैक्ट्री के आवासीय क्वार्टरों में औद्योगिक विद्युत मीटर की जगह घरेलू विद्युत मीटर की स्थापना की गई है।

26.2 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के इस्तेमाल के लिए उठाए गए कदम:

- सामान्य प्रकाश बल्ब और ट्यूब लाइट एलईडी के साथ प्रतिस्थापित किए गए हैं।
- कंपनी सौर छत प्रणाली के लिए योजना बना रही है।

26.3 तकनीकी समावेश

क. अनुसंधान एवं विकास:

1. गृह उत्पाद प्रभाग के वाइट टाइगर उत्पाद के दो नए वेरिएंट (1.नीम 2.नींबू खुशबू), एक साबुन आधारित बहु-उपयोग क्लींजर और डिओडोरेंट लॉन्च किया गया है।.

ख. तकनीकी समावेश

- तकनीकी समावेश की दिशा में किए गए प्रयास: न्यू बेटालैक्टम ब्लॉक में ड्राईपाउडर इंजेक्शन के लिए लगाए गए उपकरण, और एयर हैंडलिंग यूनिट्स (एएचयू) उनकी परिचालन योग्यता (ओक्यू) द्वारा योग्य हैं।
- उत्पाद विकास, लागत में कमी, उत्पाद सुधार आयात प्रतिस्थापन से हुए लाभ: कारखाने में नए उपकरणों की स्थापना के परिणामस्वरूप परिसर उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार आया है और लागत भी कम हो गई है।

- आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्त वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित): कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों में किसी भी प्रौद्योगिकी का आयात नहीं किया गया है।

27 विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने विदेशी मुद्रा में कोई लेनदेन नहीं किया।

28 गुणवत्ता प्रबंधन: आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित एवं जीएमपी प्रमाणित

प्रथम भारतीय औषध कंपनी होने के नाते, बीसीपीएल प्रतिबद्धता, नवीनीकरण और सभी कर्मचारियों की टीम-वर्क की बदौलत उत्पादों की गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि के लिए अग्रणी पदर्शन में लगातार सुधार ला रही है। आपकी कंपनी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रमाणित एक आईएसओ 9001:2015 संसथान है, जो 24/07/2018 से 01/07/2020 तक वैध है। बीआईएस द्वारा 08.04.2019 को एक निगरानी ऑडिट किया गया था और उन्होंने हमारे प्रमाणपत्र को जारी रखने के लिए सिफारिश की थी, क्योंकि वे आईएसओ आवश्यकताओं के अनुसार आपकी कंपनी की गुणवत्ता प्रणाली के प्रदर्शन से संतुष्ट थे।

गुणवत्ता आश्वासन हेतु बीसीपीएल गुणवत्ता स्थायित्व टेस्ट करती है और यह टेस्ट मासिक आधार पर उत्पाद की शेल्फ लाइफ के अंत तक किया जाता है। संकलित टेस्ट रिपोर्ट निदेशक मंडल के सामने इसकी समीक्षा और सुझाव के लिए पेश की जाती है।

कानपुर यूनिट: औषधि नियमों के अनुसार, ड्रग्स लाइसेंसिंग और नियंत्रण प्राधिकरण उत्तर प्रदेश ने 18/12/2019 को कानपुर फैक्ट्री को जीएमपी और जीएलपी प्रमाणपत्र जारी किया है जो 31/12/2022 तक वैध है।

29 कंपनी (नियुक्ति और प्रबन्धकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) के अनुसार कर्मचारियों के लिए वैधानिक सूचना नियम के संबंध में2014

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की 05 जून 2015 की अधिसूचना के संदर्भ में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और इसके तहत बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होंगे।

30 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) तथा स्थिरता

बीसीपीएल ने सीएसआर एवं स्थिरता विकास नीति को अपनाया है, जिसे बोर्ड स्तरीय सीएसआर एवं स्थिरता विकास समिति, तथा निदेशक मंडल ने इनकी बैठकों में विधिवत रूप से अनुमोदित किया था। वर्ष 2019-20 के दौरान, बीसीपीएल ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 18.66 लाख रु० की राशि का योगदान दिया है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) तथा स्थिरता विकास पर रिपोर्ट इस रिपोर्ट में **सलंग्न-III** में दी गई है।

31 ''स्वच्छ भारत अभियान'' के तहत पहल

आपकी कंपनी पहले ही अपने "गृह उत्पाद प्रभाग" के अंतर्गत विभिन्न कीटाणुनाशक और साफ-सफाई उत्पादों जैसे ब्लीचिंग पाउडर, फिनोल, नैप्थालीन बाल्स, क्लीन टायलेट आदि का उत्पादन करती है और इन उत्पादों की विभिन्न

अस्पतालों और सरकारी संगठनों में आपूर्ति कर रही है और "स्वच्छ भारत अभियान" में अपना योगदान दे रही है। आपकी कंपनी के प्रभाग III के उत्पादों की औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने भी स्वच्छ भारत अभियान हेतु सिफारिश की है। इसके अलावा, बीसीपीएल ने दिनांक 01/09/2019 से 15/09/2019 तक "स्वच्छ भारत पखवाड़ा" भी मनाया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने भाग लिया और फैक्ट्री/ कार्यालय परिसर और संलग्न रोड/ क्षेत्र की सफाई की। स्वच्छ भारत पखवाडा की कुछ गतिविधियों का विवरण निन्नानुसार है-

क) बीसीपीएल के सभी कर्मचारियों द्वारा सामूहिक प्रतिज्ञा और स्वच्छ भारत मिशन के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसार।

ख) बैनर का प्रदर्शन, पुराने रिकॉर्ड की स्कैनिंग और पुरानी फाइलों को बाहर निकालना।

ग) कार्यालय/ फैक्ट्री परिसर में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं।

घ) स्वच्छ भारत के संबंध में पैम्फलेट का वितरण।

ङ) फैक्टरी/ कार्यालय परिसर में कार्य क्षेत्रों में कीट नियंत्रण करना।

च) अपशिष्ट निपटान प्रणाली की दिशा में सफाई अभियान चलाना।

छ) एक्सपायर हो चुकी दवाइयों का डिस्पोजल, पेपर रिसाइकलिंग के लिए प्लांट लगाना।

ज) कार्यालय / कारखाने और आस-पास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान।

झ) स्वछता ऑडिट का संचालन करना और स्वच्छता अभियान चलाना।

32 वार्षिक विवरण का सार

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार, निदेशकों की रिपोर्ट के साथ फॉर्म एमजीटी-7 (वार्षिक रिटर्न) बीसीपीएल की आधिकारिक वेबसाइट: www.bengalchemicals.co.in पर अपलोड किया गया है।

33 कानून का अनुपालन

आपकी कंपनी सभी लागू कानूनों का अनुपालन करती है। सभी विभागाध्यक्षों से उनके क्षेत्र से संबधित सभी कानूनों के अनुपालन का एक प्रमाण पत्र तिमाही आधार पर लिया जाता है और कंपनी के लिए लागू कानूनों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट तिमाही आधार पर बोर्ड की बैठक में इसकी समीक्षा एवं सुझाव के लिए प्रस्तुत की जाती है।

34 सरकार के दिशानिर्देशों, नीतियों तथा सचिवीय मानकों का अनुपालन

लोक उद्यम विभाग और औषध विभाग और अन्य सरकारी प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश और नीतियों का सचिवीय मानकों सहित अनुपालन किया गया है।

35 ऋण, गारंटी या निवेश के विवरण

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत किसी भी तरह का ऋण/ किसी भी तरह की गारंटी एवं सुरक्षा/ कोई निवेश नहीं किया है।

36 ऋण अदायगी

भारत सरकार का ऋण: भारत सरकार ने अधिकतर 2005 से 2011 के दौरान 10642 लाख रुपये का योजना ऋण और 2310 लाख रुपये का गैर-योजना ऋण दिया है। 31/03/2020 को योजना ऋण में 900 लाख रूपए शेष तथा गैर-योजना ऋण में 1749 लाख रूपए शेष था तथा बाकि राशि का पिछले चार वर्षों में पुनर्भुगतान कर दिया गया है।

37 निदेशक 'नियुक्ति और पारिश्रमिक पर नीति

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, कार्यकारी निदेशकों सहित सभी निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। प्रबंध निदेशक को 2007 के वेतनमान के 65000-75000 रुपये के वेतनमान पर नियुक्त किया जाता है, और निदेशक (वित्त) को 2007 के वेतनमान के 51300-73000 रुपये के वेतनमान पर नियुक्त किया जाता है। उनके नियमों और शर्तों को भी प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात् औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है।

38 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक का घोषणापत्र

गैर-शासकीय (स्वतंत्र) निदेशक का पद 09/08/2019 से रिक्त है, बीसीपीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए एक पत्र प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा गया है।

हालाँकि, श्री एस.के. रॉय चौधरी, स्वतंत्र निदेशक (08/08/2019) ने घोषणा की थी कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में दिए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

39 डिपोजिट

कंपनी ने किसी भी तरह का डिपोजिट नहीं लिया है, जोकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय 5 के अंतर्गत आता हो और जो इसके अनुपालन में नही है।

40 संबंधित पार्टी के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने संबंधित पार्टी के साथ किसी भी तरह का अनुबंध या व्यवस्था नहीं किया है।

41 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम

लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय द्वारा एमएसएमई के लिए अधिसूचित सार्वजनिक क्रय नीति के तहत, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने 5399.68 लाख रूपए की खरीद (प्रोप्राइट्री आइटम, ब्रांडेड/ लोन लाइसेंसिंग आइटम को छोड़कर) में से लघु एवं मध्यम उपक्रम से 1685.56 लाख रूपए का माल क्रय किया, जो 31.45% है। एम.एस.एम.ई से क्रय का विवरण निम्नानुसार है:

2019-20 में क्रय का विवरण	मूल्य रूपए लाख में	प्रतिशत
कुल क्रय	5399.68	100%
एमएसएमई से क्रय (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं सहित)	1685.56	31.45%

इसके अलावा, 31/03/2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं का कुछ भी देय/ बकाया नही है।

42 जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन कंपनी की रणनीतिक योजना का एक अभिन्न हिस्सा है। कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। आपकी कंपनी ने निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है। एक जोखिम प्रबंधन समिति भी गठित की गई है जिसकी तिमाही बैठक होती है और यह अपनी संकलित रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करती है।

43 प्रचार एवं जनसंपर्क

आपकी कंपनी को निम्नलिखित तरीकों के माध्यम से विशाल सार्वजनिक दृश्यता और ब्रांड को बढ़ावा देने में फायदा हुआ है:

विधि	विवरण
प्रिंट मीडिया	पत्रिकाओं, और प्रमुख समाचार पत्रों में प्रदर्शन
प्रदर्शनी	स्थानीय प्रदर्शनी: पानीहाटी उत्सव

44 अन्य वैधानिक प्रकटीकरण

44.1 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ।

44.2 मैसर्स यूईएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय एनसीएलटी द्वारा बीसीपीएल के दिवालिया और दिवालियापन के लिए एक आदेश पारित किया गया था, जिसे हल कर दिया गया है और माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, कोलकाता बेंच ने भी निपटान के पूरा होने तथा कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया के समाप्त होने का आदेश पारित किया है।.

44.3 एक सरकारी कंपनी होने के नाते, बीसीपीएल को निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन और बोर्ड की रिपोर्ट में मूल्यांकन तंत्र के संबंध में प्रकटीकरण से संबंधित वैधानिक प्रावधानों से छूट प्राप्त है।

44.4 तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय विवरणों/ रिपोर्टों का कोई संशोधन नहीं हुआ।

44.5 वर्ष के दौरान, कंपनी की पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

44.6 न्यायिक निकायों/ विनियमों के महत्वपूर्ण आदेश:

बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय: बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की स्थिति इस रिपोर्ट के कॉलम संख्या 7 में उल्लिखित है।

अभिस्वीकृति

वर्ष 2019-20 के दौरान, निदेशक सभी अंशधारकों द्वारा दिये गए वहुमूल्य सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशक तहे-दिल से भारत सरकार विशेष रूप से औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, और विभिन्न राज्य सरकारों, विनियामकों और सांविधिक प्राधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों और अभ्यासरत पेशेवरों का उनके सहायता, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करते हैं। निदेशक मंडल सभी बैंकर्स, हितधारकों, ग्राहकों, सलाहकारों, ठेकेदारों और विक्रेताओं को भी उनके निरंतर सहायता और कंपनी पर विस्वास बनाए रखने के लिए लिए धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशक सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों और यूनियन को भी कंपनी की तरक्की में वहुमुल्य योगदान और सहायता देने के लिए तथा इसे पिछले चार सालों से निरंतर लाभ कमाने वाली कंपनी बनाने के लिए हार्दिक धन्यवाद करते हैं।

निदेशक मंडल की तरफ से

ह/-
(पीएम चंद्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06970910

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक शासकीय निदेशक
[सरकार नामित निदेशक]
डीआईएन: 07562190

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11/05/2020

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Cantharidine
Hair Oil
100 ml
200 ml
400 ml
Eutheria Ointment
20 gm
Eutheria
lalani
e-TECH
ACHARYA PRAFULLA CHANDRA RAY

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

आपके निदेशक सभी शेयरधारकों को बताना चाहते हैं कि कंपनी के पास कोलकाता (मानिकतल्ला एवं पानीहाटी), मुम्बई और कानपुर में ड्रग्स और फार्मूलेशन, औद्योगिक रसायन और प्रसाधन एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के उत्पादन के लिए इसकी अपनी विनिर्माण सुविधाएँ हैं। कंपनी के उत्पाद तीन प्रभागों में वर्गीकृत किए गए हैं जैसे प्रभाग I-औद्योगिक रसायन, प्रभाग II-ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, तथा प्रभाग-III: गृह उत्पाद। प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण नीचे दिए गए हैं:

वैश्विक औषधि उद्योग

औषधि उद्योग, दवाओं के विकास, उत्पादन और विपणन के लिए जिम्मेदार है। उद्योग ने रोगी कल्याण सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वैश्विक औषधि क्षेत्र में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारत दुनिया भर में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। भारतीय औषधि क्षेत्र उद्योग विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग का 50 प्रतिशत, अमेरिका में सामान्य मांग का 40 प्रतिशत और यूके में सभी दवाओं के 25 प्रतिशत की आपूर्ति करता है। देश में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक बड़ा पूल भी है, जिनके पास उद्योग को और भी आगे उच्च स्तर तक पहुंचाने की क्षमता है। वर्तमान में विश्व स्तर पर एड्स (एक्वायर्ड इम्युनो डिफीसिअन्सी सिंड्रोम) का मुकाबला करने के लिए 80 फीसदी एंटीरेट्रोवाइरल दवाओं का उपयोग किया जाता है जिसकी आपूर्ति भारतीय औषध फर्मों द्वारा की जाती है।

अनुसन्धान के अनुसार, वैश्विक औषधि उद्योग 2023 तक 1.57 ट्रिलियन यूएस डॉलर होगा। दुनिया भर में सरकारें बढ़ती स्वास्थ्य लागतों के दबाव का सामना कर रही हैं, इस प्रकार आवश्यकता के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उत्पादों को सस्ता बनाने में जेनरिक के महत्व और उनकी भूमिका पर जोर दिया जा रहा है।

बाजार का आकार

भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के मामले में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के मामले में 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 14389 मिलियन यूएस डॉलर की दवाओं का निर्यात किया। भारत ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3911 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य की बल्क ड्रग/ ड्रग इंटरमीडिएट का भी निर्यात किया। हालांकि, देश दवाओं के उत्पादन के लिए विभिन्न बल्क ड्रग्स/ एक्टिव फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) का भी आयात करता है। बल्क ड्रग्स/ ड्रग इंटरमीडिएट के कुल आयात का दो-तिहाई चीन से आता है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में बल्क ड्रग्स, इंटरमीडिएट, ड्रग फॉर्मूलेशन, बायोलॉजिकल, आयुष और हर्बल उत्पाद और सर्जिकल आदि शामिल हैं।

भारतीय कंपनियों को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) से 304 एब्रिविएटिड न्यू ड्रग एप्लिकेशन (एएनडीए) अनुमोदन प्राप्त हुए हैं। देश, यूएस जेनेरिक मार्केट में लगभग 30 फीसदी (मात्रा के हिसाब से) और करीब 10 फीसदी (मूल्य के हिसाब से) 70-80 बिलियन यूएस डॉलर है। भारत के बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में बायो-फार्मास्यूटिकल्स, बायो-सर्विसेज, बायो-कृषि, बायो-उद्योग और बायोइन्फार्मेटिक्स शामिल हैं, जो प्रति वर्ष लगभग 30 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़ने और 2025 तक 100 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

निवेश और नवविकास

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ शर्तों के अधीन चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देने के लिए फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर ने अप्रैल 2000 और मार्च 2019 के बीच 15.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी एफडीआई आकर्षित किया है।

भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में हाल के कुछ विकास/ निवेश इस प्रकार हैं:

- भारतीय फार्मा उद्योग पिछले पांच वर्षों से 15% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) में वृद्धि कर रहा है और इसके विकास के महत्वपूर्ण अवसर हैं।
- भारतीय दवा कंपनियां विनियमित और अर्द्ध-विनियमित बाजारों में निर्यात के अवसर पर पूंजीकरण कर रही हैं।

भारत सरकार ने फार्मास्यूटिकल उत्पादों को अधिक किफायती बनाने और जेनरिक के प्रचार को बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जनसंख्या के निम्न-आय वर्ग के लिए स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। सरकार के औषध विभाग द्वारा 'फार्मा विजन 2020' का लक्ष्य है कि शुरू से अंत तक दवा की खोज के लिए भारत को एक प्रमुख केंद्र बनाना है।

रसायन उद्योग

भारतीय रसायन उद्योग अत्यधिक विविध है, जो 80000 से अधिक वाणिज्यिक उत्पादों का आवरण करता है। इसे बड़े पैमाने पर बेसिक केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स में वर्गीकृत किया गया है। मध्य पूर्व के लिए भारत की निकटता, पेट्रोकेमिकल्स फीडस्टॉक के दुनिया के स्रोत, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बनाती है। भारत एक मजबूत वैश्विक डाई आपूर्तिकर्ता है, जो दुनिया के लगभग 16% डाईस्टफ और डाई इंटरमीडिएट उत्पादों का उत्पादन करता है। भारत में रसायन उद्योग को कुछ खतरनाक रसायनों को छोड़कर डी-लाइसेंस्ड किया गया है। आगामी प्लास्टिक पार्क रसायन और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे। भारतीय रसायन उद्योग में छोटे पैमाने के साथ-साथ बड़े पैमाने की इकाइयाँ भी शामिल हैं। "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम की पहल के साथ, भाप, निवेश, नवाचार और बुनियादी ढांचा प्राप्त करना रासायनिक उद्योगकर्ताओं के लिए एक प्रमुख क्षेत्र बनने जा रहा है। भारतीय रसायन उद्योग को 15-20% की वार्षिक विकास दर को देखते हुए, 2025 तक 304 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। रासायनिक क्षेत्र में कुछ खतरनाक रसायनों के अलावा रासायनिक क्षेत्र में स्वतः मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। देश का रसायन उद्योग दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है, जो वर्तमान में उत्पादन के मामले में एशिया में तीसरे और वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर भारतीय रसायन उद्योग, रसायन (दवाई उत्पादों को छोड़कर) निर्यात में 14वें स्थान और आयात में 8वें स्थान पर है। अगले 5 वर्षों में रासायनिक उत्पादों की मांग लगभग 9% प्रति वर्ष बढ़ने की उम्मीद है।

कृषि रसायन, सौंदर्य प्रसाधन और प्रसाधन सामग्री, एसेंशियल आयल और कस्टर आयल सहित डाई और डाई मध्यवर्ती, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों का कुल निर्यात वर्ष 2018-19 के दौरान 19.09 बिलियन यूएस डॉलर और 2019-20 में 16 बिलियन यूएस डॉलर (लगभग) रहा।

अमेरिका, यूएई, यूके, बांग्लादेश और सऊदी अरब सौंदर्य प्रसाधन, प्रसाधन और आवश्यक तेलों के प्रमुख आयातक हैं। 2019-20 के दौरान, कार्बनिक, अकार्बनिक और कृषि रसायनों का निर्यात 863.38 मिलियन यूएस डॉलर, 7.14 बिलियन यूएस डॉलर, 2.83 बिलियन यूएस डॉलर रहा।

उत्पाद समूहों जैसे डाई और डाई मध्यवर्ती, बेसिक इन-आर्गेनिक और आर्गेनिक रसायनों का संवर्धन, जिसमें कृषि-रसायन, सौंदर्य प्रसाधन, आवश्यक तेल, अगरबत्ती, कस्टर आयल और इसके डेरिवेटिव शामिल हैं, बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल द्वारा किया जाता है, जिसे CHEMEXCIL के रूप में जाना जाता है। परिषद विदेशों में संभावित बाजारों की पहचान करने और प्रचार प्रदान करने और बैक-अप प्रदान करने में मदद करने के लिए प्रचार कार्यक्रमों और मेलों का आयोजन करती है।

घरेलू उत्पादन को मजबूत करने के लिए, आयात पर अंकुश लगाने के लिए, और क्षेत्रों पर नई नीतियों के कार्यान्वयन द्वारा मजबूत बाजार का आकार सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है। सरकार एक मसौदा रासायनिक नीति पर भी काम कर रही है जो रसायनों की बढ़ती मांग को पूरा करने और आयात को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

सरकार इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा, सरकार छोटे पैमाने के क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित रासायनिक वस्तुओं की सूची को लगातार कम कर रही है, जिससे प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण में अधिक निवेश की सुविधाजनक है। आगामी पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) और प्लास्टिक पार्क रसायन और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे।

1. बीसीपीएल के वृद्धि के कारक

- निम्नलिखित प्लांट का आधुनिकीकरण:
  - क) बीटालेक्ट्म ब्लाक
  - ख) ऑइंटमेंट एंड एक्सटर्नल सोल्यूशन ब्लाक
  - ग) इन्जेक्टिबल ब्लाक
- जीएमपी अनुपालन और आईएसओ 9001 प्रमाणित कंपनी
- हाइड्रोक्सीक्लोरोक़ुइन (एचसीक्यू) के उत्पादन के लिए लाइसेंस
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बीसीपीएल के उत्पादों की उपलब्धता
- पश्चिम बंगाल और मुंबई में कई रिटेल स्टोर खोले गए हैं
- जनशक्ति का इष्टतम उपयोग
- वेंडर आधार का विस्तार
- ब्रांड एक्सटेंशन का परिचय

- मैन्युअल संचालन से स्वचालन में स्थानांतरित कर दिया गया है
- बिक्री/ वितरण नियमावली का कार्यान्वयन
- केंद्रीकृत लेखा प्रणाली, पेरोल भुगतान, क्रय, बिल प्रोसेसिंग, बिल बसूली, बायोमेट्रिक उपस्थिति, सीसीटीवी की स्थापना आदि का कार्यान्वयन
- सभी अग्रिम समायोजित/ पुनर्प्राप्त

2. प्रोडक्ट प्रोफाइल, खंड अनुसार और उत्पाद अनुसार प्रदर्शन

वर्तमान में, आपकी कंपनी तीन श्रेणियों के अंतर्गत उत्पाद बनाती है जो कि:

- प्रभाग-I: औधोगिक रसायन
- प्रभाग-II: फार्मास्यूटिकल्स
- प्रभाग–III: गृह उत्पाद

औषधि उत्पाद खंड कंपनी की टर्नओवर में उच्चतम योगदान देता है और इस खंड ने 2019-20 के दौरान गत वर्ष 2018-19 में 65% और 2017-18 में 64% की तुलना में कुल टर्नओवर में 53% का योगदान दिया है। दूसरा सबसे बड़ा खंड प्रसाधन और गृह उत्पाद प्रभाग है जिसने वर्ष 2019-20 के दौरान गत वर्ष 2018-19 में 30% और वर्ष 2017-18 में 31% की तुलना में कंपनी की कुल टर्नओवर में 43% का योगदान किया है। खंड-वार कंपनी के संचालन का विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है:

(रूपये लाख में)

क्र.सं	उत्पाद खंड	2017-18		2018-19		2019-20	
		टर्नओवर	%	टर्नओवर	%	**टर्नओवर**	**%**
1	औषधि	4966.92	64	6544.45	65	**3675.39**	**53**
2	प्रसाधन एवं गृह उत्पाद	2404.19	31	3020.00	30	**3036.67**	**43**
3	रासायन	430.04	5	486.58	5	**315.64**	**4**
	कुल	7801.15	100	10050.06	100	**7027.70**	**100**

3. स्वॉट विश्लेषण

(i) शक्ति

- भारत की पहली रसायन और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, जिसकी स्थापना प्रख्यात वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने की है, होने के नाते, बीसीपीएल सबसे प्रख्यात पीएसयू में से एक है।
- ब्रांड और गुणवत्ता वाले उत्पादों की मजबूत छवि जैसे कि फिनोल, नेफ़थलीन बॉल्स, ब्लीचिंग पाउडर आदि।
- जीवन रक्षक दवाओं की अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा
- पूरे देश में डिपो, सी एंड एफए और रिटेल स्टोर्स के बड़े वितरण नेटवर्क

- ड्रग कंट्रोल और बीआईएस दिशानिर्देशों के अनुसार उत्पादन किया जा रहा है।
- बीसीपीएल के सभी कार्यालय शहरों में स्थित हैं और इनमें परिवहन की आकर्षक सुविधाएँ हैं।
- नए उत्पाद निर्माण के साथ लागत प्रबंधन
- शून्य श्रमिक अशांति
- जनशक्ति का इष्टतम उपयोग
- कंपनी में सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखना तथा कर्मचारियों के बीच अच्छी कार्य संस्कृति विकसित करना।
- ड्राई पाउडर इंजेक्शन का इन-हाउस उत्पादन कमीशन किया गया है
- एक प्रसिद्ध "ब्रांड नाम" के साथ भारत या विदशों में अनुकूल बाजार की स्थिति में नए बाजार क्षेत्रों में प्रवेश करने में सक्षम है।
- मानिकतल्ला वर्क्स में टेबलेट (बीटालैक्टम और नॉन-बीटालैक्टम), कैप्सूल (बीटालैक्टम), ऑइंटमेंट, ड्राई पाउडर इंजेक्शन की विशेषता वाले विभिन्न वेरिएंट की गुणवत्ता को बनाए रखने में सक्षम है।
- नए उत्पाद विकास के लिए गुंजाइश है।

(ii) दुर्बलता/ जोखिम चिंता

- विज्ञापन और ब्रांड प्रचार के लिए कम पहल
- अनुरूप उद्यमियों के साथ प्रतिस्पर्धा
- उत्पाद सुधार और नए उपक्षेप की सुविधाओं का अभाव
- दक्षता और पर्याप्त कौशल का अभाव
- कम क्षमता का उपयोग
- खराब वेतन के कारण सर्वश्रेष्ठ पेशेवरों को आकर्षित करने और बनाए रखने में समस्या
- अधिकतर सरकारी संस्थाओं के लिए बिक्री पर निर्भर हैं
- उत्पादन अधिकारियों की कम संख्या के कारण उत्पादन विशेष रूप से बैच विनिर्माण रिकॉर्ड के साथ जुड़े प्रलेखन कार्य में असुविधा
- पुराणी मशीन एवं यंत्र
- ऑपरेशन अभी भी मैनुअल ऑपरेशन मोड पर है
- आईटी बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति और सभी कार्यों का सरेंखन
- उचित क्यूए और क्यूसी सेटअप का अभाव

(iii) अवसर

- विशेष रूप से एंटीबायोटिक और जेनरिक सेगमेंट में फार्मास्यूटिकल्स बाजार की लगातार वृद्धि
- भारत में मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी चिकित्सा क्षेत्रों का विस्तार
- गृह उत्पाद/ स्वच्छता उत्पादों का बड़ा आधार जो लगातार विस्तार कर रहा है।

- उत्पाद पता लगाने की क्षमता और प्रमाणन
- स्वच्छ भारत अभियान
- स्वास्थ्य बीमा में अधिक निवेश
- उत्पादन विविधीकरण
- चिकित्सा के बुनियादी ढांचे के विस्तार
- कोविड-19 महामारी के खतरे के परिणामस्वरूप आउटपुट टैबलेट और कैप्सूल के उत्पादन के संबंध में कई गुना बढ़ जाएगा और क्षमता उपयोग बढ़ जाएगा।
- जेनरिक की वैश्विक मांग
- पार्टियों का सकारात्मक दृष्टिकोण
- फेरिक एल्म, फिनाइल, नैप्थलीन, ब्लीचिंग पाउडर और अन्य डिवीजन III के उत्पादों की उच्च मांग है।
- नए लॉन्च किए गए निर्गन्धीकृत फ्लोर क्लीनर की उच्च मांग।

(iv) चुनौतियाँ

- कई स्थानीय कंपनियां तीव्र प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे है
- प्रमुख प्रतिस्पर्धी ब्रांडों की मजबूती का स्तर हमारी विशिष्टता लुप्त कर रही है
- जनशक्ति/ क्षेत्रीय शक्ति को प्रतिस्पर्धा के प्रति बढ़ावा देने के लिए
- बीसीपीएल में एपीआई/ एक्षिपिएन्ट निर्माताओं की दिलचस्पी कम है
- बाजार में नकली उत्पाद (बीसीपीएल मुद्रांकित)
- बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतियोगिता
- पुराने बिक्री और विपणन तरीके
- मूल्य निर्धारण की नीतियां
- निर्माण की उच्च लागत
- कोविड-19 के कारण अस्थिर बाजार के कारण एपीआई और एक्षिपिएन्ट के मूल्य में वृद्धि
- लॉकडाउन और कोविड-19 के कारण परिवहन बाधा
- कानपुर कारखाने में लगातार ऊर्जा स्फीतिकरण
- कौशल विकास कार्यक्रम / प्रशिक्षण का अभाव
- कार्यबल अकुशल है और कम दक्ष है।.

4. जोखिम और चिंता

➢ बीसीपीएल ने एक बोर्ड स्वीकृत जोखिम प्रबन्धन निति को अपनाया है जो कंपनी में उपक्रम जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र रूपरेखा प्रदान करती है। डीपीई द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बीसीपीएल ने एक 'जोखिम प्रबंधन समिति' बनाई है जिसे कंपनी के जोखिम प्रशासन संरचना, जोखिम आकलन और जोखिम प्रबंधन ढांचा, दिशानिर्देश, नीतियां और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन समिति जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और कार्यान्वित करने और कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है।

जोखिम प्रबंधन नीति के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जोखिमों की समीक्षा जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा इसकी तिमाही बैठकों में की जाती है, और इन बैठकों की बैठक कार्यवाही के साथ अनुपालन रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड को उनकी समीक्षा और सुझावों के लिए प्रस्तुत की जाती है।

➢ **कोविड-19 के कारण जोखिम का आकलन**

कोविड-19 के इस अभूतपूर्व समय के दौरान, दवाई कंपनियां आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बदलने की आवश्यकता से उत्पन्न तीव्र चुनौतियों का जवाब दे रही हैं। हालांकि, बीसीपीएल के मामले में, यह अपनी पनिहाटी फैक्ट्री में होम प्रोडक्ट्स का निर्माण भी करती है, इसलिए, कंपनी के समग्र प्रदर्शन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के कारण, मुख्य रूप से चीन से एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रिडिएंट्स की आपूर्ति प्रभावित हुई है।

5. दृष्टिकोण

आपकी कंपनी की फार्मा उत्पादों में क्रोनिक थेरेपी सेगमेंट जैसे विशेष रूप से आर्टेराईटिस, उच्च रक्तचाप, हाइपरग्लाइसेमिया और डिस्लिपिडेमिया जैसे को बढ़ाने की योजना है। कंपनी क्रॉनिक डिसऑर्डर और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के जटिल प्रबंधन में अपनी उपस्थिति में विविधता लाना चाहती है, जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरत है।

इसके अलावा, कंपनी की योजना घरेलू और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता और सफाई की जरूरतों में नए उत्पादों को लाने की है।

6. आंतरिक नियंत्रण पद्धति और उसकी पर्याप्तता

कंपनी के संचालन के आकार के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है। इसका आंतरिक लेखा परीक्षा सेल कोलकाता में इसके कॉरपोरेट कार्यालय में स्थित है, जिसका प्रमुख मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक है। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग नियमित आडिट, प्रणाली की समीक्षा के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभाव की जांच करता है और कंपनी के कानूनी, विनियामक और आंतरिक नीतियों के अनुपालन पर आश्वासन प्रदान करता है।

इसके अलावा आंतरिक लेखापरीक्षा टीम उस तरह की प्रणाली, नियंत्रण और उन रिपोर्टों जिन पर लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है, की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को जारी रखती है। इसके

अलावा, वर्ष 2019-20 के दौरान, बीसीपीएल ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में काफी सुधार किया है और कंपनी में वित्तीय रिसाव को भी नियंत्रित किया है। बीसीपीएल ने कंपनी में लेखापरीक्षा के निम्नलिखित पांच स्तरीय प्रणाली को भी अपनाया और कार्यान्वित किया है:

(i) बैंकिंग लेनदेन जांचपरीक्षा

(ii) आंतरिक लेखापरीक्षा

(iii) सीएजी द्वारा नियुक्त, ऑडिट फर्म द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा

(iv) वस्तु एवं सेवा कर लेखापरीक्षा और

(v) कैग लेखापरीक्षकों के द्वारा सरकारी लेखापरीक्षा

इन सभी प्रयासों के कारण, कंपनी हेरफेर, गलतियों और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को रोक सकती है।

7. परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने गत वर्ष की 10050 लाख रूपए की टर्नओवर की तुलना में 7028 लाख रुपये की टर्नओवर हासिल की, और गत वर्ष 2018-19 के 2526 लाख रूपए के लाभ की तुलना में 1446 लाख रूपए का लाभ रिपोर्ट किया। आपकी कंपनी ने लगातार चार वर्षों तक शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया है और भविष्य में भी शुद्ध लाभ अर्जित करने के लिए विश्वस्त है।

8. मानव संसाधन, औद्योगिक संबधों, और कार्यरत लोगों की संख्या में भौतिक विकास

कंपनी अपने कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करती है और इसके विकास के लिए उनके कौशल और क्षमताओं को अद्यतन करती है और साथ ही उत्पादन, विपणन और लेखांकन गतिविधियों की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि करती है।

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण और अनुकूल बने रहे। कर्मचारी संगठन में कर्मचारियों ने एक सक्षम प्रदर्शन संस्कृति को विकसित करने और बनाए रखने में प्रबंधन के प्रयासों को पूरा किया। कंपनी की विभिन्न नीतियों को अंतिम रूप देते समय कर्मचारियों के विचारों को भी समय-समय पर ध्यान में रखा जाता है।

नवम्बर 2019 में 2007 वेतनमान भी कंपनी में कार्यान्वित किया जा चुका है।

9. पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, विदेशी मुद्रा संरक्षण

(i) **पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण:**

पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता का पालन करने के लिए, फैक्ट्री परिसर में और आसपास के क्षेत्र में पेड़ लगाये जाने, पर्यावरण के अनुकूल कच्चे माल का उपयोग, ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था की स्थापना, प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करने पर महत्व दिया गया है। कर्मचारी बिजली के उपकरणों जैसे रोशनी, पंखों, कंप्यूटर, जब वे प्रयोग में नहीं हैं, को बंद करके ऊर्जा की खपत में कमी के प्रति संवेदनशील हैं।

(ii) **प्रौद्योगिकी संरक्षण:**

तकनीकी संरक्षण के रूप में, बीसीपीएल ने कुछ उत्पादों के माध्यमिक और तृतीयक पैकेजों में बार-कोडिंग और क्यूआर कोडिंग लागू की है। इस तकनीक का मुख्य लाभ गोदाम/ स्टॉक पॉइंट में उत्पादों का बेहतर अनुरेखण करना है।

(iii) **विदेश मुद्रा संरक्षण:**

वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने विदेशी मुद्रा में कोई भी लेनदेन नहीं किया।

सजग वक्तव्य

कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करते हुए इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में विवरणों को, लागू कानूनों और विनियमों के अंतर्गत देख सकते हैं। वास्तविक परिणाम, दिये गये परिणामों से थोड़ा बहुत अलग या भिन्न रूप से व्यक्त या लागू हो सकते हैं। मुख्य कारक कंपनी के कार्यों में निहित वैश्विक और भारतीय मांग पूर्ति के शर्तों और तैयार माल की कीमतों, कंपनी के प्रधान बाजार में प्रतियोगी कीमतों, सरकारी नियमों में परिवर्तन, कर नियम, भारत की आर्थिक अवस्था में थोड़ा फर्क दिखा सकती है।

निदेशक मंडल की तरफ से

ह/-
(पीएम चंद्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06970910

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक सरकारी निदेशक
[सरकार नामित निदेशक]
डीआईएन: 07562190

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11/05/2020

BENGAL CHEMICALS & PHARI
(A GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL STORES & DISTRIBU
INAUGURATED BY
SHRI PM CHANDRAIAH
ON 26TH JANUARY

BENGAL CHEMICAL CLUB

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी की दार्शनिकता

कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि उचित कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी के सभी हितधारकों के लिए स्थायी रूप से लाभार्जन करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मुख्य रूप से पारदर्शिता, महत्वपूर्ण तथ्यों के संपूर्ण प्रकटीकरण, बोर्ड की स्वतंत्रता और हितधारकों के प्रति ईमानदारी से संबधित होती है। कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी को लागू अन्य कानूनों के नियमों एवं प्रावधानों और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसईस के लिए जारी किये गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों, तथा सचिवीय मानकों के अनुपालन के लिए वचनबद्ध है।

1. निदेशक मंडल

1.1. बोर्ड की संरचना

बीसीपीएल के सभी निदेशक प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में दो निदेशक नामत: निदेशक (वित्त), एक अंशकालिक शासकीय निदेशक [सरकार नामित] कार्यरत है।

1.2. निदेशक मंडल की संरचना, निदेशकों की श्रेणी, बोर्ड की बैठक में उपस्थिति, और वार्षिक आम बैठक (एजीएम), और वर्ष 2019-20 के दौरान अन्य निदेशक पद के विवरण नीचे दिए गए हैं:

निदेशकों के नांम	श्रेणी	बोर्ड बैठकों में उपस्थित	38वीं आम बैठक में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक पद (बीसीपीएल के अलावा)	कार्यकाल (से प्रभावी)
(i) पूर्णकालिक/ कार्यात्मक निदेशक					
श्री पीएम चन्द्रया डीआईएन: 06970910	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)*	5	हां	शून्य	25/11/2014
(ii) सरकार नामित/ अंशकालिक शासकीय निदेशक					
श्री जितेन्द्र त्रिवेदी, निदेशक (पीएसयू), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग डीआईएन: 07562190	निदेशक	5	हाँ	2 (केएपीएल, आरडीपीएल)	06/07/2016

निदेशकों के नांम	श्रेणी	बोर्ड बैठकों में उपस्थित	38वीं आम बैठक में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक पद (बीसीपीएल के अलावा)	कार्यकाल (से प्रभावी)
(iii) **स्वतंत्र/ अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक**					
श्री एस.के. रॉय चौधरी, स्वतंत्र निदेशक [अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक] डीआईएन: 00757497	निदेशक	2	हाँ	शून्य	09/08/2016 से 08/08/2019

* औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने श्री पीएम चन्द्रय्या, निदेशक (वित्त) को 01/06/2016 से प्रारंभिक तीन महीनों हेतु बीसीपीएल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था, जिसे समय-समय पर 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाया गया है।

** इस्तेमाल किए गए संकेताक्षर-

- केएपीएल- कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
- **आरडीपीएल- राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड**

टिप्पणियाँ-

वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशकों/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति या पद से इस्तीफा और उसके बाद इस रिपोर्ट तक की तारीख तक नीचे उल्लिखित है:

नियुक्तियां: औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आदेश संख्या "एफ.नं.25012/1/2014-पीएसयू-1/(वीओएल-II)", दिनांक 27 अगस्त 2019 के अंतर्गत श्री पीएम चंद्रय्या जी को 01/09/2019 से 24/11/2019 तक फिर से प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। इसके अलावा, प्रशासनिक मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2019 के अंतर्गत श्री पीएम चंद्रय्या जी को 25/11/2019 से 28/02/2020 तक फिर से प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। प्रशासनिक मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 01 जनवरी 2020 के अंतर्गत श्री पीएम चंद्रय्या जी को 01/03/2020 से 31/08/2020 तक फिर से प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

प्रशासनिक मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांकित 18 नवम्बर 2019 के अंतर्गत श्री पीएम चंद्रय्या, निदेशक (वित्त) का कार्यकाल अगले एक वर्ष अर्थात 24 नवम्बर 2020 तक बढ़ाया है।

समाप्ति: वर्ष 2019-20 के दौरान, श्री सजल कुमार रॉय चौधरी, अंशकालिक गैर शासकीय (स्वतंत्र) निदेशक 08 अगस्त 2019 को अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के कारण बीसीपीएल के बोर्ड से बाहर हो गए।

निदेशकों का संक्षिप्त बायोडाटा:

(क) श्री जितेन्द्र त्रिवेदी

अंशकालिक शासकीय निदेशक
भारत सरकार द्वारा नामित
डीआइएन: 07562190

श्री जितेन्द्र त्रिवेदी जी, उम्र 43 वर्ष, जो कि औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में कार्य कर रहे हैं, उन्हे आदेश एफ.न.25012/3/2010–पीएसयू दिनांकित 06 जुलाई, 2016 के अंतर्गत अंशकालिक शासकीय निदेशक के रुप में नियुक्त किया गया है। श्री जितेन्द्र त्रिवेदी जी ने इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेस (आइओएफएस) में 05, सितम्बर, 2000 को कार्यभार संभाला। श्री जितेन्द्र त्रिवेदी जी को ऑर्डिनेंस फैक्टरी सर्विसेज, सार्वजनिक प्रशासनिक, और सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में बहुत अनुभव है। वह कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य भी हैं।

(ख) श्री पीएम चंद्रय्या

प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)
डीआइएन: 06970910

औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आदेश संख्या "25012/2/2014-पीएसयू", दिनांकित 03 नवम्बर 2014, के अंर्तगत श्री पीएम चंद्रय्या जी, उम्र 55 वर्ष, को उनके पदाग्रहण की तिथि से 5 वर्षों के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया है, जिसे आगे 24/11/2020 तक बढ़ाया गया था। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा श्री पीएम चंद्रय्या जी का कार्यकाल अगले एल वर्ष के लिए अर्थात 24/11/2020 तक फिर से बढ़ाया गया है। श्री चंद्रय्या जी ने 25 नवम्बर 2014 को निदेशक (वित्त) का प्रभार संभाला। औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आदेश संख्या "25012/1/2014-पीएसयू-I", दिनांक 19 जुलाई 2016 के अंतर्गत श्री पीएम चंद्रय्या, निदेशक (वित्त) को बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का कार्यभार सौंपा है, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया है तथा आदेश दिनांकित 01 जनवरी 2020 के अंतर्गत, प्रशासनिक मंत्रालय ने श्री पीएम चंद्रय्या को 31/08/2020 तक प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। वह एक लागत लेखाकार हैं और उनके पास विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे एनटीपीसी, इरेडा, इरकॉन, एनएसपीसीएल, ईपीआई तथा बीसीएपीएल आदि में मानव संसाधन, सतर्कता, वित्त प्रबंधन, विपणन आदि विभागों में काम करने का 35 वर्षों का अनुभव है। बीसीपीएल वर्ष 2016-17 में श्री पीएम चंद्रय्या के गतिशील नेतृत्व में टर्नअराउंड कंपनी बनी तथा लगातार चार वर्षों अर्थात 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 से लगातार लाभ अर्जित कर रही है।

1.3 बोर्ड प्रक्रिया

कंपनी के सुशासन और कामकाज सुनिश्चित करने में निदेशक मंडल प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। निदेशक मंडल की बैठकें एजेंडा कागजात के साथ उचित सूचना देकर आयोजित की जाती हैं। निदेशक मंडल की बैठकों को आमतौर पर कोलकाता में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तथा डीपीई के ओएम सं. "एफ.नं.18(17)/2005-जीएम" दिनांकित

24/05/2018 के अनुसार आयोजित की जाती हैं। कंपनी की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर चर्चा करने के लिए बोर्ड नियमित अंतराल पर बैठकें करता है। बैठक के लिए एजेंडा कागजात संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाते हैं और सभी निदेशकों को भेजे जाने से पहले प्रबंध निदेशक/ निदेशक (वित्त) द्वारा हस्ताक्षरित और अनुमोदित किए जाते हैं। विचार-विमर्श/ चर्चाओं के बाद निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिया जाता है। पिछले बोर्ड की बैठक के निर्णय पर "कार्रवाई की गई रिपोर्ट" निदेशक मंडल की हर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त, मिनट पुस्तिका में दर्ज किए जाते हैं। प्रत्येक निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त इसकी अगली बैठक में पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। निदेशक मंडल की समिति के कार्यवृत्त भी निदेशक मंडल की जानकारी के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। निदेशक मंडल के सदस्य कंपनी की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

1.4 निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

निदेशक मंडल की बैठकों के एजेंडा प्रपत्रों के तहत, आमतौर पर बीसीपीएल के निदेशक मंडल को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत जानकारी को प्रस्तुत किया जाता है:

- वार्षिक परिचालन योजनाएं और बजट और अद्यतन
- त्रैमासिक आधार पर वित्तीय परिणाम
- बोर्ड के लेखापरीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त
- बोर्ड स्तर के ठीक नीचे वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में जानकारी
- श्रम की महत्वपूर्ण समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/ औधोगिक संबंधो मजदूरी जैसे समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन में कोई महत्वपूर्ण विकास।
- निवेश, सहायक कंपनियों, संपत्तियों की भौतिक प्रकृति की बिक्री, जो व्यापार के सामान्य प्रकार में नहीं है।
- निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट
- लागू कानूनों के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट
- कारण बताएं, अभियोजन पक्ष के मांग के नोटिस और जुर्माना नोटिस जो भौतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, किसी भी महत्वपूर्ण घटना का प्रवाह या प्रदूषण की समस्याएं
- कोई भी मुद्दा, जो मत्वपूर्ण संभावित प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद दायित्व के दावों को शामिल करता है, जिसमें कोई निर्णय या आदेश शामिल है, या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल हो सकता है जो कंपनी के संचालन पर कठोर पारित हो सकता है, जो कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट
- सीपीएसई के लिए डीपीई द्वारा जारी किए गए कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति
- कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की स्थिति
- जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन
- अर्ध-वार्षिक आधार पर सतर्कता कार्य की समीक्षा
- बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक जानकारी या सूचना के लिए कोई अन्य जानकारी

1.5 निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या:

वर्ष 2019-20 के दौरान, निदेशक मंडल की पांच बैठकें आयोजित की गई, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	बैठक की दिनांक	बोर्ड संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	29/04/2019	3	3
2.	22/05/2019	3	3
3.	16/08/2019	2	2
4.	21/11/2019	2	2
5.	07/02/2020	2	2

1.6 निदेशकों की नियुक्ति

अंशकालिक निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 'जी. एस.आर.,163(ई)' दिनांकित 5 जून 2015 के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) उन सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी जिनकी संपूर्ण चुकता शेयर पूंजी केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार या एक से अधिक राज्य सरकार के पास हो।

चूंकि, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की संपूर्ण शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति द्वारा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग के माध्यम से धारित की जाती है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) (रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति) बीसीपीएल पर लागू नहीं होती।

1.7 स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका

स्वतंत्र निदेशक, बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समिति की बैठकों में चर्चा/ विचार-विमर्श में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कंपनी को फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, प्रबंधन, आदि के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता से अवगत कराते हैं।

स्वतंत्र निदेशक, मंडल द्वारा गठित बीसीपीएल की बोर्ड स्तरीय समितियों अर्थात लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, सीएसआर और स्थिरता विकास समिति का हिस्सा हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई के दिशानिर्देशों के संदर्भ में, लेखापरीक्षा समिति, और बीसीपीएल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है। श्री एस.के. रॉय चौधरी, स्वतंत्र निदेशक (08/08/2019 तक) बीसीपीएल के कार्यालयों और फैक्ट्रियों में नियमित रूप से आते रहते थे।

2.0 निदेशक मंडल की समितियां

2.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी की लेखापरीक्षा समिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार परिभाषित शक्तियों और भूमिका के साथ विधिवत रूप से निदेशक मंडल द्वारा गठित किया गया है। लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता कंपनी के स्वतंत्र (गैर-शासकीय निदेशक) द्वारा

की जाती है। वर्ष 2019-20 के दौरान, 29 अप्रैल 2019, 22 मई 2019, 16 अगस्त 2019, 21 नवम्बर 2019, तथा 07 फरवरी 2020 को समिति की पांच बैठकें हुई।

(i) **उपस्थिति विवरण निम्नानुसार हैं-**

सदस्य	उनके संबंधित समयकाल में आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति
श्री सजल कुमार राय चौधरी स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति	2	2
श्री जितेन्द्र त्रिवेदी अंशकालिक शासकीय निदेशक सदस्य, लेखापरीक्षा समिति	5	5
श्री एम चंद्रय्या प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त) सदस्य, लेखापरीक्षा समिति	5	5

(ii) **लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है:**

1	श्री सजल कुमार रॉय चौधरी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (08/08/2019 तक)
2	श्री जितेन्द्र त्रिवेदी	सरकार नामित निदेशक	अध्यक्ष (09/08/2019 से प्रभावी)
3	श्री एम चंद्रय्या	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)	सदस्य

(iii) **लेखापरीक्षा समिति की शर्तें**

कंपनी अधिनियम, 2013 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में लेखापरीक्षा समिति की शर्तों में निम्नलिखित सम्मलित हैं:

1. कंपनी के लेखापरीक्षक की नियुक्ति की सिफारिश, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तें।
2. लेखापरीक्षा कार्य में परीक्षक की कार्य क्षमता, निर्भरता और क्रियाशीलता की जांच और नियमन करना।
3. वित्त संबंधी रिपोर्ट और उस पर दी गयी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना।

4. संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेन-देन की सहमति और बाद में संशोधन।

"बशर्ते कि लेखापरीक्षा समिति संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन कर सकती है, जो कि कंपनी द्वारा निर्धारित प्रस्तावित शर्तों के अधीन हो सकता है"

5. इंटर-कॉरपोरेट ऋण और निवेश की संवीक्षा।
6. आवश्यकतानुसार सम्पति और उपक्रमों का मूल्यांकन।
7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन।
8. आवश्यकतानुसार पब्लिक ऑफर और संबंधित मामलों के माध्यम से एकत्र की गई रकम के उपयोग पर निगरानी।
9. लेखापरीक्षा समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, आंतरिक नियन्त्रण प्रणालियों के बारे में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां, लेखापरीक्षा के दायरे, लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों सहित, और वित्तीय विवरणों की समीक्षा पर चर्चा कर सकती है और कंपनी के आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षक और प्रबंधन के साथ भी किसी भी संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सकती है।
10. लेखापरीक्षा समिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) में वर्णित विषयों में किसी भी मामले की जांच-पड़ताल करने और बोर्ड को सौंपे जाने का पूर्ण अधिकार है, और इसके लिए उन्हें बाहरी पेशेवरों से सलाह लेने और कंपनी में उपलब्ध सभी सूचनाओं को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है।
11. कंपनी के बोर्ड और लेखापरीक्षा समिति, आंतरिक लेखापरीक्षक के परामर्श से, आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए कार्यक्षेत्र, कार्य, आवधिकता और कार्यप्रणाली तैयार करेगी।
12. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण।
13. सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन
14. निदेशक मंडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्त विवरण की विशेष संदर्भ के साथ समीक्षा:
    - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक के उत्तरदायित्व वक्तव्य में शामिल किए जाने वाले मामले;
    - लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन और उसके कारण, यदि कोई हो;
    - प्रबंधन द्वारा अनुमानों के आधार पर लिए गए निर्णय को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां;
    - महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए समायोजन;
    - वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
    - किसी भी संबंधित पक्ष के लेनदेन की समीक्षा/ प्रकटीकरण;

- मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अहर्ताएं।

15. निदेशक मंडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की जांच।
16. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की जांच।
17. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, आधिकारिक विभाग के शीर्ष अधिकारी, स्टाफिंग और वरिष्ठता की रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति।
18. आंतरिक लेखापरीक्षकों और/ अथवा लेखापरीक्षकों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा और उसके अनुवर्ती जाँच।
19. ऐसे मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षक/ लेखापरीक्षक द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करते हुए जहां संदेहास्पद धोखाधड़ी या अनियमितता या किसी भौतिक प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता और मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना।
20. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ, लेखापरीक्षा के उद्देश्य और प्रकृति और साथ ही साथ लेखापरीक्षा के बाद के विषयों के बारे में चर्चा करना।
21. जमाकर्ताओं, ऋणपत्रधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में हुई चूक के कारणों पर गौर करना।
22. विस्सल ब्लोअर/ निगरानी तंत्र के कामकाज की समीक्षा।
23. कैग की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।
24. सरकारी उपक्रम (सीओपीयू) पर संसदीय समिति की अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।
25. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला अवसर प्रदान करना।
26. लेखापरीक्षक के साथ मिलकर, लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के ताल-मेल की जांच करना ताकि कवरेज की पूर्णता, अनावश्यक कार्यों की कमी और सभी लेखापरीक्षा के संसाधनों के सही उपयोग पर ध्यान दिया जा सकें।
27. स्वतंत्र लेखापरीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श करना:

    कंप्यूटर सूचना व्यवस्था नियंत्रण और सुरक्षा के आंतरिक नियंत्रण की स्पष्टता की जांच करना, और प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ स्वतंत्र लेखापरीक्षक और
    आंतरिक लेखापरीक्षक की सिफारिशों और संबंधित निष्कर्षों पर चर्चा।
28. प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श करना:
    पूर्व लेखापरीक्षा की सिफारिशों की स्थिति के साथ वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण जाँच-निष्कर्ष।

लेखापरीक्षा कार्य के दौरान किसी भी कठिनाइयों या आवश्यक जानकारी के लिए गतिविधियों का दायरा या उपयोग पर कोई प्रतिबंध का सामना करना पड़ा हो।

29. लेखापरीक्षा समिति के पास यह भी अधिकार होगा:
इसकी शर्तों के अनुसार किसी भी गतिविधि की जांच करना।
किसी भी कर्मचारी से उसके बारे में या किसी और के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
निदेशक मंडल की अनुमति के अधीन, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवरी सलाह लेना।
यदि यह आवश्यक हो तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों से सहायता।
विस्सल ब्लोअर की रक्षा करना

30. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित जानकारियों की समीक्षा करेगी:
वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों का प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;
प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण;
सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/ आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र।
आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;
मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति एवं उसका निष्कासन लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा; और
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ मुख्य वित्तीय अधकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणीकरण।

31. कंपनी अधिनियम, 2013 या उसके अंतर्गत बने नियमों और डीपीई की कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइन्स में वर्णित कोई अन्य कार्य।

लेखापरीक्षा समिति परीक्षकों को आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था, लेखा जांच के उद्देश्य, परीक्षकों की देखरेख और बोर्ड को वित्तीय विवरण जमा करने के पहले उसकी जांच पर अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार रखती है, और आंतरिक लेखापरीक्षकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के प्रबंधन के साथ संबंधिक विषयों पर चर्चा कर सकती है। लेखापरिक्षा समिति धारा 177(4) में निहित विषय से संबंधित या बोर्ड को संदर्भित विषयों पर जांच-पड़ताल करने का पूरा अधिकार रखती है, और उसके लिये समिति बाहरी स्त्रोतों से पेशेवर सलाह लेने का पूरा अधिकार रखती है, और कंपनी के रिकार्ड में निहित सभी जानकारी पर कार्य करने का अधिकार भी रखती है।

कंपनी के लेखापरीक्षकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में जब लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा, सुनवाई का अधिकार होगा लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं होगा।

2.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

वार्षिक बोनस/ परिवर्तनीय वेतन पूल और सभी अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के वितरण के लिए नीति तय करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। समिति का निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया है:

1	श्री एस.के. राय चौधरी	स्वंतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (08/08/2019 तक)
2	श्री जितेन्द्र त्रिवेदी	सरकार नामित निदेशक	अध्यक्ष (09/08/2019 से प्रभावी)
3	श्री पीएम चंद्रय्या	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)	सदस्य

वर्ष 2019-20 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की तीन बैठकें 22/05/2019, 21/11/2019, 07/02/2020 को हुई। बैठक में अध्यक्ष सहित सभी सदस्य उपस्थित थे।

2.3 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता विकास समिति

कंपनी ने बोर्ड स्तरीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता विकास समिति का निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठन किया था:

1	श्री जितेन्द्र त्रिवेदी, अंशकालिक शासकीय निदेशक (सरकार नामित निदेशक)	अध्यक्ष
2	श्री सजल कुमार राय चौधरी गैर शासकीय निदेशक (स्वंतंत्र निदेशक)	सदस्य (08/08/2019 तक)
3	श्री पीएम चंद्रय्या प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)	सदस्य

वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर एवं स्थिरता विकास समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई।

3.0 अंशधारिता स्वरुप

31 मार्च, 2020 को कंपनी का अंशधारिता स्वरुप निम्नानुसार था:

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक की कीमत 1000 रू.)
1	भारत के राष्ट्रपति	769601
2	श्री जितेन्द्र त्रिवेदी, निदेशक, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	2
3	श्रीमती उमा मगेश अवर सचिव, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	1
	कुल	769604

4.0 बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण पर नीति

बीसीपीएल ने व्यापार और उद्योग की समझ की सुविधा के लिए बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण पर नीति तैयार की है जिसमें कंपनी के कारोबार से जोखिम प्रोफाइल सहित, कंपनी के शासन में उनकी भूमिका, जिम्मेदारियां, कर्तव्यों और कार्यों के साथ सभी नए निदेशकों को परिचित करवाने एवं निदेशकों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्यापार नीतिशास्त्र, आचार संहिता आदि जिनका पालन करने के लिए वे बाध्य हैं, के बारे में जागरूक बनाना है।

5.0 विस्सल ब्लोअर पॉलिसी

कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अंतर्गत बीसीपीएल के निदेशक मंडल ने 23 सितम्बर 2016 को आयोजित इसकी बैठक में विस्सल ब्लोअर पॉलिसी को अनुमोदित किया है। बीसीपीएल की विस्सल ब्लोअर पॉलिसी सभी विभागाध्यक्षों, फैक्ट्री प्रमुखों को दी गई है, और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्राकशित की गई है। इस पॉलिसी के अनुसार निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक "स्क्रीनिंग समिति" भी बनाई गयी है:

1.	प्रबंध निदेशक/ कार्यालय प्रमुख	अध्यक्ष
2.	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	मानव संसाधन प्रमुख	सदस्य
4.	वित्त प्रमुख	सदस्य
5.	विपणन प्रमुख	सदस्य

6.0 आम सभाएं:

6.1 कंपनी की गत तीन वर्षों की वार्षिक आम सभाओं का विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

एजीएम	वित्तीय वर्ष	एजीएम की तिथि और समय
38वीं	2018-19	22 मई 2019 कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 12:30 बजे
37वीं	2017-18	05 जुलाई 2018 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 14:00 बजे
36वीं	2016-17	19 जून 2017 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 15:30 बजे

नोट: 2015-16 के वार्षिक खातों हेतु 35वीं एजीएम 11 जुलाई 2016 को आयोजित की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 39वीं वार्षिक आम सभा की सूचना एजीएम के दिन, तिथि, समय और स्थान के बारे में जानकारी देती है।

6.2 **पिछले तीन आम बैठकों में पारित विशेष संकल्प का विवरण**

एजीएम	वित्तीय वर्ष	पारित विशेष संकल्प का विवरण
38वीं	2018-19	शून्य
37वीं	2017-18	शून्य
36th	2016-17	शून्य

7.0 सूचना का अधिकार (आरटीआई)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित सभी प्रावधानों का पालन किया गया है। कंपनी ने अपने उप-प्रबंधक स्तर के अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी का एक बरिष्ठ प्रबंधक आरटीआई अधिनियम के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी है।

वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त किए गए और निपटाए गए आरटीआई आवेदनों का विवरण निम्नलिखित है:

1	1 अप्रैल, 2019 को लंबित आरटीआई आवेदनों की संख्या	शून्य
2	वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों की संख्या	11
3	वर्ष 2019-20 के दौरान निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या	11
4	31 मार्च, 2020 को लंबित आरटीआई आवेदनों की संख्या	शून्य
5	वर्ष 2019-20 के दौरान अपीलीय प्राधिकारी को भेजे आरटीआई आवेदन की संख्या	शून्य

8.0 शेयरधारकों के साथ संचार के साधन

कंपनी की वेबसाइट पर द्विभाषी (अंग्रजी व हिंदी) वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक रिटर्न जोकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में फाइल की गई है, अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ अपलोड किए गए हैं। वार्षिक प्रतिवेदन भौतिक रूप में भी शेयरधारकों को भेजी जाती है।

9.0 लेखापरीक्षा अर्हताएं

सांविधिक लेखापरीक्षक के अवलोकन/ खातों पर अहर्ताओं के जवाब, और भारत के लेखानियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां निदेशक रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप में सलंग्न हैं।

10.0 आचार संहिता

निदेशक मंडल ने बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचरण और आचार संहिता निर्धारित की है।

11.0 प्रकटीकरण

11.1 वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान एवं स्वतंत्र निदेशकों की फीस के भुगतान का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

i) कार्यकारी/पूर्ण-कालिक निदेशक/:

(रुपये लाख में)

कार्यात्मक निदेशक का नाम	वेतन	लाभ	कुल
श्री पीएम चंद्रय्या प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)	23.58	2.06	25.64

ii) स्वतंत्र निदेशक:

(राशि रुपए में)

निदेशक के नाम	बैठक फीस		कुल
	बोर्ड की बैठक	समिति की बैठक	
श्री एस.के. राय चौधरी स्वतंत्र निदेशक (08/08/2019 तक)	10,000	15,000	25,000

स्वतंत्र निदेशक उनके द्वारा बोर्ड की बैठक और बोर्ड स्तर समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए 5000/- रूपये की बैठक फीस प्रत्येक बैठक के लिए अधिकृत हैं।

11.2 सभी निदेशक तय वेतनमान पर औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते है। उनकी नियुक्ति की अन्य नियम और शर्तें भी औषध विभाग द्वारा तय की जाती हैं।

11.3 निदेशकों को उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक के अलावा और स्वतंत्र निदेशकों के लिए अधिकृत बैठक फीस के अलावा, किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ किसी भी तरह का महत्वपूर्ण अथवा मौद्रिक संबंध नही है, जो उनकी न्याय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सके।

11.4 वर्ष के दौरान, संबंधित पक्ष से कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ, जिससे कंपनी बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सके। लेखा मानक-18 के अनुसार संबंधित पार्टी से जुड़े लेन-देन का विवरण खातों की टिप्पणियों में दिया गया है। साथ ही फॉर्म एओसी-2 इस रिपोर्ट में अनुलंग्नक के रूप में सलंग्न है।

11.5 किसी भी सांविधिक निकाय द्वारा कोई भी दंड या प्रतिबंध लगाये जाने की कोई भी घटना घटित नहीं हुई है।

11.6 कंपनी डीपीई के द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के सभी नियमों का पालन कर रही है।

11.7 कंपनी की लेखा प्रक्रिया समय-समय पर संबंधित नियामक प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई लेखांकन मानकों का अनुपालन करती है।

11.8 जोखिम प्रबंधन का विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में वर्णित है।

11.9 कंपनी समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी राष्ट्रपति निर्देशों का अनुपालन करती है। गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रपति का कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

11.10 वर्ष के दौरान, बही खातों में ऐसा कोई भी खर्च डेबिट नहीं किया गया जोकि व्यापार के उद्देश्य से न जुड़ा हो एवं उच्च प्रबंधन और निदेशक मंडल के किसी भी निजी खर्च को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

11.11 प्रशासनिक खर्च 2019-20 में कुल आय के मुकाबले 35.44% है जोकि वर्ष 2018-19 में 26.34% तथा 2017-18 में 30.54% और 2015-16 में 40.10% थे। वित्तीय लागत/ खर्चे 2019-20 में कुल खर्चों के मुकाबले 0.96% रहे जोकि 2018-19 में 2.74%, 2017-18 में 10.69% तथा 2016-17 में 14.25% थे।

11.12 कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.bengalchemicals.co.in कंपनी के आधिकारिक समाचारों जैसे वार्षिक प्रतिवेदन, टेंडर एवं करियर के अवसर आदि को प्रदर्शित करती है।

11.13 वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों में निर्धारित लेखा मानकों से कोई विचलन नहीं है।

12.0 अनुपालन प्रमाणपत्र

यह रिपोर्ट सीपीएसईएस के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस गॉइडलाइन्स के सभी वांछित नियमों का अनुपालन करती है और दिशानिर्देशों के अनुबंध-VII के नियमों में वर्णित किए गए सभी विषयों को सम्मलित करती है। डीपीई के द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन की रिपोर्ट भी प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जाती है। सीपीएसईएस के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन से संबधित अभ्यासरहित कम्पनी सचिव का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट में सलंग्न है।

निदेशक मंडल की तरफ से

ह/-
(पीएम चंद्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06970910

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक सरकारी निदेशक
[सरकार नामित निदेशक]
डीआईएन: 07562190

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 11/05/2020

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाण पत्र

सेवा में,
बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के सदस्यों

हमने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' या 'बीसीपीएल' के रूप में संदर्भित), एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम [सीपीएसई] द्वारा 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14 मई 2010 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से लागू की गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कंपनी किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है। दिशानिर्देशों का पैरा 2.3 दर्शाता है कि गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई, अगले अध्यायों में दिए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का पालन करेगी, जो कि अनिवार्य हैं। उपरोक्त शर्त के अनुसरण में, बीसीपीएल एक गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई है, जिसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश, 2010 का पालन करना आवश्यक है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच संस्थान द्वारा जारी किए गए कॉरपोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार की गई है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है। यह न तो एक लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और निदेशकों और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुतीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं, कि बीसीपीएल के निदेशक मंडल ने सीपीएसई के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 2010 के दिशानिर्देशों को अनिवार्य आधार पर बोर्ड द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर नीति को मंजूरी दी गई है, को अपनाया है तथा कंपनी ने जहाँ तक संभव हो सका है, दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

हम फिर से कहते हैं, कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के रूप में आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11.05.2020
यूडीआईएन: A040967B000225008

प्रतीक कोहली एंड एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव के लिए

ह/-
प्रतीक कोहली
भागीदार
सी.पी. नं-16457

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी एवं स्थिरता विकास रिपोर्ट

20वीं शताब्दी के महानतम, श्री आचार्य पी.सी. राय द्वारा स्थापित एक सामाजिक रूप से उत्तरदायी कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते, बीसीपीएल कारखानों में और आसपास के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाकर पारस्परिक विश्वास और सम्मान से सकारात्मक और स्थायी सामाजिक प्रभाव पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बीसीपीएल की सीएसआर नीति में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से बड़े पैमाने पर समाज के लिए कल्याणकारी उपायों और समाज में योगदान के लिए प्रावधान हैं, और सामाजिक और आर्थिक रूप से अनियंत्रित वर्ग की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है।

सीएसआर दूरदृष्टि-

"जिन समुदायों में हम काम करते हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से योगदान करना। ऐसा करने से समाज के कमजोर वर्गों के लिए जीवन का बेहतर, स्थायी तरीके से निर्माण करना और बीसीपीएल को एक सामाजिक जिम्मेदार छवि वाली एक कॉर्पोरेट इकाई बनाना"

सीएसआर उद्देश्य-

बीसीपीएल की सीएसआर नीति के उद्देश्य हैं:

- समुदाय और समाज के प्रति एक कंपनी के नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार का पालन करना और समुदाय के कल्याण और सतत विकास के कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर चलाना;
- सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रम जिनको बीसीपीएल शुरू करने की योजना बना रही है और जो कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और प्रचलित डीपीई दिशा-निर्देशों के अधीन है, को परिभाषित करना;
- उन सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन की रूपरेखाएं;
- उन सीएसआर परियोजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी प्रक्रिया;
- बीसीपीएल में सीएसआर प्रथाओं के बारे में हितधारकों को अवगत कराना;
- व्यापार के संचालन में और सीएसआर एजेंडे के अंतर्गत स्थायी विकास को बड़े पैमाने पर ध्यान में रखते हुए काम करना।

सीएसआर और स्थिरता विकास समिति

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता पहल को चलाने के लिए, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता विकास पर डीपीई के दिशानिर्देशों के संदर्भ में एक बोर्ड स्तर कमेटी का गठन किया गया है। इस बोर्ड स्तरीय समिति का नेतृत्व सरकार नामित निदेशक द्वारा किया जाता है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता समिति की रचना और सीएसआर और स्थिरता समिति की बैठकों और उपस्थिति के बारे में जानकारी कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दी गई है।

वर्ष 2019-20 के दौरान गतिविधियां

वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 18.66 लाख रुपए की राशि का योगदान किया है।

जिम्मेदारी विवरण

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता विकास नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी की सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

निदेशक मंडल की तरफ से

ह/-
(पीएम चंद्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06970910

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक सरकारी निदेशक
[सरकार नामित निदेशक]
अध्यक्ष, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी एवं
स्थिरता विकास समिति
डीआईएन: 07562190

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 11/05/2020

कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाण पत्र / घोषणा

हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार का असत्य बयान या कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या भ्रमित करने वाले बयान सम्मलित नहीं है;

(ii) यह विवरण लेखा मानकों, लागू कानूनों और नियमों के अनुपालन के साथ कंपनी के मामलों का एक सच्चे और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं;

(iii) हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी ने कोई भी ऐसे लेनेदेन नहीं किए हैं जो धोखाधड़ी, कंपनी की आचार संहिता के खिलाफ हो;

(iv) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण की स्थापना और रखरखाव की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष इन आंतरिक नियंत्रणों की रुपरेखा एवं संचालन में में कमी, यदि कोई है, जिनसे हम अवगत हैं, और इनको सुधरने के लिए लिए उठाये गए और प्रस्तावित कदमों का प्रकटीकरण किया है;

(v) हम लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्न्लिखित सूचित कर चुके है:

क) वर्ष 2019-20 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन

ख) वर्ष 2019-20 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उसे वित्तीय वक्तव्यों के नोट में बताया गया है;

ग) कोई कर्मचारी और प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति का वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के धोखाधड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका या भागीदारी की घटना, जिससे हम अवगत हैं

ह/-
(पीएम चंद्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06970910

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक सरकारी निदेशक
[सरकार नामित निदेशक]
डीआईएन: 07562190

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11/05/2020

फार्म सं. एओसी-2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) की खंड (एच) के तहत और
कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के तहत)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) के संदर्भ में तृतीय प्रावधान के तहत के कुछ शर्तों के साथ हुए लेन-देन के साथ कंपनी के ठेकों/ अनुबंधों (लेखा) के विवरणों के संबध में प्रकटीकरण करने के प्रपत्र।

1	असामान्य अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का ब्यौरा	वर्ष 2019-20 के दौरान संबंधित पार्टी के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ।
2	सामान्य महत्वपूर्ण अनुबंध या आर्म्स लेंथ बेसिस पर लेन-देन की व्यवस्था का ब्यौरा	वर्ष 2019-20 के दौरान संबंधित पार्टी के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ।

निदेशक मंडल की तरफ से

ह/-
(पीएम चंद्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06970910

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक सरकारी निदेशक
[सरकार नामित निदेशक]
डीआईएन: 07562190

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 11/05/2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विविरण वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार अधिनियम 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांकित 11 मई 2020 में दर्शाया गया है कि यह कर लिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षण कर लिया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों के उपयोग के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों और लेखा अभिलेखों में से कुछ एक की चयनात्मक परीक्षा की जांच तक सीमित है।

अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो कि मेरे अनुसार वित्तीय विवरणों तथा संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट कि बेहतर समझ के लिए प्रासंगिक हैं।

क. वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

क. 1 तुलन पत्र

इक्विटी तथा देयताएं

दीर्घावधि ऋण (नोट-5)- 19,370.64 लाख रूपए

उपरोक्त में 312.10 लाख रुपये का अर्जित ब्याज शामिल नहीं हैं, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार (सरकार) से लिए गए ऋण (1996) पर पुनर्भरण पैकेज के हिस्से के रूप में बिक्री-कर बकाया का निर्वहन करता है। मूल राशि की अदायगी (नवंबर, 2018) के बाद, कंपनी ने मार्च 2018 (307.16 लाख रुपये) के ब्याज के लिए देयता को रिवर्स किया और सरकार से ऋण पर अर्जित ब्याज की माफी की प्राप्ति के बिना इसे वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय विवरणों में आय के रूप में मान्यता दी और अप्रैल 2018 से नवंबर 2018 की अवधि से संबंधित ब्याज (4.94 लाख रुपये) के लिए भी प्रावधान नहीं किया।

इसके परिणामस्वरूप दीर्घावधि ऋणों की न्यूनोक्ति के साथ संचय एवं अधिशेष (संचित हानि) की 312.10 लाख रुपये की न्यूनोक्ति हुई है।

क.2 परिसंपत्तियां

अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम (नोट-16)- 543.82 लाख रूपए

उपरोक्त में 2014 से मेसर्स जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से वसूल किए जा रहे 100.25 लाख रुपये का बैलेंस एडवांस शामिल है। जैसा कि ठेकेदार द्वारा 177.50 लाख रुपये की बैंक गारंटी पहले ही अगस्त 2012 में लैप्स हो गई थी और चूंकि मैसर्स जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से 100.25 लाख रुपये की वसूली के लिए कोई सिक्यूरिटी मौजूद नहीं है, इसलिए इसे वित्तीय विवरणों में संदिग्ध माना जाना चाहिए था और उपयुक्त प्रावधान बनाए जाने चाहिए थे।

इसके परिणामस्वरूप अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम की 100.25 लाख रुपये की ओवरस्टेटमेंट तथा और प्रावधान में न्यूनोक्ति हुई है।

ख. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

कर्मचारी हित खर्चे (नोट-22): 1415.56 लाख रूपए

भारत सरकार ने कर्मचारियों को 1997 वेतनमान लागू करने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के कार्यान्वयन के लिए 2006-07 के दौरान बीसीपीएल को 4470.00 लाख रुपये के सहायता अनुदान को मंजूरी दी थी। अनुदान प्राप्त सहायता विशिष्ट प्रकृति की है और इसका उपयोग इसके इच्छित उद्देश्य के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता है।

इसके विपरीत, 2019-20 के दौरान, 825.10 लाख रुपये के अप्रयुक्त अनुदान की शेष राशि में से, कंपनी ने कर्मचारियों को 2007 वेतनमान के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले बकाया के भुगतान के लिए 617.01 लाख रुपये का उपयोग किया। 2007 वेतनमान के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले बकाया के भुगतान का खर्च कंपनी को अपने स्वयं के सृजित धन से करना चाहिए था और लाभ एवं हानि के विवरण में व्यय के रूप में चार्ज करना चाहिए था।
इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ व्यय में 617.01 लाख रुपये की न्यूनोक्ति तथा लाभ का ओवरस्टेटमेंट हुआ है।

ग. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

ग.1 खातों पर नोट

भारत सरकार ने 2005 से 2015 की अवधि के दौरान कंपनी को 1812 लाख रुपये का ब्याज वहन योजना ऋण और 561 लाख रुपये का गैर-योजना ऋण जारी किया है। ये ऋण निर्दिष्ट तारीखों पर मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए प्रदान किए जाते हैं, जिसमें विफल होने पर दंड दर पर चक्रवृद्धि ब्याज लागू था। कंपनी ने देय तिथियों पर मूल राशि के साथ-साथ ब्याज के भुगतान में चूक की।

कंपनी ने 2017 में सरकार से ब्याज की माफी के लिए अनुरोध किया था, जो अभी भी विचाराधीन था। हालांकि, अप्रैल 2017 के बाद से, कंपनी ने दंड की बजाय सामान्य दर पर मूलधन की चूक राशि पर ब्याज का प्रावधान किया। इसके अलावा, सरकार के पास लंबित छूट के अनुरोध पर ब्याज की डिफ़ॉल्ट राशि पर ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

2019-20 के लिए वित्तीय विवरणों में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है, हालांकि 2017-18 और 2018-19 के वित्तीय विवरणों में इस तथ्य का खुलासा किया गया था।

घ. नकद प्रवाह पर टिप्पणियाँ

घ.1 नकद प्रवाह विवरण

एएस-3 के पैरा नं .4 पर एक संदर्भ आमंत्रित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि आय पर करों से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह का अलग से प्रकटीकरण किया जाना चाहिए और परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए जब तक कि उन्हें विशेष रूप से वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों से पहचाना नहीं जा सके।

एएस-3 के प्रावधानों के विपरीत, अग्रिम आय कर (150 लाख रुपये) का भुगतान अलग से दिखाने के बजाय, "वर्किंग कैपिटल में बदलाव" के तहत "अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम" में वृद्धि में शामिल किया गया है।

इसके अलावा, असामान्य मदों तथा कर से पहले शुद्ध लाभ को नकद प्रवाह विवरण में 1445.62 लाख के बजाय 1307.05 लाख रुपये के रूप में प्रकट किया गया था।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की तरफ से

ह/-

(मौसमी राय भट्टाचार्य)

लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 09.07.2020

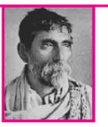

नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

क्र. सं.	नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
क.1	19,370.64 लाख रूपए के दीर्घावधि ऋण (नोट-5) में 312.10 लाख रूपए का अर्जित ब्याज शामिल नहीं हैं, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार (सरकार) से लिए गए ऋण (1996) पुनर्भरण पैकेज के हिस्से के रूप बिक्री-कर बकाया का निर्बहन करता है। मूल राशि की अदायगी (नवम्बर 2018) के बाद, कंपनी ने मार्च 2018 (307.16 लाख रूपए के ब्याज के लिए देयता को रिवर्स किया और सरकार से ऋण पर अर्जित ब्याज की माफ़ी की प्राप्ति के बिना इसे वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय विवरणों में आय के रूप में मान्यता दी और अप्रैल 2018 से नवम्बर 2018 की अवधि से संबंधित ब्याज (4.94 लाख रूपए) के लिए भी प्रावधान नही किया। इसके परिणामस्वरूप दीर्घावधि ऋणों की न्यूनोक्ति के साथ संचय एवं अधिशेष (संचित हानि) की 312.10 लाख रूपए की न्यूनोक्ति हुई है।	नोट किया गया- कंपनी ने ऋण की संपूर्ण राशि का भुगतान नवम्बर 2018 में कर दिया तथा तथ्यों का प्रकटीकरण भी 2018-19 के वित्तीय विवरणों में कर दिया गया है।
क.2	अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम (नोट-16)- 543.82 लाख रूपए में 2014 से मेसर्स जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से वसूल किए जा रहे 100.25 लाख रुपये का बैलेंस एडवांस शामिल है। जैसा कि ठेकेदार द्वारा 177.50 लाख रुपये की बैंक गारंटी पहले ही अगस्त 2012 में लैप्स हो गई थी और चूंकि मैसर्स जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से 100.25 लाख रुपये की वसूली के लिए कोई सिक्यूरिटी मौजूद नहीं है, इसलिए इसे वित्तीय विवरणों में संदिग्ध माना जाना चाहिए था और उपयुक्त प्रावधान बनाए जाने चाहिए थे। इसके परिणामस्वरूप अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम की 100.25 लाख रुपये की ओवरस्टेटमेंट तथा और प्रावधान में न्यूनोक्ति हुई है।	नोट किया गया- कंपनी ने इस राशि के लिए जून 2020 में पहले ही प्रावधान कर लिया है।
ख.1	भारत सरकार ने कर्मचारियों को 1997 वेतनमान लागू करने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के कार्यान्वयन के लिए 2006-07 के दौरान बीसीपीएल को 4470.00 लाख रुपये के सहायता अनुदान को मंजूरी दी थी। अनुदान प्राप्त सहायता विशिष्ट प्रकृति की है और इसका उपयोग इसके इच्छित उद्देश्य के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता है। Iइसके विपरीत, 2019-20 के दौरान, 825.10 लाख रुपये के अप्रयुक्त अनुदान की शेष राशि में से, कंपनी ने कर्मचारियों को 2007 वेतनमान के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले बकाया के भुगतान के लिए 617.01 लाख रुपये का उपयोग किया। 2007 वेतनमान के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले बकाया के भुगतान का खर्च कंपनी को अपने स्वयं के सृजित धन से करना चाहिए था और लाभ एवं हानि के विवरण में व्यय के रूप में चार्ज करना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ व्यय में 617.01 लाख रुपये की न्यूनोक्ति तथा लाभ का ओवरस्टेटमेंट हुआ है।	नोट किया गया- कंपनी ने इस तथ्य का प्रकटीकरण पहले ही 2019-20 के वित्तीय विवरणों में नोट सं.2.24(ग) के तहत कर दिया है।

क्र. सं.	नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
ग.1	भारत सरकार ने 2005 से 2015 की अवधि के दौरान कंपनी को 1812 लाख रुपये का ब्याज वहन योजना ऋण और 561 लाख रुपये का गैर-योजना ऋण जारी किया है। ये ऋण निर्दिष्ट तारीखों पर मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए प्रदान किए जाते हैं, जिसमें विफल होने पर दंड दर पर चक्रवृद्धि ब्याज लागू था। कंपनी ने देय तिथियों पर मूल राशि के साथ-साथ ब्याज के भुगतान में चूक की। कंपनी ने 2017 में सरकार से ब्याज की माफी के लिए अनुरोध किया था, जो अभी भी विचाराधीन था। हालांकि, अप्रैल 2017 के बाद से, कंपनी ने दंड की बजाय सामान्य दर पर मूलधन की चूक राशि पर ब्याज का प्रावधान किया। इसके अलावा, सरकार के पास लंबित छूट के अनुरोध पर ब्याज की डिफ़ॉल्ट राशि पर ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणों में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है, हालांकि 2017-18 और 2018-19 के वित्तीय विवरणों में इस तथ्य का खुलासा किया गया था।	नोट किया गया- इसका प्रकटीकरण भविष्य के वर्षों के वित्तीय विवरणों में किया जाएगा।
घ.1	एएस-3 के पैरा नं .4 पर एक संदर्भ आमंत्रित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि आय पर करों से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह का अलग से प्रकटीकरण किया जाना चाहिए और परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए जब तक कि उन्हें विशेष रूप से वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों से पहचाना नहीं जा सके। एएस -3 के प्रावधानों के विपरीत, अग्रिम आय कर (150 लाख रुपये) का भुगतान अलग से दिखाने के बजाय, "वर्किंग कैपिटल में बदलाव" के तहत "अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम" में वृद्धि में शामिल किया गया है। इसके अलावा, असामान्य मदों तथा कर से पहले शुद्ध लाभ को नकद प्रवाह विवरण में 1445.62 लाख के बजाय 1307.05 लाख रुपये के रूप में प्रकट किया गया था।	नोट किया गया- इसका भविष्य के वर्षों के वित्तीय विवरणों में ध्यान रखा जाएगा।

निदेशक मंडल की तरफ से

ह/-

(पीएम चंद्रय्या)

प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं

निदेशक (वित्त)

ह/-

(एन. रॉय प्रमाणिक)

विभागाध्यक्ष (वित्त), बीसीपीएल

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
फ़ोन: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
बंगाल केमिकलस एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के सदस्यगण

राय

1. हमने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकलस लिमिटेड "कंपनी" के वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र उस वर्ष को समाप्त लाभ और हानि विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद "वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित"), की लेखापरीक्षा की है।

2. हमारी राय में एवं हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, नोट सं. 2 (खातों पर नोट) में अनुच्छेद 2.26 के साथ पठित कोविड-19 के प्रभाव के संबंध में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") द्वारा वांछित जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं तथा 31 मार्च 2020 को, इसका लाभ तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसका नकदी प्रवाह, कंपनी के मामलों का भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

राय के लिए आधार

3. हमने अधिनियम ("एसएएस") की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन एसएएस के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम अधिनियम और इसके तहत वांछित नैतिकता के नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी नैतिकता संहिता के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र हैं, जोकि हमारी वित्तीय विवरणों लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, तथा हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तथा इन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

4. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट में जानकारी, जिसमें निदेशकों की रिपोर्ट, व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट के अनुलग्नक सम्मलित हैं, शामिल है लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और इन पर हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
फ़ोन: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

5. वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को सम्मलित नहीं करती है और हम इन पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

6. वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है तथा ऐसा करने पर, यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी भौतिक रूप से वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

7. यदि, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

8. अधिनियम की धारा 134(5), भारत में आम तौर पर स्वीकार सिद्धांतों जिसमे एसएएस भी शामिल है, में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, को तैयार करना कंपनी के निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी में कंपनी के परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा-अभिलेखों का रखरखाव; धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकना और पता लगाना; उचित लेखा नीतियां जो उचित और दूरदर्शी हैं, का निर्णय और उपयोग करना; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन और रखरखाव जो लेखा विवरणों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जोकि सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और महत्वपूर्ण गलतफहमी, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से हो, से मुक्त हैं, सम्मलित हैं।

9. वित्तीय विवरणों की तैयारी में, गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने के लिया कंपनी की योग्यता का मुल्यांकन, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, गोइंग कंसर्न से सबंधित मामलों तथा गोइंग कंसर्न बेसिस के लेखों का प्रयोग करना जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है, के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है।

10. निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

11. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जिसमें हमारी राय शामिल है, को जारी करना है। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार की गई

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट
162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
फ़ोन: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर कोई महत्वपूर्ण गलती होने का पता लगाएगी। गलतफहमी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और महत्वपूर्ण मानी जाएगी यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षित हो।.

12. एसएएस के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम:

(क) धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण, चाहे वे जोखिमों के लिए उत्तरदायी हों, लेखापरीक्षा प्रक्रिया को डिज़ाइन करें और निष्पादित करते हैं, और उन लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाली गलती से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।

(ख) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, को प्राप्त करते हैं। धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।

(ग) उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।

(घ) प्रबंधन के गोइंग कंसर्न आधार पर लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या कोई घटना या शर्तों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की गोइंग कंसर्न क्षमता को महत्वपूर्ण संदेह में डाल सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा अथवा यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी का गोइंग कंसर्न ख़त्म हो सकता है।

(ङ) प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
फ़ोन: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

13. हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

14. हम यह भी बयान देते हैं जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं।

15. हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों की यथोचित अपेक्षा होगी।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

16 (क) जैसाकि अधिनियम की धारा 143 (11) के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 द्वारा आवश्यक है, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक वयान इस रिपोर्ट में अनुलग्नक I, में दिया है।.

(ग) अधिनियम की धारा 145(5) के तहत आवश्यक, हमने वाणिज्यक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड-II, कोलकाता कार्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर एक बयान, लेखापरीक्षा की सुझाई गई कार्यप्रणाली का अनुपालन करने के बाद, उसके ऊपर कार्रवाई करके तथा कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव देखने के बाद, इस रिपोर्ट के **अनुलंग्नक II** में दिया है।

17 अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा और प्राप्त किया है, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित खातों की उचित पुस्तकें कंपनी द्वारा अभी तक रखी गई हैं, जो उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होती हैं।

(ग) इस रिपोर्ट में हमारे द्वारा जांचे गए तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण, तथा नकद प्रवाह विवरण खातावाहियों के अनुसार हैं।

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
फ़ोन: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) मानक, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ङ) निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किए गए, के आधार पर, 31 मार्च 2020 को कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता अनुलग्नक III में दी गई है।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम के नियम 11 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

(i) हमारी जानकारी में कोई भी लंबित मुकद्दमा नहीं आया है, जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा;

(ii) कंपनी को लागू कानूनों या लेखांकन मानकों के तहत व्युत्पन्न अनुबंधों सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर हानि के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी।

(iii) निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में धन का हस्तांतरण कंपनी पर लागू नहीं था।

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफआरएन: 302186E)

ह/-
डी चौधरी
भागीदार
(सदस्यता सं 052066)

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11 मई 2020

यूडीआईएन: 20052066AAAAAN9809

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
फ़ोन: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में अनुबंध-I

कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण

(उस तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 16 (क) में संदर्भित)

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, हम बताते हैं कि:

(i) (क) कंपनी मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति सहित, पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए हुए है।

(ख) उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई व्यापक विसंगतियां नहीं देखी गई हैं।

(ग) अचल संपतियों का स्वामित्व कंपनी के नाम पर है।

(ii) प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई व्यापक विसंगतियां नहीं देखी गई।

(iii) कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, एलएलपी या अन्य पक्षों को ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है।

(iv) कंपनी के पास धारा 185 के प्रावधान तथा अधिनियम की धारा 186 के तहत ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं है।

(v) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और अधिनियम की धारा 73 तथा 76 के प्रावधानों या किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आने वाले जमा को स्वीकार नही किया है। कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा अनुपालन के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया है।

(vi) अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड के संबंध में, कंपनी ने ऐसे खातों और रिकॉर्डों को बनाया और बनाए रखा है।

(vii) (क) कंपनी के कोलकाता और मुंबई संपतियों से संबधित नगरपालिका कर और भूमि राजस्व के संबंध में 1520.10 लाख रूपए को छोड़कर, जो छह महीने से अधिक समय से बकाया है, को छोड़कर कंपनी आम तौर पर प्रोविडेंट फण्ड, कर्मचारी राज्य वीमा, आयकर, बिक्री कर, धन कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
फ़ोन: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

वर्धित कर, उपकर और माल और सेवाओं जैसे अन्य सांविधिक बकाये सहित उचित प्राधिकृत निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करती है।.

(ख) आयकर या धन कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं सहित कुल राशि और वह फोरम जहां विवाद लंबित हैं, परिशिष्ट क में दिए गए हैं। जैसा कि नोट 2 में पैराग्राफ नंबर 2.21 में बताया गया है, 195.68 लाख रूपए, 1175.17 लाख रूपए, तथा 1605.16 लाख रूपए की विवादित बकाया राशि आबकारी शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर और मूल्य वर्धित कर से संबंधित हैं, जिनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और इस राशि को संबंधित प्राधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया है।

(viii) कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या बैंकों को ऋण या उधार की अदायगी में चूक नहीं की है। हालाँकि, इसने निम्नानुसार सरकार से ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की है। कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई ऋणपत्र बकाया नहीं था।

विवरण	मूल राशि (रु लाख में)	उपार्जित ओर देय ब्याज (रु लाख में)
भारत सरकार – योजना ऋण	9000.00	5308.25
भारत सरकार- गैर योजना ऋण	1749.00	3313.39

(ix) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अगली सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण प्रतिभूतियों सहित) के माध्यम से एकत्र धन कंपनी पर लागू नहीं थे। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया गया।

(x) लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी द्वारा अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा किए गए कोई धोखाधड़ी संज्ञान में नहीं आई है अथवा रिपोर्ट की गई है।

(xi) अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के साथ पठित अनुसूची V के अनुसार कंपनी द्वारा अनिवार्य अनुमोदन के अनुसार कोई प्रबन्धकीय पारिश्रमिक का भुगतान/ प्रदान नहीं किया गया है।

(xii) यह खंड कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि यह निधि कंपनी नहीं है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर संबंधित पक्षों के साथ कोई लेनदेन नहीं है, जैसाकि अधिनियम की धारा 177 और धारा 188 में परिभाषित किया गया है।

(xiv) कंपनी ने वर्ष के दौरान अंशों का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र नहीं बनाया है।

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
फ़ोन: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

(xv) कंपनी अपने निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I-ए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं थी।

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफआरएन: 302186E)

ह/-
डी चौधरी
भागीदार
(सदस्यता सं 052066)

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11 मई 2020

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
फ़ोन: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

परिशिष्ट क

बकाया जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं

(अनुलंग्नक I में पैरा (vii) (ख) में संदर्भित)

अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (रूपए लाख में)	जिस अवधि से बकाया संबंधित हैं	फोरम जहां विवाद लंबित है
केन्द्रीय आबकारी अधिनियम	उत्पाद शुल्क	41.82	जुलाई 1997 से जून, 2001	अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता
		36.49	जुलाई 2001 से अप्रैल, 2003	अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता
		21.41	मार्च,1985 से जुलाई 1986	आयुक्त (अपील), कोलकाता
		10.94	अप्रैल 1988 से मार्च, 1990	अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता
		41.06	जुलाई, 1987	आयुक्त (अपील), कोलकाता
		41.08	सितम्बर 1989 से फरवरी 1994	अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता
		1.22	सितम्बर 1999	अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता
		1.51	2015-16	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, खरदाह डिवीजन के अधीक्षक
		0.15	2016-17	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बड़ाबाजार डिवीजन के अधीक्षक
	केन्द्रीय बिक्री कर	21.42	2003-2004	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		292.50	2004-2005	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		440.53	2005-2006	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		294.97	2006-2007	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		16.36	2008-2009	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
फ़ोन: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

परिशिष्ट क

बकाया जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं

अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (रूपए लाख में)	जिस अवधि से बकाया संबंधित हैं	फोरम जहां विवाद लंबित है
केन्द्रीय आबकारी अधिनियम	उत्पाद शुल्क	5.63	2009-2010	अपीलीय प्राधिकरण
		92.13	2010-2011	अपीलीय प्राधिकरण
		3.01	2011-12	अपीलीय प्राधिकरण
		2.22	2012-13	अपीलीय प्राधिकरण
		4.51	2013-14	अपीलीय प्राधिकरण
		1.89	2012-13	वरिष्ठ सयुंक्त आयुक्त, धर्मातल्ला
	मूल्य वर्धित कर	119.58	2004-2005	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		101.61	2005-2006	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		49.52	2006-2007	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		265.27	2007-2008	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		629.83	2008-2009	अपीलीय और संशोधनात्मक बोर्ड, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल
		205.66	2009-2010	अपीलीय प्राधिकरण
		88.21	2010-2011	अपीलीय प्राधिकरण
		93.45	2011-2012	अपीलीय प्राधिकरण
		42.29	2012-2013	अपीलीय प्राधिकरण
		9.74	2012-13	वरिष्ठ सयुंक्त आयुक्त, धर्मातल्ला

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
फ़ोन: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

अनुलंग्नक II

(उस तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 16 (ख) में संदर्भित)

अनुलंग्नक क

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के
सन्दर्भ में वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत दिशा-निर्देश

1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का, वित्तीय निहितार्थ सहित लेखों की अखंडता पर निहितार्थ, यदि कोई हो, तो दर्शाएं।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। आईटी प्रणाली के बाहर किसी भी तरह के लेनदेन की प्रक्रिया नहीं की जाती है।
2	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी के ऋणदाता द्वारा किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है अथवा ऋण/ब्याज आदि की छूट दी गई है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ बताया जा सकता है।	वर्ष के दौरान किसी भी ऋण का पुनर्गठन नहीं किया गया है अथवा देय/ ऋण व्याज की छूट नहीं दी गई।
3	क्या केंद्रीय/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशी का, उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा केंद्रीय/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धन प्राप्त/ प्राप्य नहीं है।

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफआरएन: 302186E)

ह/-
डी चौधरी
भागीदार
(सदस्यता सं 052066)

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11 मई 2020

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
फ़ोन: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

अनुलंग्नक ख

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के
सन्दर्भ में वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त दिशा-निर्देश

1	अतिक्रमण के तहत भूमि का क्षेत्र बताएं, यदि कोई हो, और उसे हटाने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में संक्षेप में बताएं।	प्रबंधन द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के अनुसार, भूमि के किसी भी हिस्से पर अतिक्रमण नहीं किया गया है।

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफआरएन: 302186E)

ह/-
डी चौधरी
भागीदार
(सदस्यता सं 052066)

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11 मई 2020

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
फ़ोन: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में अनुलंग्नक-III

(उस तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 17 (च) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च 2020 की तारीख को कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार **बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड** ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा वितीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वितीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर जारी किये गए निर्देशों (गाइडेंस नोट्स) में वर्णित महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वितीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक नियंत्रण के लिए स्थापित मानदंडो के आधार पर आतंरिक वितीय नियंत्रण की स्थापना और बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के तहत कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचान और रोकना, लेख-अभिलेखों की पूर्णता और सटीकता के लिए, और विश्वशनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, कंपनी की नीतियों के अनुपालन सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त आतंरिक वितीय नियंत्रण की रूपरेखा लागू करना और बनाए रखना शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर गाइडेंस नोट तथा लेखा परीक्षा मानकों ("मानक") के अनुसार की है, जो आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं, और आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की लेखापरीक्षा की सीमा लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत समझी गई हों। उन मानकों और गाइडेंस नोट्स की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं की योजना इस बात को ध्यान में रखकर बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें कि उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और व्यवस्थित किया गया था और सभी भौतिक पहलुओं में इस तरह का प्रभावी ढंग से नियंत्रण संचालित है।

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
फ़ोन: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

4. हमारी लेखापरीक्षा करने की प्रक्रियाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर हमारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण कमजोरी वाले जोखिमों का आंकलन, रूपरेखा का परीक्षण और मूल्यांकन, और आंके गए जोखिमों के आधार पर आंतरिक नियन्त्रण परिचालन प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त प्राप्त करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयान, चाहे वो गलती से हो या धोखाधड़ी से, के जोखिम का आंकलन सम्मलित है, पर निर्भर करती है।

5. हम विश्वास करते हैं कि ऑडिट अभिलेख जो हमने प्राप्त किए हैं, वो पर्याप्त हैं और कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए यथोचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

6. एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया आम तौर पर सामान्य स्वीकृत लेखांकीय सिद्धांतों के प्रयोजनों के अनुसार कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्य के लिए बनाये गए वित्तीय विवरणों के लिए बनाई जाती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में इन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो:

   (i) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, जो कंपनी की परिसंपत्तियों की स्थिति का उचित व्यौरा, और लेनदेन को सही और उचित रूप से प्रतिबिंबित करता है;

   (ii) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेनों का रिकॉर्ड, वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों में अनुज्ञप्त के अनुसार किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अनुज्ञा के अनुसार किये जाते हैं; तथा

   (iii) समय पर अनाधिकृत अधिग्रहण या रोकथाम, उपयोग, या कंपनी की परिसंपत्तियों की स्थिति का पता लगाने जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, उसके लिए उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के निहित सीमाओं के कारण भ्रम अथवा अनुचित प्रबंधन नियंत्रण, महत्वपूर्ण गलत बयान त्रुटी अथवा धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न होने की संभावना है और जिसे पता नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा, भविष्य अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमानों के जोखिम

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
फ़ोन: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

के अधीन हैं क्योंकि परिस्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त बन सकते हैं अथवा नीतियों और प्रक्रिआओं के अनुपालन का स्तर कम हो सकता है।

राय

8. हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2020 को आईसीएआई द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर जारी गाइडेंस नोट्स में वर्णित आतंरिक नियंत्रण के प्रमुख घटकों पर विचार कर के सभी मामलों पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रभावशाली संचालन किया है।

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफआरएन: 302186E)

ह/-
डी चौधरी
भागीदार
(सदस्यता सं 052066)

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11 मई 2020

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
फ़ोन: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु **बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड** के खातों की लेखापरीक्षा की है और हम प्रमाणित करते हैं कि हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत वाणिज्यक लेखापरीक्षा के महानिदेशक एवं पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड-II, कोलकाता के सभी निर्देशों तथा अतिरिक्त निर्देशों का अनुपालन किया है।

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफआरएन: 302186E)

ह/-
डी चौधरी
भागीदार
(सदस्यता सं 052066)

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11 मई 2020

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

162 जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068
फ़ोन: (033) 2429-2417
ई-मेल: emcee_162@hotmail.com

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

हमने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों 2010" और उसके अंतर्गत अनुलंग्नको ('दिशानिर्देशों') में निर्धारित 31 मार्च 2020, को समाप्त वर्ष के लिए **बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड** ('कंपनी') द्वारा अनुपालन की जाँच कर ली है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी और हमें दी गई व्याख्या के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं, कि कंपनी ने गैर-सूचीबद्ध लोक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों में निर्धारित नियमों का अनुपालन किया है।

हम दोबारा बताते हैं की यह अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन देता है और न ही क्षमता और प्रबंधन द्वारा किये गए कंपनी के कार्यों की प्रभावशीलता है।

एम चौधरी एंड क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(एफआरएन: 302186E)

ह/-
डी चौधरी
भागीदार
(सदस्यता सं 052066)

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11 मई 2020

pam
www.pamindia.com
pam MCS 100

2019-20 के वार्षिक खातों पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर उत्तर

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन वर्ग का उत्तर
17.	क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा और प्राप्त किया है, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।	कोई टिप्पणी नहीं
	ख) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित खातों की उचित पुस्तकें कंपनी द्वारा अभी तक रखी गई हैं, जो उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होती हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
	ग) इस रिपोर्ट में हमारे द्वारा जांचे गए तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण, तथा नकद प्रवाह विवरण खातावाहियों के अनुसार हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
	घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) मानक, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
	ङ) निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किए गए, के आधार पर, 31 मार्च 2020 को कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
	च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता **अनुलग्नक III** में दी गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
	छ) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में: i) हमारी जानकारी में कोई भी लंबित मुकद्दमा नहीं आया है, जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा; ii) कंपनी को लागू कानूनों या लेखांकन मानकों के तहत व्युत्पन्न अनुबंधों सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर हानि के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी। iii) निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में धन का हस्तांतरण कंपनी पर लागू नहीं था।	कोई टिप्पणी नहीं
i)	क) कंपनी मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए हुए है। ख) उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई व्यापक विसंगतियां नहीं देखी गई हैं। ग) अचल संपतियों का स्वामित्व कंपनी के नाम पर है।	कोई टिप्पणी नहीं
ii)	प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई व्यापक विसंगतियां नहीं देखी गई।	कोई टिप्पणी नहीं

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन वर्ग का उत्तर
iii)	कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, एलएलपी या अन्य पक्षों को ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है।	कोई टिप्पणी नहीं
iv)	कंपनी के पास धारा 185 के प्रावधान तथा अधिनियम की धारा 186 के तहत ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
v)	कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और अधिनियम की धारा 73 तथा 76 के प्रावधानों या किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आने वाले जमा को स्वीकार नही किया है। कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा अनुपालन के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
vi)	अधिनियम की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड के संबंध में, कंपनी ने ऐसे खातों और रिकॉर्डों को बनाया और बनाए रखा है।	कोई टिप्पणी नहीं
vii)	(क) कंपनी के कोलकाता और मुंबई संपतियों से संबधित नगरपालिका कर और भूमि राजस्व के संबंध में 1520.10 लाख रूपए को छोड़कर, जो छह महीने से अधिक समय से बकाया है, को छोड़कर कंपनी आम तौर पर प्रोविडेंट फण्ड, कर्मचारी राज्य वीमा, आयकर, बिक्री कर, धन कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और माल और सेवाओं जैसे अन्य सांविधिक बकाए सहित प्राधिकृत निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करती है। (ख) आयकर या धन करया सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं सहित कुल राशि और वह फोरम जहां विवाद लंबित हैं, परिशिष्ट क में दिए गए हैं। जैसा कि नोट 2 में पैराग्राफ नंबर 2.21 में बताया गया है, 195.68 लाख रूपए, 1175.17 लाख रूपए, तथा 1605.16 लाख रूपए की विवादित बकाया राशि आबकारी शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर और मूल्य वर्धित कर से संबंधित हैं, जिनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और इस राशि को संबंधित प्राधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
viii)	कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या बैंकों को ऋण या उधार की अदायगी में चूक नहीं की है। हालाँकि, इसने निम्नानुसार सरकार से ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की है। कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई ऋणपत्र बकाया नहीं था। विवरण / मूल राशि (रु लाख में) / उपार्जित ओर देय ब्याज (रु लाख में) भारत सरकार – योजना ऋण / 9000.00 / 5308.25 भारत सरकार- गैर योजना ऋण / 1749.00 / 3313.39	कंपनी ने भारत सरकार के ऋणों को चुकाना शुरू कर दिया और 2017-18 और 2018-19 के दौरान ऋण की आंशिक राशि चुका दी है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन वर्ग का उत्तर
ix)	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अगली सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण प्रतिभूतियों सहित) के माध्यम से एकत्र धन कंपनी पर लागू नहीं थे। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं
x)	लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी द्वारा अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा किए गए कोई धोखाधड़ी संज्ञान में नहीं आई है अथवा रिपोर्ट की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
xi)	अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के साथ पठित अनुसूची V के अनुसार कंपनी द्वारा अनिवार्य अनुमोदन के अनुसार कोई प्रबन्धकीय पारिश्रमिक का भुगतान/ प्रदान नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
xii)	यह खंड कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि यह निधि कंपनी नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
xiii)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर संबंधित पक्षों के साथ कोई लेनदेन नहीं है, जैसाकि अधिनियम की धारा 177 और धारा 188 में परिभाषित किया गया है।	कंपनी ने भारत सरकार के ऋणों को चुकाना शुरू कर दिया और 2017-18 और 2018-19 के दौरान ऋण की आंशिक राशि चुका दी है। 31 मार्च 2020 को कंपनी ने ब्याज वाला संपूर्ण ऋण का भारत सरकार को पुनर्भुगतान कर दिया है।
xiv)	कंपनी ने वर्ष के दौरान अंशों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र नहीं बनाया है।	कोई टिप्पणी नहीं
xv)	कंपनी अपने निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
xvi)	कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I-ए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं थी।	कोई टिप्पणी नहीं

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन वर्ग का उत्तर
	अनुलंग्नक-क	
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का, वित्तीय निहितार्थ सहित लेखों की अखंडता पर निहितार्थ, यदि कोई हो, तो दर्शाएं।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए एक प्रणाली है। आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेनदेन संसाधित नहीं किया जाता है।
2	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी के ऋणदाता द्वारा किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है अथवा ऋण/ब्याज आदि की छूट दी गई है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ बताया जा सकता है।	वर्ष के दौरान ऋणदाता द्वारा ऋण की छूट या ऋण/ ब्याज आदि की छूट का कोई पुनर्गठन नहीं किया गया है।
3	क्या केंद्रीय/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशी का, उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	कंपनी द्वारा केंद्रीय/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/ कोष प्राप्त होने का कोई मामले नहीं हैं।

ह/-

(एन. रॉय प्रमाणिक)
विभागाध्यक्ष (वित्त)

ह/-

(पी.एम. चन्द्रया)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त)

(भारत सरकार का एक उपक्रम)
6, गणेश चन्द्र एवेन्यु, कोलकाता - 700013
BENGAL CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LIMITED
(A Govt of India Enterprise)
6, Ganesh Chunder Avenue, Kolkata - 700 013
श्री निर्मल कुमार दुबे
सहायक निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
का हार्दिक स्वागत करता है

39th FORMATION DAY CELEBRATIONS
27th MARCH, 2019

31 मार्च 2020 तक तुलन पत्र

रूपए लाख में

विवरण	नोट	31 मार्च 2020 तक		31 मार्च 2019 तक	
इक्विटी एवं देयताएं					
शेयरधारकों के फंड:					
अंश पूँजी	3	**7,696.04**		7,696.04	
संचय एवं अधिशेष	4	**(13,067.42)**		(14,374.46)	
			(5,371.38)		(6,678.42)
गैर चालू देयताएं:					
दीर्घावधि ऋण	5	**19,370.64**		20,072.78	
अन्य दीर्घावधि देयताएं	6	**494.95**		574.54	
दीर्घावधि प्रावधान	7	**753.48**		727.29	
			20,619.07		21,374.61
चालू देयताएं:					
अल्पावधि ऋण					
व्यापर भुगतान	8	**2,140.27**		2,616.35	
अन्य चालू देयताएं	9	**3,161.72**		3,280.20	
अल्पावधि प्रावधान	10	**259.56**		299.34	
			5,561.55		6,195.89
कुल देयताएं			**20,809.24**		20,892.08
परिसंपत्तियां					
गैर चालू परिसंपत्तियां:					
अचल संपत्तियां:					
मूर्त संपत्तियां	11	**9,328.40**		9,782.75	
कार्यशील पूँजी	12	**4,790.82**		4,754.67	
			14,119.22		14,537.42
चालू संपत्तियां:					
इन्वेंटरीज	13	**1,652.89**		1,708.03	
व्यापार प्राप्य	14	**3,173.31**		3,521.31	
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	15	**343.67**		63.36	
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	16	**543.82**		380.79	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	17	**976.33**		681.17	
			6,690.02		6,354.66
कुल परिसंपत्तियां			**20,809.24**		**20,892.08**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 1
खातों पर नोट 2
उपर्युक्त टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा हैं

इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के सन्दर्भ में

एम चौधरी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन.302186ई)

ह/-
(डी चौधरी)
सहभागी
सदस्यता सं. 052066

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11 मई 2020

यूडीआईएन: 20052066AAAAAN9809

बोर्ड की तरफ से

ह/-
(पीएम चन्द्रय्या)
प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक(वित्त)
डीआइएन : 06970910

ह/-
(एन रॉय प्रमाणिक)
विभागाध्यक्ष/ (वित्त)

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक सरकारी निदेशक
(सरकारी नामित निदेशक)
डीआइएन : 07562190

ह/-
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ हानि विवरण

रूपए लाख में

विवरण	नोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
संचालन (सकल) से राजस्व		**7,027.69**	10,050.06
घटाएं: उत्पाद शुल्क		-	-
संचालन से राजस्व (शुद्ध)	18	**7,027.69**	10,050.06
अन्य आय	19	**1,535.62**	1,917.08
कुल आय		**8,563.31**	**11,967.14**
व्यय			
कच्चे माल की खपत	20	**3,501.82**	5,270.05
इनवेन्ट्रीज में परिवर्तन	21	**1.11**	262.33
कर्मचारी हितलाभ व्यय	22	**1,415.56**	1,478.63
वित्त लागत	23	**68.46**	245.08
अन्य व्यय	24	**1,618.99**	1,672.97
मूल्यह्रास	11	**511.75**	512.18
कुल व्यय		**7,117.69**	9,441.24
कर-पूर्व लाभ		**1,445.62**	**2,525.90**
कर व्यय/ आयकर के लिए प्रावधान		**138.58**	-
कर के बाद लाभ (हानि)		**1,307.04**	**2,525.90**
1000/- रूपए के अंकित मूल्य वाले शेयर की प्रति शेयर कमाई (बेसिक और डाइलुटेड), रुपए में		**169.83**	328.21

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 1
खातों पर नोट 2
उपर्युक्त टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा हैं

इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के सन्दर्भ में

एम चौधरी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन.302186ई)

ह/-
(डी चौधरी)
सहभागी
सदस्यता सं. 052066

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11 मई 2019

यूडीआईएन: 20052066AAAAAN9809

बोर्ड की तरफ से

ह/-
(पीएम चन्द्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त)
डीआइएन : 06970910

ह/-
(एन रॉय प्रमाणिक)
विभागाध्यक्ष/ (वित्त)

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक सरकारी निदेशक
(सरकारी नामित निदेशक)
डीआइएन : 07562190

ह/-
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु रोकड़ प्रवाह विवरण

(रूपए लाख में)

		31st March 2020	31st March 2019
A प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
असाधारण मदों एवं कर से पहले शुद्ध लाभ	(i)	**1,307.05**	2,525.90
समायोजन			
मूल्यह्रास		**511.75**	512.18
वित्तीय लागत		**68.46**	245.08
ब्याज आय		**-3.44**	-4.85
संपत्तियों से किराया		**-1,371.99**	-1,409.62
अन्य		**-15.31**	-160.79
वापस लिखे गए प्रावधान		**-144.88**	-341.82
संदिग्ध प्राप्तियों, ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान		**-14.91**	26.46
पूर्वावधि समायोजन		**7.44**	0.05
	(ii)	**-962.88**	-1,133.31
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	(iii)=(i+ii)	**344.17**	1,392.59
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:			
संचालन संपत्तियों में वृद्धि/ (कमी) का समायोजन :			
इन्वेंटरीज		**55.14**	261.82
व्यापार प्राप्य योग्य		**348.00**	-1,224.37
लघु अवधि ऋण और अग्रिम		**-163.03**	202.95
अन्य चालू परिसंपत्तियां		**-295.16**	10.51
	(iv)	**-55.05**	-749.09
परिचालन देयताओ में वृद्धि/ (कमी) हेतु समायोजन			
व्यापार देय		**-476.08**	-777.75
अन्य चालू देयताएं (अन्य देय)		**83.12**	-353.46
लघु अवधि प्रावधान		**-39.78**	-78.90
दीर्घावधि प्रावधान		**26.19**	-223.57
	(v)	**-406.55**	-1,433.68
परिचालन से उत्पन्न रोकड़	(vi)=	**-117.43**	-790.18
(परिचालन गतिविधियों से/ (में प्रयुक्त) निवल रोकड़ प्रवाह)	(iii+iv+v)	**-117.43**	-790.18

एम चौधरी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन.302186ई)

ह/-
(डी चौधरी)
सहभागी
(सदस्यता सं. 052066)

बोर्ड की तरफ से

ह/-
(पीएम चन्द्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त)
डीआइएन : 06970910

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक सरकारी निदेशक
(सरकारी नामित निदेशक)
डीआइएन : 07562190

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11 मई 2020

ह/-
(एन रॉय प्रमाणिक)
विभागाध्यक्ष/ (वित्त)

ह/-
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव

यूडीआईएन: 20052066AAAAAN9809

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु रोकड़ प्रवाह विवरण

(रूपए लाख में)

		31st March 2020		31st March 2019	
B निवेश गतिविधियो से रोकड़ प्रवाह:					
सडब्लुआइपी, अचल परिसम्पतियों पर पूंजी व्यय		**-93.55**		-8.59	
बैंक शेष, नगद और नगद समकक्ष नहीं माना गया					
परिपक्व सावधि जमा		**-217.57**		125.16	
किरायोदारों से जमा		**-79.59**		26.80	
प्राप्त ब्याज		**3.44**		4.85	
संपत्ति के निवेश किराए की आय		**1,371.99**		1,409.62	
अन्य (दावे)		**15.31**	**1,000.03**	160.79	1,718.63
C वित्तीय गतिविधियो से रोकड़ प्रवाह विवरण					
दीर्घावधि ऋण		**-761.00**		-932.48	
वित्तीय लागत		**-58.86**	**-819.86**	-47.42	-979.90
नकद और नकद समकक्ष में निवल वृद्धि/ (कमी)	A+B+C		**62.74**		-51.45
साल की शुरुवात में नकद और नकद समकक्ष			**5.35**		58.92
साल के अंत में नकद और नकद समकक्ष			**68.09**		5.35
नकद और नकद समकक्ष का मिलान					
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समकक्ष			**343.67**		63.36
घटाएं: टर्म डिपाजिट जिन्हें नकद और नकद समतुल्य नहीं माना गया			**275.58**		58.01
निवल नकद तथा नकद समतुल्य			**68.09**		5.35
वर्ष के अंत में नकद तथा नकद समतुल्य					
रोकड़		**0.71**		0.32	
बैंक में चालू खाते में शेष		**67.38**	**68.09**	5.03	5.35

एम चौधरी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन.302186ई)

ह/-
(डी चौधरी)
सहभागी
(सदस्यता सं. 052066)

बोर्ड की तरफ से

ह/-
(पीएम चन्द्रय्या)
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं
निदेशक (वित्त)
डीआइएन : 06970910

ह/-
(जितेन्द्र त्रिवेदी)
अंशकालिक सरकारी निदेशक
(सरकारी नामित निदेशक)
डीआइएन : 07562190

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 11 मई 2020
यूडीआईएन: 20052066AAAAAN9809

ह/-
(एन रॉय प्रमाणिक)
विभागाध्यक्ष/ (वित्त)

ह/-
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव

1.0 वर्ष 2019-20 की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार:

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अुनसार बनाया और प्रस्तुत किया गया है। जीएएपी में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133, अधिनियम के प्रावधानों (जहां तक अधिसूचित किए गए हैं) के अंतर्गत निर्धारित अनिवार्य लेखा मानक सम्मलित हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के तहत उपचय के आधार पर तैयार किए जाते हैं। जब नए लेखांकन मानकों को प्रारंभिक तौर पर अपनाया गया हो अथवा मौजूदा लेखांकन मानकों में संशोधन के कारण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन करना पड़े, के अलावा लेखांकन नीतियों का निरंतर उपयोग किया जाता है। वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए निकटतम लाख रुपए में पूर्णांकित प्रस्तुत किया जाता है।

1.2 प्राक्कलनों का उपयोग:

सामान्य स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों में वांछित निर्णयों अनुमानों और वितियों विवरणों की तिथि को देयताओं और परिसम्पतियों की रिपोर्टेड राशि, आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्टेड राशि को प्रभावी बनाने की धारणाओं के अनुसार वितीय विवरणों को तैयार किया जाता है।

लेखांकन अनुमान समय-समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम भी इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। प्रबंधन के अनुमानों के आस-पास की परिस्थितियों में परिवर्तन से अवगत होने पर अनुमानों में उपयुक्त परिवर्तन किये जाते हैं। अनुमानों में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि के वितीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं, और यदि महत्वपूर्ण हो तो इनके प्रभावों का प्रकटीकरण वित्तीय विवरण के नोट्स में किया जाता है।

1.3 चालू/ गैर- चालू संपत्ति एवं देयतायों का वर्गीकरण

सभी परिसम्पत्तियों और देनदारियों को कंपनी के परिचलन सामान्य चक्र के अनुसार चालू/ गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिसम्पत्तियां

एक परिसंपत्ति को चालू तभी माना जाता है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को संतुष्ट करती हो :

(i) इसकी वसूली होने की उम्मीद या बिक्री या क्षय के लिए आशायित, कंपनी के सामान्य संचालन चक्र में हो ;

(ii) मुख्य रुप से कारोबार के लिए रखा गई हो ;

(iii) रिपोर्टिंग की तारीख से 12 महीने के अंदर वसूल होने की उम्मीद हो; अथवा

(iv) (iv)यह नकद व नकद समतुल्य है जब तक यह आदान-प्रदान या रिपोर्टिंग तारीख के बाद कम से कम 12 महीने के लिए एक दायित्व व्यवस्थित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने से प्रतिबंधित है.

देयताएं

देयताएँ चालू तभी मानी जाती है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को संतुष्ट करती हो:

(i) कंपनी के सामान्य संचालन चक्र में ही इसका निपटारा होने की उम्मीद हो;

(ii) मुख्य रुप से कारोबार के लिए रखा गई हो ;

(iii) रिपोर्टिंग की तारीख से 12 महीने के अंदर इसके निपटारा होने की उम्मीद हो; अथवा

(iv) कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता का निपटान करने का एक बेशर्त अधिकार नहीं है। देनदारियों की शर्तें, प्रतिपक्ष के विकल्प, इक्वटी को जारी कर इसका निपटान आदि इसके वर्गीकरण को प्रभावित न कर सके।

चालू सम्पत्तियां और चालू देनदारियां क्रमशः वित्तीय सम्पत्तियों और वित्तीय देनदारियों की चालू स्थिति को शामिल करती है। बाकी सभी सम्पत्तियों को गैर–चालू रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संचालन चक्र:

संचालन चक्र, प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद या नकद समकक्ष में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है।

1.4 अचल संपत्तियां:

(क) मूर्त सम्पत्तियां

(i) मूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण या निर्माण लागत पर वर्णित किया जाता है और सम्पत्ति के पुर्नमूल्यांकन का मूल्य जोड़कर और संचित मूल्यह्रास और हानि का मूल्य घटाकर इसमें निहित होता है। मूर्त अचल संपत्ति के एक मद की लागत में इसका खरीद मूल्य सहित आयात शुल्क और अन्य गैर-वापसी योग्य कर या करारोपण और इसके उपयोग की जाने वाली जगह के लिए परिसंपत्ति को अपनी कार्यशील स्थिति में लाने की कोई विशेष लागत आदि शामिल है। क्रय मूल्य तक पहुँचने के लिए व्यापारिक छूट या रिबेट को घटा दिया जाता है। अचल सम्प्पतियों के अधिग्रहण के लिए चुकाए गए भुगतानों को तुलनपत्र की तिथि को दीर्घावधि ऋण और अग्रिमों के अंतर्गत अदत्त दिखाया जाता है और जिन सम्पत्तियों को समय के पूर्व इस्तेमाल नहीं कर सकते उन्हें 'प्रगति कार्य' में दिखाते है।

(ii) मूर्त सम्पतियों की मद से संबधित अनुवर्ती खर्चे तभी पूँजीकृत किये जाते हैं, जब भविष्य के लाभों को वर्तमान सम्पतियों से इसके पिछले मूल्यांकित प्रदर्शन स्तर में वृद्धि करे।

(iii) निर्माण समय के दौरान कमीशनिंग की तिथि तक किए गए आकस्मिक खर्चे पूंजीकृत किये जाते हैं।

(ख) अमूर्त संपत्तियां

(i) अमूर्त संपत्तियों में ब्रैंड, ट्रेडमार्क और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, आदि सम्मलित हैं, जो लागत से संचित परिशोधन और हानि को घटाकर दिखाई जाती हैं, सम्मलित हैं। अमूर्त अचल सम्पति की लागत में आयात शुल्क और अन्य

अप्रतिदेय कर और करारोपण और संपत्ति को इसके अभिप्रेत उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने के लिए किए गए अन्य खर्च सहित क्रय मूल्य सम्मलित है। क्रय मूल्य तक पहुचने के लिए अन्य ब्यापारिक छूट और रिबेट को घटा दिया जाता है। अमूर्त सम्पतियों के अधिग्रहण के लिए चुकाए गए अग्रिमों के बकायों को प्रत्येक तुलन पत्र के तिथि को दीर्घावधि ऋण और अग्रिमो के अंतर्गत दर्शाया जाता है और और जो सम्पत्तियां इस्तेमाल के लिए समाप्त अवधि से पूर्व तैयार नहीं हैं, उनको विकासशील अमूर्त अचल संपत्तियों के रूप में दर्शाया जाता।

(ii) अनुवर्ती खर्चे तभी पूँजीकृत किये जाते हैं जब यह विशिष्ट सम्पत्ति से संबधित हो और भविष्य के आर्थिक लाभ में वृद्धि करे।

1.5 वस्तु एवं सेवा कर:

कंपनी द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू दरों पर उपलब्ध इनपुट क्रेडिट के समायोजन के अधीन वस्तु और सेवाओं की बाहरी आपूर्ति पर चार्ज किया जाता है।

1.6 मूल्यह्रास/ परिशोधन:

अवमूल्यन किसी सम्पत्ति की कीमत, या कीमत में लगे घटित मूल्य या बचे हुए मूल्य से घटे हुए मूल्य को कहते हैं।

वर्ष के दौरान अभिगृहीत मूर्त अचल संपत्तियों (पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और कार्यपूंजी) के संबंध में, मूल्यह्रास/ परिशोधन स्ट्रेट लाइन आधार पर चार्ज किया जाता है ताकि संपत्तियों के उपयोगी जीवन काल में इनकी लागत को बट्टे खाते में डाला जा सके और जो सम्पत्तियां 1 अप्रैल 2014 से पहले खरीदी गयी हैं उनकी 1 अप्रैल 2014 को लाई गयी राशि बचे हुए उपयोगी जीवनकाल में ह्रासित की जाती है। उपयोगी जीवनकाल कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II के भाग-सी के समान है।

अमूर्त अचल संपत्तियों का परिशोधन उनसे संबंधित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर कंपनी में सम्पति की उपयोग के लिए उपलब्धता की तिथि से शुरू करके स्ट्रेट लाइन के अनुसार किया जाता है।

1.7 ऋण लागत:

योग्य संपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण के लिए निर्दिष्ट ऋण लागत, उन संपत्तियों के पूंजीकरण की तिथि तक उस पूँजी के हिस्से के रूप में पूंजीकृत की जाती है। एक योग्य संपत्ति वह है जो इसके वांछित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण समय लेती है। अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि के ब्यय के रूप में दर्शाया जाता है, जिस अवधि में वे किये गए हैं और लाभ और हानि विवरण से चार्ज किया जाता है।

1.8 देयताएं:

पूँजी और राजस्व दोनों तरह के प्रकृति के क्रयों के संबंध में देयता जारी सामग्री आवक पर्ची की तिथि के आधार पर लेखबद्ध की जाती है।

1.9 परिसंपत्तियों की हानि:

परिसंपत्ति को ख़राब तब माना जाता है, जब सम्पत्ति की रख-रखाव लागत इसकी वसूली योग्य मूल्य से बढ़ जाती है। एक ख़राब हानि उस वर्ष के लाभ हानि विवरण से चार्ज की जाती है, जिसमे संपत्ति ख़राब मानी गयी हो। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन हो, तो पूर्व लेखावधि में स्वीकृत ख़राब हानि उत्क्रम की जाएगी।

1.10 निवेश:

(i) निवेश जो तात्कालिक वसूली योग्य और जिस तिथि में वह निवेश किया गया से बारह महीने से अधिक धारण नहीं करते, को चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेश दीर्घावधि निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।

(ii) प्रारंभिक स्वीकृति में, सभी निवेशों को लागत के रूप में मापा जाता है। लागत, क्रय मूल्य और दलाली, फीस और शुल्क जैसे प्रत्यक्ष निर्दिष्ट अधिग्रहण खर्चों को सम्मलित करती है। यदि निवेश अधिग्रहण और आंशिक अधिग्रहण अंशों अथवा अन्य प्रतिभूतियां जारी करके किया गया हो तो अधिग्रहण लागत जारी प्रतिभूतियों का उचित मूल्य होगी। यदि निवेश अन्य संपत्ति के विनिमय में अधिगृहित की गयी हो तो अधिग्रहण की गयी संपत्ति के उचित मूल्य के सन्दर्भ में अथवा अधिगृहित निवेश के उचित मूल्य, जो भी स्पष्ट साक्ष्य हो, के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

(iii) चालू निवेश निम्नतम लागत और व्यक्तिगत निवेश के लिए निर्धारित उचित मूल्य के आधार पर वितीय विवरणों में दर्शाया जाते हैं। दीर्घावधि निवेश लागत पर दर्शाए जाते हैं। यधपि, मूल्य में गिराबट के लिए प्रावधान, मूल्य में अस्थाई गिराबट को छोड़ कर निर्धारित किये जाते हैं। .

(iv) एक निवेश के अपवहन पर, इसकी वहन राशि और शुद्ध अपवहन प्राप्त आय के बीच के अंतर को चार्ज किया जाता है अथवा लाभ-हानि के विवरण में आकलित किया जाता है।

1.11 सरकारी अनुदान:

(i) पूंजी अनुदान/ सब्सिडी: विशिष्ट परिसम्पतियों से सबंधित पूँजी अनिदन/ सब्सिडी को परिसंपत्तियों के सकल मूल्यों से कम किया जाता है और परियोजनाओं के लिए पूंजी अनुदान के लिए पूंजी अनुदान पूँजी आरक्षित खाते में क्रेडिट किया जाता है एवं अपेक्षित शर्तें पूरी होने तक रखा जाता है।

(ii) राजस्व अनुदान/ सब्सिडी:

क) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन और बकाया वेतन हेतु भारत सरकार की ओर से प्राप्त सहायक अनुदान को लाभ और हानि खाते के माध्यम से संबंधित लागत से मिलाया जाता है। अप्रयुक्त अनुदान चालू दायित्वों के अंतर्गत दिखाए जाते हैं। .

ख) अन्य सभी राजस्व अनुदान लाभ और हानि खाते में क्रेडिट किए जाते हैं।

1.12 राजस्व मान्यता:

(i) सामान्य गतिविधियों के दौरान माल की बिक्री से राजस्व तब स्वीकार्य होता है जब माल में संपत्ति, या सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं उनके स्वामित्व के प्रतिफल ग्राहकों को स्थानांतरित कर दिये जाते हैं और प्रतिफल की राशि जो वस्तुओं की बिक्री से उत्पन्न होगी, से संबंधित और इसकी वसूली से संबधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता ना रहे। राजस्व में उत्पाद शुल्क और लागू निवल बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर/ जीएसटी और लागू निवल छूट और भत्ते सम्मलित होते हैं।

(ii) बिक्री वापसी उसी वर्ष में लेखांकित की जाती है, जिसमें ग्राहकों से वापिस हुई हो।

(iii) रॉयल्टी, चरणबद्ध भुगतान, टेकनिकल नो-हाउ एरेंज्मेंट्स, विशिष्टता और पेटेंट सेटलमेंट और लाइसेंसिंग एरेंज्मेंट्स से प्राप्त आय प्रासंगिक समझौते की शर्तों के अनुसार एक प्रोद्भवन आधार पर लिया जाता है। कोई भी गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क समझौते की शर्तें स्ट्रेट लाइन आधार पर स्वीकार्य हैं।

(iv) निर्यात प्रोत्साहन आय के रूप में स्वीकार्य हैं जब किए गए निर्यात के संबंध में योजना की स्थापित शर्तों के अनुसार क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार हो और जहां प्रासंगिक निर्यात आय का अंतिम संग्रह के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण अनिश्चितता न है।

(v) निवेश के निपटान/ बिक्री पर लाभ उस अवधि में आय के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें निवेश बेचा जाता है/ निपटारा होता है।

(vi) लाभांश आय तब स्वीकार्य है, जब आय प्राप्त करने का अधिकार स्वीकार्य हो जाए। ब्याज आय वकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रख कर अनुपात अवधि के आधार पर स्वीकार्य होती है। ऋण प्रतिभूतियों पर छूट और प्रीमियम परिपक्व अवधि पर अर्जित होता है।

(vii) किराए पर दी गई संपत्तियों से हुई किराया आय, किरायेदार के साथ किए गए समझौते के अनुसार उपचय आधार पर स्वीकार्य होती है।

1.13 विदेशी मुद्रा लेनदेन और रूपांतरण:

विदेशी मुद्रा में लेन-देन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आते है, के अलावा का लेखा-जोखा जिस दिन लेन-देन हुआ, उसी दिन की तारीख की विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। फॉरवर्ड अनुबंधों के अलावा, अन्य विदेशी मुद्रा में लेन-देन वर्ष के अंत विनिमय दरों में परिवर्तित किए जाते हैं। इस तरह के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि, लाभ और हानि खाते में समायोजित किये जाते हैं। विदेशी मुद्रा ऋण वर्ष के अंत में विनिमय दरों में मूल्यांकित किए जाते हैं।

बकाया फॉरवर्ड अनुबंध, यदि हो तो, तुलन पत्र की तिथि में उस तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर फिर से बहाल किये जाते हैं।

1.14 इनवेन्ट्रीज:

अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन, लागत या शुद्ध वसूली (ट्रेड मूल्य का 16% घटा कर), जो कम हो, के आधार पर किया जाता है। कच्चा माल, पैकिंग सामान और पुर्जे, लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं। प्रगतिशील कार्य, सामग्री लागत पर 30% की दर से श्रम लागत जोड़ने के आधार पर किया जाता है। बल्क अंतिम स्टॉक के मामले में कच्चे माल की लागत का 41% अपरीय लागत में जोड़ा जाता है। कच्चे माल तथा पैकिंग सामग्री के स्टॉक का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक के आधार पर किया जाता है और स्टोर्स और पुर्जों को भारित औसत लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

1.15 नकद और नकद समतुल्य:

(i) नकद और बैंक शेष में बैंक में नकदी, रोकड़ शेष, चेक शेष, बैलेंस शीट तारीख से 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि के साथ डिमांड डिपोजिट और बैंक डिपोजिट सम्मलित हैं।.

(ii) नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समतुल्य में नकदी और बैंक शेष, चेक शेष और बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध डिमांड डिपोजिट सम्मिलित हैं।

1.16 अनुसंधान और विकास लागत:

उत्पादों के विकास के लिए किए गए अनुसंधान और विकास लागत, व्यय के रूप माने जाते हैं। विकास लागत जो नई अथवा बेहतर सामग्री की रूप-रेखा और परिक्षण, नए क्षेत्रों में मौजूदा उत्पादों की प्रक्रिया और उत्पादन से संबधित है, को अमूर्त माना जाता है, जब कंपनी निम्नलिखित सभी का प्रदर्शन करती हैं:

(i) यह परिसंपत्ति के विकास को पूरा करने के लिए तकनीकी रूप से साध्य है और यह बिक्री/ उपयोग के लिए उपलब्ध है।

(ii) यह उम्मीद है कि इस तरह के विकास को पूरा हो जाएगा और इसे बिक्री/ उपयोग में लाया जाएगा।

(iii) यह उम्मीद है कि ऐसी संपत्ति भविष्य में आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी।

(iv) इस तरह के विकास को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।

(v) विकास के दौरान परिसंपत्ति के लिए विशेष रूप से व्यय का मूल्यांकन करना संभव है।

पूंजी स्वभाव के रूप में अनुसंधान और विकास व्यय को अचल संपत्ति में जोड़ दिया जाता है। एक परिसंपत्ति के रूप में विकास व्यय की प्रारंभिक पहचान के बाद, लागत मॉडल परिसंपत्ति की आवश्यकता के अनुसार लागू किया जाता है, जो किसी भी जमा परिशोधन और संचित हानि अथवा संचित घाटा से कम हो। विकास लागत की मूल कीमत सालाना हानि के परीक्षण के लिए इस्तेमाल होती है।

1.17 कर्मचारी लाभ:

(i) भविष्य निधि: कंपनी द्वारा प्रशासित भविष्य निधि न्यास में कर्मचारी भविष्य निधि के लिए कंपनी निर्दिष्ट मासिक योगदान करती है। भविष्य निधि न्यास द्वारा लाभार्थियों के लिए देय न्यूनतम ब्याज प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। न्यास की संबंधित निवेश पर रिटर्न और अधिसूचित ब्याज दर के बीच यदि कोई कमी हो तो उसको पूरा करना कंपनी का दायित्व है।

(ii) ग्रेच्युटी: निर्धारित सेवानिवृत्त योजना लाभ के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के प्रति कंपनी का एक दायित्व है। यह योजना सेवानिवृत्ति से निहित कर्मचारी, सेवायोजन के दौरान मौत या रोजगार की समाप्ति पर कर्मचारी के वेतन और रोजगार की शर्तों के आधार पर एक मुश्त राशि के भुगतान का प्रावधान प्रदान करती है। निहित, सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर होता है। कंपनी तुलन-पत्र की तारीख में एक स्वतंत्र मुंशी द्वारा निर्धारित बीमांकिक वैल्यूएशन के अनुसार ग्रेच्युटी के प्रति दायित्व प्रदान करती है।

(iii) अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति/ छुट्टी वेतन: कंपनी की नीति के अनुसार, पात्र छुट्टियां कर्मचारियों द्वारा संचित की जा सकती है और भविष्यकाल में सेवा के दौरान उपयोग करने या भुनाने के लिए अग्रेनीत की जाती है। नकदीकरण, सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति/ जल्दी सेवानिवृत्ति पर, योजना की वापसी पर, इस्तीफे पर या कर्मचारी की मौत पर किया जा सकता है। लाभ का मूल्य कर्मचारी की वरिष्ठता और वेतन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तदनुसार, कंपनी उस अवधि में ऐसे मुआवजे की अनुपस्थिति के लिए एक दायित्व रखती है, जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करता है जो कि पात्रता में वृद्धि करता है। कंपनी तुलन-पत्र की तारीख में एक स्वतंत्र मुंशी द्वारा निर्धारित बीमांकिक वैल्यूएशन के अनुसार अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति/ छुट्टी वेतन के प्रति दायित्व प्रदान करती है।

1.18 पट्टे:

(i) कंपनी जहां एक पट्टेदार है:

परिसंपत्तियों के पट्टों, जिसके तहत सभी जोखिम और स्वामित्व हक़ प्रभावी ढंग से पट्टादाता द्वारा बनाए रखा जाता है उन्हें ऑपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेटिंग पट्टों के तहत लीज भुगतान पट्टा अवधि के लिए स्ट्रेट लाइन आधार पर एक व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं।

(ii) कंपनी जहां एक पट्टादाता है

पट्टे, जिसमें कंपनी काफी हद तक सभी जोखिमों और संपत्ति के स्वामित्व के लाभ को स्थानांतरण नहीं करती उन्हें ऑपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेटिंग पट्टों के अधीन संपत्तियां, स्थायी संपत्तियों में शामिल की जाती हैं। लीज आय पट्टा अवधि के लिए स्ट्रेट लाइन आधार पर पहचानी जाती है। मूल्यह्रास सहित लागत, एक व्यय के रूप में पहचानी जाती हैं। प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसेकि कानूनी खर्च, दलाली लागत, इत्यादि लाभ-हानि विवरण में तुरंत दर्शाए जाते हैं।

1.19 खंड रिपोर्टिंग:

कंपनी, कंपनी के विवरणों को बनाने और प्रस्तुतीकरण के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियों के अनुरूप इसके खंड की जानकारी तैयार करती है और कंपनी ने तीन प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड अर्थात रसायन, औषध और प्रसाधन सामग्री एवं गृह उत्पादों की पहचान की है।

1.20 आय पर कर:

(i) वर्तमान आयकर सहित कर की गणना लागू करदरों और कर कानून को इस्तेमाल करके की जाती है। यदि अतिरिक्त करों के लिए कोई देयता हो तो आकलन पूरा होने पर प्रदान/ चुकाया जाता है।

(ii) समय-सीमा पर अंतर-निर्धारण करों की गणना कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है, जिन्हें बैलेंस शीट की तारीख द्वारा अधिनियमित किया गया है या मूल रूप से लागू किया गया है। अस्थगित कर परिसंपत्ति को पहचाना जाता है और बिना किसी असंबद्ध अवमूल्यन और संचित घाटे को छोड़कर अन्य मदों के समय के अंतर के लिए अग्रेनित किया जाता है, इस बात की पर्याप्त संभावना है कि भविष्य में संपत्ति की

वसूली हो सकती है। हालांकि, अनवशोषित ह्रास या घाटे को आगे ले जाने पर अस्थगित कर संपत्ति केवल तभी पहचानी जाती है, अगर आभासी निश्चितता है कि परिसंपत्तियों की वसूली करने के लिए पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी। अस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में उनकी वसूली के लिए समीक्षा की जाती है।

1.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

(i) प्रावधान: एक प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होती है, जब पिछले घटना के फलस्वरूप कंपनी का एक वर्तमान दायित्व हो; दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए संसाधनों की एक बहिर्वाह आर्थिक लाभ के लिए आवश्यक हो जाएगा और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। प्रावधान इसके वर्तमान मूल्य के लिए रियायती नहीं हैं और रिपोर्टिंग की तारीख में दायित्व व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक सबसे अच्छे अनुमान के आधार पर निर्धारित हैं। यह अनुमान प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को समीक्षित किया जाते हैं और मौजूदा सबसे अच्छा अनुमान दर्शाने हेतु समायोजित किये जाते हैं।

(iii) आकस्मिक देयताएं: आकस्मिक देयता एक संभव दायित्व है, जो कि अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होती है, जिनके अस्तित्व की पुष्टि कंपनी के नियंत्रण से बाहर अनिश्चित भविष्यकाल में एक या एक से अधिक घटित और गैर-घटित घटनाओं के द्वारा की जाएगी या वर्तमान दायित्व जो कि स्वीकृत नहीं है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि संसाधनों की एक बहिर्वाह दायित्व व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक हो। एक आकस्मिक देयता भी अत्यंत दुर्लभ मामलों में उठता है जहां कि दायित्व स्वीकृत नहीं होती क्योंकि यह विश्वसनीय रूप से नहीं मापा जा सकता। कंपनी आकस्मिक देयताओं को पहचान नहीं पाती है लेकिन वित्तीय विवरण में इसका प्रकटीकरण करती है।

(iv) आकस्मिक संपत्ति: आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में मान्यता प्राप्त नहीं हैं। हालांकि, आकस्मिक परिसंपत्तियों का लगातार मूल्यांकन होता है और यदि यह लगभग निश्चित है कि आर्थिक लाभ का अन्तर्वाह बढेगा तो परिसंपत्ति और संबंधित आय जिस अवधि में परिवर्तित हुई, उसमें मान्यता प्राप्त होगी।

1.22 पूर्वावधि और प्रीपेड लेन-देन और असाधारण मदें:

(i) पूर्व अवधि और प्रीपेड खर्चे से संबंधित आय/ व्यय अगर 25000/- रुपये से अधिक न हो तो उसे वर्तमान वर्ष का आय/ व्यय माना जाता है।

(ii) लाभ और हानि खाते के विवरण में असाधारण मदों को उस अवधि के लिए निवल लाभ या हानि का एक हिस्सा दर्शाया गया है। हर एक असाधारण मद की प्रकृति और राशि को लाभ और हानि खाते के विवरण में अलग से दर्शाया गया है, जिससे कि उसका प्रभाव वर्तमान लाभ-हानि पर देखा जा सके।

1.23 संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान:

कंपनी अपने उत्पादों को विभिन्न सरकारी विभागों, निजी फर्मों और व्यापारियों को बेचती है। तुलनपत्र की तारीख को, कंपनी ने व्यापार प्राप्यों की वास्तविकता की समीक्षा की और आवश्यकतानुसार प्रावधान किए गए। पूर्ण

प्रावधान, हालांकि, सरकारी विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं से प्राप्त होने वाली राशि जो तीन साल से अधिक की अवधि के लिए बकाया है, के संबंध में किए जाता हैं।

1.24 प्रति अंश आय:

अवधि के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को वितरण योग्य शुद्ध लाभ/ (हानि) को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके मूल आय/ (हानि) प्रति शेयर की गणना की जाती है। इस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस इश्यू और शेयर विभाजन के आयोजन के लिए समायोजित किया जाता है। मंदित आय/ (हानि) प्रति शेयर की गणना के उद्देश्य के लिए, इक्विटी शेयरधारकों को वितरण योग्य शुद्ध लाभ या हानि और इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी संभावित मंदित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। मन्दित संभावित इक्विटी शेयरों को अवधि की शुरुआत के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जब तक कि वे बाद की तारीख में जारी नहीं किए गए हैं।

2.0 खातों पर नोट

2.1 कंपनी औद्योगिक रसायन, औषधि एवं फार्मूलेशन तथा प्रसाधन सामग्री एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री का व्यवसाय करती है।

2.2 भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए फण्ड एवं इसके उपयोग:

(क) भारत सरकार ने अंश पूंजी और प्लांट के आधुनिकीकरण (मरम्मत और प्रतिस्थापन) के लिए 15200 लाख रुपये की राशि/ ऋण का दिया था, जैसा कि यहां विस्तृत रूप में दिया गया है:

(रूपए लाख में)

विवरण	राशि
अंश पूँजी [2007-08]	5500
आधुनिकीकरण के लिए योजना ऋण [2007-08 से 2011-12 एवं 2014-15]	9700
कुल	**15200**

(ख) वर्ष 2005 से 2015 के दौरान भारत सरकार ने निम्नलिखित ऋण जारी किए हैं:

(रूपए लाख में)

ऋण का प्रकार	ब्याज मुक्त ऋण	ब्याज सहित ऋण
योजना ऋण- असुरक्षित	9000	1812
गैर योजना ऋण- असुरक्षित	1749	561
कुल	**10749**	**2373**

कंपनी ने 31 मार्च, 2020 तक 1812 लाख रूपए का संपूर्ण ब्याज वहन योजना ऋण और 561 लाख रूपए का गैर-योजना ऋण चुका दिया है और इस खाते पर कोई बकाया ऋण नहीं है।

2.3 वर्ष के अंत में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ अल्पावधि सावधि जमा 275.58 लाख रुपये है, जिसमें उपार्जित ब्याज (पिछला वर्ष 58.01 लाख रुपये) शामिल है, जिसमें से 33.43 लाख रुपये की राशि (पिछला वर्ष 33.43 लाख रुपये) बैंक गारंटी जारी करने के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ वचनबद्ध है।

2.4 लेखांकन मानक-15 के तहत कर्मचारी लाभ

(क) (i) कंपनी के पास पीएफ ट्रस्ट द्वारा अनुरक्षित भविष्य निधि खाता है।

(ii) वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभ और हानि विवरण में भविष्य निधि में नियोक्ता के योगदान के रूप में 114 लाख रूपए (पिछले वर्ष 55.47 लाख रूपए) लेखंकित किए हैं।

(iii) वर्ष के दौरान, कंपनी ने लाभ और हानि के विवरण में EPS-95 में योगदान के रूप में 28.82 लाख रूपए (पिछले वर्ष 31.20 लाख रूपए) लेखंकित किए हैं।

(ख) ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के संबंध में निर्धारित लाभ योजना/ दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ वर्ष के अंत में किए गए एक्चुएरियल मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि विवरण में लेखंकित किए हैं। वित्तीय विवरण में लेखंकित ऐसे कर्मचारी लाभों का विवरण नीचे दिया गया है:

(रूपए लाख में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्यूटी (गैर वित्त पोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर वित्त पोषित)		छुट्टी यात्रा रियायत	
		2019-20	2018-19	**2019-20**	2018-19	**2019-20**	2018-19
1.	बैलेंस शीट में लेखांकित राशि						
	दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**686.64**	887.98	**329.51**	405.50	**-**	12.95
2.	दायित्वों के प्रारम्भिक और अंतिम शेष का मिलान						
	प्रारम्भिक शेष	**686.64**	887.98	**329.51**	405.50	**-**	12.95
	लाभ का भुगतान	**75.42**	277.35	**25.39**	100.48	**-**	2.43
	वीमाकिंक लाभ/ (हानि)	**5.14**	201.34	**(2.04)**	75.79	**-**	2.46
	Closing Balance	**681.50**	686.64	**331.55**	329.51	**-**	10.49
3.	लाभ और हानि खाते में लेखांकित व्यय						
	वीमाकिंक लाभ/ (हानि)	**5.14**	201.34	**(2.04)**	75.99	**-**	2.46
4.	वीमकिंक मान्यताएं						
	मोर्टेलिटी टेबल	**2006-08**	2006-08	**2006-08**	2006-08	**-**	2006-08
	सेवानिवृत्ति आयु	58 वर्ष	58 वर्ष	58 वर्ष	58 वर्ष	**-**	58 वर्ष
	संघर्षण दर	**7.50%प्रतिवर्ष**	2%प्रतिवर्ष	**7.50%प्रतिवर्ष**	2%प्रतिवर्ष	**-**	2%प्रतिवर्ष
	छूट की दर	**6.43%प्रतिवर्ष**	7.80% प्रतिवर्ष	**6.43%प्रतिवर्ष**	7.80% प्रतिवर्ष	**-**	7.80% प्रतिवर्ष
	महंगाई दर	**10.00% प्रतिवर्ष**	10.00% प्रतिवर्ष	**10.00% प्रतिवर्ष**	10.00% प्रतिवर्ष	**-**	-

#बोर्ड स्तरीय निदेशकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है।

(ग) भारत सरकार ने आदेश सं. F.No.58017/02/2018-PSU दिनांकित 23 अक्टूबर, 2019 के तहत कंपनी के कर्मचारियों को 2007 वेतनमान का कार्यान्वयन अनुमोदित किया है, जिसमें यह उल्लिखित है कि बकाया 01 अप्रैल 2016 से देय है तथा भत्ते आदेश जारी करने की तिथि से देय हैं। तदनुसार, कंपनी ने 2007 वेतनमान कार्यान्वित कर दिया है। इस सन्दर्भ में, 617.01 लाख रूपए की राशि का भुगतान कंपनी के पास मौजूद प्रावधानों/ अनुदान का प्रयोग कर के कर्मचारियों को किया गया है।

2.5 खंड रिपोर्टिंग- प्राथमिक खंड की जानकारी इस प्रकार है:-

(रुपये लाख में)

विवरण	केमिकल्स		फार्मास्यूटिकल्स		कॉस्मेटिक एवं गृह उत्पाद		आवंटित नहीं किये गए		कुल	
	2019-20	2018-19	**2019-20**	2018-19	**2019-20**	2018-19	**2019-20**	2018-19	**2019-20**	2018-19
राजस्व										
बाहरी बिक्री	**315.64**	486.58	**3675.39**	6544.45	**3036.67**	3019.03	**0.00**	0.00	**7027.70**	10050.06
अन्य आय	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**2.46**	0.97	**1533.16**	1916.11	**1535.62**	1917.08
कुल राजस्व	**315.64**	486.58	**3675.39**	6544.45	**3039.13**	3020.00	**1533.16**	1916.11	**8563.32**	11967.14
परिणाम										
खंड परिणाम	**64.36**	119.99	**871.72**	1613.81	**497.32**	744.71	**312.60**	472.46	**1745.99**	2950.97
ब्याज व्यय	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**68.46**	245.08	**68.46**	245.08
मूल्यह्रास	**19.75**	20.06	**363.62**	370.33	**116.61**	118.39	**11.77**	3.40	**511.75**	512.18
प्रावधान	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**(279.84)**	(332.20)	**(279.84)**	(332.20)
कर-पूर्व निवल लाभ	**44.60**	99.93	**508.10**	1243.48	**380.71**	626.32	**512.21**	556.18	**1445.62**	2525.90
कर	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**138.58**	0.00	**138.58**	0.00
कर के बाद निवल लाभ	**44.60**	99.93	**508.10**	1243.48	**380.71**	626.32	**373.63**	556.18	**1307.04**	2525.90
अन्य सूचना										
खंड परिसंपत्तियां	**1844.35**	168.19	**10054.25**	11125.44	**1572.85**	1591.53	**7337.79**	7998.73	**20809.24**	20883.89
परिसंपत्तियों में वृद्धि	**0.00**	0.00	**1.78**	6.51	**0.12**	1.69	**56.87**	0.00	**58.77**	8.20
खंड देयताएं	**2308.14**	222.04	**12582.55**	14687.60	**1968.37**	2101.11	**9182.99**	10559.77	**26042.04**	27570.52

2.6 लेखा मानक-18 के अनुसार संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:-

i) श्री पी.एम. चंद्र्या 25-11-2014 से निदेशक (वित्त) एवं 01-06-2016 से प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

निदेशकों का पारिश्रमिक:

(रुपये लाख में)

विवरण	**श्री पी.एम. चन्द्र्या**	
	2019-20	2018-19
वेतन	**21.68**	19.32
पीएफ में अनुदान	**1.90**	1.47
अनुलाभ	**2.06**	0.93
कुल	**25.64**	21.72

जिन निदेशकों को कंपनी ने आवास और कार प्रदान किए हैं, जो भी लागू हो, उनसे वसूली की गयी है।

2.7 लेखा मानक-19 के अनुसार पट्टों का प्रकटीकरण- पट्टादाता के रूप में ऑपरेटिंग पट्टे

पट्टा किराया इन विवरणों में संबधिंत अनुबंधों में वर्णित किरायों के अनुसार आय के रूप में प्रकटित किया गया है-

(रूपए लाख में)

विवरण	**2019-20**	2018-19
क) अवधि के दौरान पट्टा किराया को आय के स्वरूप	**1371.99**	1409.62
ख) पट्टा किराया (कार्यालय परिसर):-		
सकल वहन राशि	**1077.02**	1077.02
संचित मूल्यह्रास	**337.84**	320.95
लाभ-हानि खाते में प्रकटित मूल्यह्रास	**16.87**	16.87

2.8 कंपनी एक रुग्ण यूनिट है और इसके पास आयकर अधिनियम के अंतर्गत वहन की गयी हानि और अनअवशोषित मूल्यह्रास की एक महत्वपूर्ण रकम है। प्रबंधन का मानना है कि निकटतम भविष्य में अधिशेष के द्वारा इस हानि की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन ने सावधानीपूर्वक, 'आय पर कर के लिए लेखांकन' पर लेखामानक-22 के अनुसार वहन की गयी हानि और अनअवशोषित मूल्यह्रास के संबंध में स्थगित कर सम्पत्ति का प्रकटीकरण नहीं किया है।

2.9 कंपनी लागू दरों के अनुसार माल और सेवाओं की राज्यान्तरिक आपूर्ति के मामले में सीजीएसटी और एसजीएसटी और अंतरराज्यीय आपूर्ति के मामले में आईजीएसटी चार्ज करती है। परिचालन से राजस्व जीएसटी का शुद्ध प्रकटीकरण किया गया है। 31 मार्च 2020 को, कंपनी के पास 83.40 लाख रूपए (73.09 लाख रुपए) का अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट है।

2.10 रायपुर, अहमदाबाद, नागपुर, इंदौर, यमुनानगर, और भुवनेश्वर में समाशोधन और अग्रेषण एजेंटों को नियुक्त किया गया है। उन सीएंडएफ एजेंटो जो वर्ष के दौरान एजेंट नहीं रहे, सहित इन सीएंडएफ एजेंटो के खातों को जैसेकि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए हैं, खातों में निगमित किया गया है।

2.11 वर्ष 2007-08 के दौरान, श्री एस.कर (कार्यप्रबंधक, कानपुर) के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इस धोखाधड़ी के प्रभाव को खातों में नहीं दिखाया गया है क्योंकि इस मामले पर अभी भी न्यायिक फैसला आना बाकी है।

2.12 मौजूदा प्रचालन के अनुसार, 31.03.2020 को तीन वर्षों से ज्यादा बकाया उधारी (सरकारी ऋणों के अलावा) के लिए खातों में प्रावधान किया गया है।.

2.13 स्टॉक, विक्रय एवं कच्चे माल की खपत का विवरण -

क) तैयार माल एवं निर्मित वस्तुओं की बिक्री:-

(रूपए लाख में)

माल की श्रेणी	प्रारम्भिक मूल्य		अंतिम मूल्य		विक्रय मूल्य	
	2019-20	2018-19	**2019-20**	2018-19	**2019-20**	2018-19
केमिकल्स:						
अलम फेरिक	**8.40**	53.12	**1.16**	8.40	**211.88**	305.84

माल की श्रेणी	प्रारम्भिक मूल्य		अंतिम मूल्य		विक्रय मूल्य	
	2019-20	2018-19	**2019-20**	2018-19	**2019-20**	2018-19
फार्मास्यूटिकल्स:						
यूथेरिया	**5.69**	5.04	**0.95**	5.69	**88.97**	216.54
एक्यूआ सायिकोटिक्स	**2.92**	7.11	**0.67**	2.92	**36.15**	67.01
अन्य	**430.14**	466.63	**425.05**	430.14	**5351.76**	7563.13
कॉस्मेटिक एवं गृह उत्पाद						
कैंट हेयर आयल	**45.75**	2.60	**18.66**	45.75	**63.24**	229.05
फिनोल	**86.54**	315.40	**129.18**	86.54	**1104.14**	1404.86
नैफ्थलीन बाल	**34.66**	20.32	**23.91**	34.66	**12.51**	27.07
अन्य	**79.80**	72.51	**28.09**	79.80	**159.04**	236.56
बल्क फिनिश्ड	**0.04**	18.06	**96.14**	0.04		-
कुल	**693.94**	960.79	**723.81**	693.94	**7027.69**	10050.06

ख) प्रगतिशील कार्य:-

(रूपए लाख में)

माल की श्रेणी	प्रारम्भिक मूल्य		अंतिम मूल्य	
	2019-20	2018-19	**2019-20**	2018-19
फार्मास्यूटिकल्स	**-**	41.87	**28.96**	-
कॉस्मेटिक एवं गृह उत्पाद	**78.79**	32.40	**18.85**	78.79
अन्य	**78.79**	74.27	**47.81**	78.79

ग) कच्चे और पैकिंग माल की खपत का संबंध विच्छेद:-

(रूपए लाख में)

विवरण	**2019-20**	2018-19
क्रूड ड्रग्स & एक्सट्रेक्टस	**192.02**	288.98
कार्बनिक रसायन और विलायक	**1408.76**	2120.12
अकार्बनिक रसायन और विलायक	**215.88**	324.89
आयल, वेजीटेबल्स & मिनरल्स	**477.99**	719.35
खनिज	**231.18**	347.92
पैकिंग सामग्री	**560.83**	748.56
अन्य	**415.15**	720.23
कुल	**3501.81**	5270.05

2.14 धोखाधड़ी या त्रुटि, संपत्ति की उचित हिरासत और उपयोग और वित्तीय जानकारी की तैयारी को रोकने और पता लगाने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को डिज़ाइन और कार्यान्वित किया गया है। वर्ष के दौरान प्रबंधन या

कर्मचारियों जिनकी आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका है अथवा कंपनी द्वारा या उस पर कोई धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी नहीं देखी गई है, जो वित्तीय जानकारी पर अधिक प्रभाव डाल सकती है।

2.15 खाते में शेष राशि, व्यापार प्राप्तियों, अग्रिमों, जमा और अन्य चालू संपत्तियां वित्तीय विवरणों में पुस्तकों और कंपनी के रिकॉर्ड के आधार पर लेखंकित की गई है, तथा उन मामलों में जहां खाते की शेष राशि की पुष्टि नहीं हुई है, उनके लिए आवश्यक मूल्य निर्धारण के लिए बोर्ड द्वारा उनकी वास्तविकता और दायित्वों के बारे में समीक्षा की गई है।

2.16 कंपनी के निदेशक मंडल की राय में, व्यवसाय का सामान्य तरीके में परिसंपत्तियों का साध्य मूल्य तुलनपत्र में वर्णित से कम नहीं है। यह मूल्यांकन अचल संपत्तियों के मामले में लागू नहीं है।

2.17 वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन द्वारा मूल्यांकन के आधार पर अचल संपत्तियों की हानि नहीं हुई थी।

2.18 कंपनी के पास "आकस्मिक देयताओं" (नोट नं.2.21 का सन्दर्भ लें) के अलावा कोई मुकदमेबाजी या कानूनी/ विवादित मामले नहीं हैं, यदि कोई है, या मांग जिसके खिलाफ उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई भविष्य में कोई प्रभाव हो सकता है।

2.19 कंपनी को लंबी अवधि के अनुबंधों पर किसी भी भारी नुकसान के लिए लागू कानूनों या लेखा मानकों के तहत प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी।

2.20 हालाँकि कंपनी के पास चुकता पूँजी से अधिक संचित हानि है, फिर भी गोइंग कंसर्न की निरंतरता के लिए कंपनी की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह नहीं है। प्रबंधन के अनुमानों का उपयोग कंपनी के टर्निंग अराउंड के लिए उपयुक्त माना जाता है और इसमें अभी तक कोई भी अनिश्चितता नहीं है, जो गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने की इसकी क्षमता को प्रभावित करेगा।

2.21 निम्न के संबंध में आकस्मिक देयताएं प्रदान नहीं की गयी:

(i) आबकारी कर, केंद्रीय बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर से संबंधित 195.68 लाख रूपए (गत वर्ष 195.68 लाख रूपए), 1175.17 लाख रूपए (गत वर्ष 1175.17 लाख रूपए) तथा 1605.16 लाख रूपए (गत वर्ष 1605.16 लाख रूपए) क्रमशः राशि की मांग को कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है तथा संबंधित प्राधिकरणों के पास अपील को अधिमानित किया गया है। जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता, कंपनी ने खातों में इसका प्रावधान भी नहीं किया है तथा इसके सन्दर्भ में संबंधित प्राधिकरणों को कोई राशि भी जमा नहीं की है।

(ii) मध्यस्थता/ न्यायलय/ एनसीएलटी में ठेकेदारों/भू-स्वामी/कर्मचारियों के लंबित दावे: 314.63 लाख रूपए (गत वर्ष- 314.63 लाख रूपए)

(iii) कंपनी की ओर से बैंक द्वारा जारी गारंटी के प्रतिकूल उनको दी गई काउंटर गारंटी: 10.75 लाख रूपए (गत वर्ष-10.75 लाख रूपए)

2.22 पूंजी खाते में बची हुई संविदाओं की अनुमानित राशि एवं प्रदान नहीं की गई

पूंजी खाते में बची हुई संविदाओं की अनुमानित राशि एवं प्रदान नहीं की गई 2658.30 लाख रुपए (गत वर्ष 2753.93 लाख रुपए) है।

2.23 प्रति शेयर मूल और घटी हुई आय की गणना के लिए आधार निम्नानुसार है:

(रूपए लाख में)

	2019-20	2018-19
लाभ-हानि खाते के अनुसार कर के बाद लाभ/ हानि	**1307.05**	2525.91
शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या में)	**769604**	769604
मूल एवं घटा हुआ प्रतिशेयर आय (रुपये में)	**169.83**	328.21

2.24 लघु-स्तरीय उपक्रमों के नाम जिनके लिए कंपनी दायी है, जो तुलनपत्र की तारीख में 30 दिनों से अधिक के लिए बकाया हैं, नीचे दर्शाए गए हैं:

क्र.सं.	पार्टी का नाम	क्र.सं.	पार्टी का नाम
शून्य			

उपरोक्त जानकारी, पक्षों के संबंध में संकल्पित की गई है, जिसमें कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर लघु-स्तर और सहायक उपक्रमों के रूप में उनकी पहचान की जा सकती है।

2.25 वर्ष 2019-20 के दौरान, विभिन्न प्रावधानों का संचलन नीचे दिया गया है:-

(रूपए लाख में)

विवरण: प्रावधान-	प्रारम्भिक शेष	वृद्धि	उपयोग/ प्रतिलेखन	**अंतिम शेष**
ग्रेच्युटी	686.64	197.56	202.70	**681.50**
छुट्टी वेतन	329.51	74.49	72.45	**331.55**
छुट्टी यात्रा रियायत	10.49	-	10.49	**-**
संदिग्ध ऋण	53.75	-	0.92	**52.83**
संदिग्ध अग्रिम	227.02	-	-	**227.02**
कुल	**1307.41**	**272.05**	**286.56**	**1292.9**
गत वर्ष	1631.82	7.79	332.20	1307.41

2.26 कोविड-19 का प्रभाव (भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आईसीएआई लेखा और लेखापरीक्षा सलाहकार के अनुसरण में)

कोविड -19 ने भारत सहित कई देशों में व्यावसायिक गतिविधियों में गंभीर व्यवधान उत्पन्न किया है। आंतरिक और बाहरी स्रोतों से हमारे वर्तमान आकलन के आधार पर, यह स्थिति कुछ और महीनों तक जारी रहने की संभावना है। आवश्यक ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन, डिसइन्फेक्टेंट्स इत्यादि के निर्माण के व्यवसाय में होने के नाते, गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) दिनांकित 15 अप्रैल 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन की अवधि शुरू होने के बाद से कंपनी समान्य रूप से काम कर रही है।

वर्तमान महामारी के कारण होने वाली अनिश्चितता के परिणामस्वरूप वर्तमान आदेशों को निष्पादित करने में कुछ देरी और कच्चे माल के कुछ घटकों की सोर्सिंग में कुछ देरी हो सकती है। कंपनी ने अगले 12 महीनों के लिए अपनी तरलता की स्थिति, वर्ष के अंत तक संपत्तियों, संयंत्र और मशीनरी, व्यापार प्राप्य, निवेश और आविष्कारों से युक्त अपनी संपत्तियों की पुनर्प्राप्ति और वहन मूल्य का आकलन किया है। भविष्य के आर्थिक गतिविधियों के इस आकलन और वर्तमान संकेतकों के आधार पर, वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय परिणामों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए तुलनपत्र तिथि के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण समायोजन आवश्यक नहीं समझा गया है।

प्रबंधन ने वर्ष 2019-20 के लिए अपने वित्तीय विवरणों की तैयारी में कोविड-19 से उत्पन्न होने वाली घटनाओं के सभी संभावित प्रभावों पर विचार किया है। कंपनी भविष्य में आर्थिक परिस्थितियों में होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन को निर्धारित करने के लिए निरंतर आधार पर स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है।

2.27 पिछले वर्ष के आंकड़ें फिर से वर्गीकृत और पुन:व्यवस्थित किये गए, जहां भी वर्तमान वर्ष से तुलना करने के लिए उनकी जरूरत पड़ी।

अभिज्ञान के लिए हस्ताक्षर

एम चौधरी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन.302186ई)

बोर्ड की तरफ से

ह/-	ह/-	ह/-
(डी चौधरी)	**(पीएम चन्द्रय्या)**	**(जितेन्द्र त्रिवेदी)**
सहभागी	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं	अंशकालिक सरकारी निदेशक
सदस्यता सं. 052066	निदेशक(वित्त)	(सरकारी नामित निदेशक)
	डीआइएन : 06970910	डीआइएन : 07562190
	ह/-	ह/-
स्थान : कोलकाता	(एन रॉय प्रमाणिक)	(सतीश कुमार)
दिनांक : 11 मई 2020	विभागाध्यक्ष (वित्त)	कंपनी सचिव

3. अंश पूँजी

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
(क) अधिकृत पूंजी:		
800000 इक्विटी शेयर्स 1000/- रुपए प्रत्येक	**8,000.00**	8,000.00
(ख) जारी, अभिदत्त एवं चुकता पूँजी:		
769604 इक्विटी शेयर्स 1,000/-पूरी तरह से चुकित	**7,696.04**	7,696.04
कुल चुकता अंश पूंजी	**7,696.04**	7,696.04

3(क) बकाया शेयरों की संख्या का मिलान

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
साल की शुरुवात में बकाया शेयरों की संख्या	**769604**	769604
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर	**-**	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या	**769604**	769604

3(ख) 5% से अधिक शेयरों को निर्दिष्ट रखने वाले शेयरधारकों की संख्या

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 तक		31 मार्च 2019 तक	
	धारित शेयरों की संख्या	धारिता प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	धारिता प्रतिशत
भारत के माननीय राष्ट्रपति और उनके प्रत्याशी	**769604**	**100**	769604	100
कुल	**769604**	**100**	769604	100

4 संचय तथा अधिशेष

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
(क) संचय	**7,798.87**	7,798.87
(ख) लाभ एवं हानि खाता (घाटा) का प्रारंभिक शेष	**(22,173.33)**	(24,699.23)
जोड़ें: वर्ष का लाभ	**1,307.04**	2,525.90
अंतिम शेष (ख)	**(20,866.29)**	(22,173.33)
कुल (क+ख)	**(13,067.42)**	(14,374.46)

5 दीर्घावधि ऋण

रूपए लाख में

विवरण					31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
अवधि ऋण						
असुरक्षित						
(क)	भारत सरकार-योजना ऋण				**9,000.00**	9,700.00
	भारत सरकार- योजना ऋण पर अर्जित ब्याज				**5,308.25**	5,259.76
	दिनांक	ब्याज दर	ऋण	ऋण चूक		
	27.12.07	शून्य	2,000.00	2,000.00		
	30.12.08	शून्य	1,000.00	1,000.00		
	19.03.09	शून्य	1,000.00	1,000.00		
	03.06.09	शून्य	1,000.00	1,000.00		
	23.12.09	शून्य	490.00	490.00		
	28.01.10	शून्य	950.00	950.00		
	20.05.10	शून्य	2,000.00	2,000.00		
	15.03.11	शून्य	500.00	500.00		
	02.12.11	शून्य	60.00	60.00		
			9,000.00	9,000.00		
(ख)	भारत सरकार - गैर योजना ऋण				**1,749.00**	1,810.00
	भारत सरकार- गैर योजना ऋण पर अर्जित ब्याज				**3,313.39**	3,303.02
	30.03.07	शून्य	1749.00	1749.00		
			1749.00	1749.00		
कुल					**19,370.64**	20,072.78

दो वर्ष की एक अधिस्थगन अवधि के बाद, सभी ऋण बर्षगांठ की तिथि को पांच समान वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय है।

6 अन्य दीर्घावधि देयताएं

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
किरायादारों एवं अन्य से जमा	**494.95**	574.54
कुल	**494.95**	574.54

7 दीर्घावधि प्रावधान

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	**753.48**	727.29
कुल	**753.48**	727.29

8 व्यापार देय

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
लघु स्तर औद्योगिक इकाइयाँ#	**-**	-
अन्य	**2,140.27**	2,616.35
कुल	**2,140.27**	2,616.35

एमएसएमई जिनकी राशि 30 दिन से अधिक के लिए देय है, के नाम नोट-2.24 में दर्शाए गए हैं

9 अन्य चालू देयताएं

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
ऋण पर अर्जित ब्याज पर देय नहीं	**9.09**	9.09
एमएसएमई भुगतानों एवं सी एंड ऍफ़ डिपाजिट पर अर्जित ब्याज	**7.50**	0.77
बैंक ओवरड्राफ्ट	**-**	208.33
अन्य देयताएं:		
वैधानिक देयताएं	**1,702.35**	1,570.15
आयकर के लिए प्रावधान	**138.58**	
व्यय और अन्यों के लिए देय	**549.92**	229.21
कर्मचारियों एवं अन्यों के लिए देय	**107.96**	27.18
वेतन एवं स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रावधान/ अनुदान	**198.56**	825.10
वापसी योग्य जमा	**447.76**	410.37
कुल	**3,161.72**	3,280.20

10 अल्पावधि प्रावधान

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	**259.56**	299.34
कुल	**259.56**	299.34

11 अचल संपत्तियां (मूर्त)

रूपए लाख में

विवरण	1-4-19 को सकल ब्लॉक	वृद्धि	बेचीं गई/ समायोजित	31 मार्च 2020 तक	1-4-2019 को मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	बेचीं गई/ समायोजित	31-3-20 तक संचयी मूल्यह्रास	31-3-20 को शुद्ध ब्लॉक	31-3-19 को शुद्ध ब्लॉक
1	2	3	4	**5(2+3-4)**	6	7	8	**9(6+7-8)**	**10**	11
पूर्ण स्वामित्व भूमि	124.74			**124.74**	-	-		**-**	**124.74**	124.74
पट्टाधृत भूमि	63.55			**63.55**	-	-		**-**	**63.55**	63.55
फ्रीहोल्ड भवन				**-**	-	-		**-**	**-**	-
विनिर्माण	6,933.24			**6,933.24**	1,192.02	221.07		**1,413.09**	**5,520.15**	5,741.22
गैर-विनिर्माण	259.43			**259.43**	61.26	4.06		**65.32**	**194.11**	198.17
कार्यालय इमारत	1,695.42	11.79		**1,707.21**	416.96	26.81		**443.77**	**1,263.44**	1,278.46
रासायनिक मशीनरी	1,266.90			**1,266.90**	951.38	43.17		**994.55**	**272.35**	315.52
सामान्य मशीनरी	3,233.98			**3,233.98**	1,299.90	190.52		**1,490.42**	**1,743.56**	1,934.08
कम्प्यूटर	103.39	2.70		**106.09**	97.63	5.54		**103.17**	**2.92**	5.76
कुलर, फ्रिज और एसी	83.43	1.04		**84.47**	56.37	4.94		**61.31**	**23.16**	27.06
मुद्रण उपकरण	6.89			**6.89**	6.11	-		**6.11**	**0.78**	0.78
अग्नि उपकरण	3.03	2.32		**5.35**	1.97	0.21		**2.18**	**3.17**	1.06
फर्नीचक एवं फिटिंगस	181.32	40.44	(5.44)	**216.32**	102.24	12.57	(4.08)	**110.73**	**105.59**	79.08
मशीन और उपकरण	42.93	0.47		**43.40**	32.94	2.44		**35.38**	**8.02**	9.99
पशुधन	0.35			**0.35**	-	-		**-**	**0.35**	0.35
पुस्तकालय पुस्तकें	4.49			**4.49**	4.27	-		**4.27**	**0.22**	0.22
प्रयोगशाला	15.78			**15.78**	13.07	0.42		**13.49**	**2.29**	2.71
कुल	**14,018.87**	**58.76**	**(5.44)**	**14,072.19**	**4,236.12**	**511.75**	**(4.08)**	**4,743.79**	**9,328.40**	
गत वर्ष	14,018.67	8.20	-	**14,018.87**	3,723.94	512.18	-	**4,236.12**		9,782.75

12 पूंजीगत कार्य में प्रगति

रूपए लाख में

विवरण	1 अप्रैल 2019 तक	वृद्धि	समायोजन/ घटाव	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2020 तक
भवन	3,231.65				**3,231.65**
पी एंड एम	1,511.10	36.15			**1,547.25**
इलेकट्रिकल	11.92				**11.92**
कुल	**4,754.67**	**36.15**	**-**	**-**	**4,790.82**
गत वर्ष	4,754.28	0.39	-	-	**4,754.67**

13 इन्वेंटरीज

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
(क) कच्चा माल और पैकिंग सामग्री:		
[अ] कच्चा माल	**470.41**	621.96
(ब) पैकिंग सामग्री	**385.57**	276.15
कच्चा माल और पैकिंग सामग्री (क):	**855.98**	898.11
(ख) तैयार सामग्री और डब्लुआइपी इन्वेंटरी:		
[अ) तैयार सामग्री	**723.81**	693.94
(ब) कार्य प्रगति पर	**47.81**	78.79
[स] स्टोर और स्पेयर पार्ट्स	**25.29**	37.19
तैयार सामग्री और डब्लु आइपी इनवेन्ट्री (ख)	**796.91**	809.92
कुल (क+ख)	**1,652.89**	1,708.03

14 व्यापर प्राप्य

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
(असुरक्षित):		
6 महीने से अधिक:		
अच्छा माना गया	**1,824.59**	1,501.11
संदिग्ध माना गया	**52.83**	53.75
	1,877.42	1,554.86
अन्य (6 महीने से कम)	**1,348.72**	2,020.20
	3,226.14	3,575.06
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**52.83**	53.75
कुल	**3,173.31**	3,521.31

15 नकद तथा नकद समतुल्य

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
(क) नकद तथा नकद समतुल्य		
(i) हाथ नकदी एवं कैश कार्ड शेष	**0.71**	0.32
(ii) चेक		
चालू खाते में	**67.38**	5.03
सावधि जमा में	**275.58**	58.01
कुल	**343.67**	63.36

16 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
असुरक्षित, अच्छा माना गया		
सुरक्षा जमा वसूली योग्य	**242.70**	239.91
आपूर्तिकर्ताओं /परियोजना को अग्रिम	**305.06**	250.71
कर्मचारियों से वसूली योग्य अग्रिम	**10.65**	12.92
पूर्वदत्त खर्च	**0.38**	1.87
अप्रयुक्त इनपुट जीएसटी	**21.61**	73.09
अग्रिम आयकर जमा	**150.00**	-
वैधानिक देय, शुल्क और कर का अग्रिम भुगतान	**40.44**	29.31
	770.84	607.81
घटाव: संदिग्ध अग्रिमों एवं अन्य हेतु प्रावधान	**227.02**	227.02
कुल	**543.82**	380.79

17 अन्य चालू संपत्तियां

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
किराया और अन्य प्राप्य योग्य	**664.10**	540.95
घटाव: किराया एवं अन्य प्राप्यों हेतु प्रावधान	**-**	-
	664.10	540.95
आयकर और अन्य जमा	**162.24**	140.22
अन्य चालू संपत्तियां	**149.99**	-
कुल	**976.33**	681.17

18 परिचालन से आय

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
परिचालन से राजस्व (सकल)	**7,027.69**	10,050.06
घटाव: अंतर-शाखा स्थानांतरण	**-**	-
	-	-
परिचालन से राजस्व (शुद्ध)	**7,027.69**	10,050.06

19 अन्य आय

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
क. ब्याज आय: बैंक जमा पर	**3.44**	4.85
ख. अन्य गैर-परिचालन आय:		
संपत्तियों से किराया	**1,371.99**	1,409.62
अन्य	**15.31**	160.79
प्रतिलेखन प्रावधान	**144.88**	341.82
	1,532.18	1,912.23
	-	-
कुल	**1,535.62**	1,917.08

20 खपत किए गए माल की लागत

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
प्रारंभिक स्टॉक-		
कच्चा माल	**621.96**	664.52
पैकिंग सामग्री	**276.15**	241.80
	898.11	906.32
जमा: क्रय-		
कच्चे माल का#	**2,724.13**	4,409.63
पैकिंग सामग्री (उत्पादन) का	**706.62**	825.15
माल भाड़ा प्रभार- आवक	**28.94**	27.06
	3,459.69	5,261.84
घटाव: अंतिम स्टॉक-		
कच्चा माल	**(470.41)**	(621.96)
पैकिंग सामग्री (उत्पादन)	**(385.57)**	(276.15)
	(855.98)	(898.11)
कुल	**3,501.82**	5,270.05

2019-20 में 532.72 लाख रूपए की निर्मित वस्तुओं की क्रय सम्मलित है (2018-19 में 917.55 लाख रूपए)

21 निर्मित माल एवं प्रगतिशील कार्य की इन्वेंटरी में परिवर्तन

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
क. निर्मित माल: प्रारम्भिक स्टॉक	**693.94**	960.79
घटाव: अंतिम स्टॉक	**723.81**	693.94
कमी/ (वृद्धि)	**(29.87)**	266.85
ख. प्रगतिशील कार्य : प्रारंभिक स्टॉक	**78.79**	74.27
घटाव: अंतिम स्टॉक	**47.81**	78.79
कमी/(वृद्धि)	**30.98**	(4.52)
कुल	**1.11**	262.33

22 कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ खर्चे

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	**965.43**	1,175.12
वेतन वकाया/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति खर्चे	**626.55**	111.29
पी.एफ. और अन्य कोषों के लिए योगदान	**124.47**	100.30
कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ	**261.12**	101.12
कर्मचारी कल्याण खर्चे	**64.54**	102.09
प्रावधान/ प्रयुक्त अनुदान	**(626.55)**	(111.29)
कुल	**1,415.56**	1,478.63

23 वित्तीय लागत

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक और अन्य ऋणों पर ब्याज	**-**	35.99
भारत सरकार ऋण पर ब्याज	**58.86**	197.66
अन्य जमाओं आदि पर ब्याज	**9.60**	11.43
कुल	**68.46**	245.08

24 अन्य ब्यय

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क: विनिर्माण व्यय		
बिजली और ईंधन	**162.59**	269.61
मरम्मत:		
प्लांट और मशीनरी	**7.59**	39.45
इमारत	**8.80**	21.11
अन्य	**38.50**	17.51
वीमा	**10.02**	7.30
फैक्ट्री उत्पादन अन्य व्यय	**35.67**	45.59
उप-योग (क)	**263.17**	400.57
ख: प्रशासनिक व्यय		
दर और कर	**214.23**	36.39
प्रावधान और बट्टे खाते में डालना	**(11.41)**	(44.61)
पेशेवर शुल्क	**10.35**	18.41

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसन्धान एवं विकास ब्यय	**11.19**	14.75
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ब्यय	**18.65**	-
अन्य के लिए किराए	**24.86**	29.45
निदेशकों की बैठक फीस	**0.25**	0.60
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक (संदर्भ नोट 24 (ए)	**3.33**	2.98
विविध खर्च (संदर्भ नोट 24 (बी)	**217.43**	192.76
पूर्व अवधि व्यय (संदर्भ नोट 24 (सी)	**7.44**	0.05
उप-योग (ख)	**496.32**	250.78
ग: बिक्री व्यय		
बिक्री कर	**0.39**	6.93
छूट और कमीशन	**642.06**	722.77
माल भाड़ा प्रभार	**203.40**	223.66
अन्य बिक्री उपरिब्यय	**13.65**	68.26
उप-योग (ग)	**859.50**	1,021.62
कुल (क+ख+ग)	**1,618.99**	1,672.97

24(ए) लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक और व्यय

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षा फीस	**1.80**	1.80
कर लेखापरीक्षा फीस#	**0.29**	0.29
प्रमाणन फीस	**0.74**	0.74
व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.50**	0.15
कुल	**3.33**	2.98

#कर लेखापरीक्षा कंपनी के कर परामर्शदाता द्वारा की जाती है।

24(बी) विविध व्यय

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन प्रेस और प्रचार	**11.11**	9.79
मुद्रण और लेखन सामग्री	**9.80**	14.42
डाक	**1.05**	1.28
वेबसाइट रखरखाव और इंटरनेट प्रभार	**1.12**	1.32
टेलीफोन	**6.44**	8.28
वाहन और रख-रखाव खर्चे	**9.58**	14.19

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक प्रभार एवं कमीशन	**0.77**	1.78
कानूनी खर्च	**4.01**	4.56
मनोरंजन खर्च	**0.14**	1.62
पुस्तकें एवम पत्रिकाएं	**0.33**	2.63
सदस्यता अंशदान	**0.26**	1.57
किराये का खर्च	**6.48**	2.04
फाइलिंग फीस	**0.52**	0.01
यात्रा खर्च	**22.45**	24.90
सुरक्षा सेवा प्रभार	**113.01**	84.14
विविध खर्च	**30.36**	20.23
कुल	**217.43**	192.76

24(सी) पूर्वावधि मदें

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
शुद्ध डेबिट मदें		
दर, कर और शुल्क		
अन्य	**12.44**	0.08
उप-योग [क]	**12.44**	0.08
शुद्ध क्रेडिट मदें	**z**	
भाड़ा		
विविध लेनदार, देनदार और एलडी	**5.00**	
दर एवं कर		
कानूनी खर्चे		
अन्य		0.03
कुल (क+ख)	**5.00**	0.03
Total (A+B)	**7.44**	0.05

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता

(भारत सरकार का उपक्रम)

New lease of life

Chandraiah, instrumental in turning the company around

Bengal Chemicals has taken up the challenge to regain its lost glory

The managing director of Bengal Chemicals, PM Chandraiah, will always cherish a red-letter day in the company – it wiped out the losses of this one-time behemoth and gave the company its second lease of life. The over-century-old Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited (BCPL) hit the news headlines when the company recorded a net profit of ₹4.51 crore after six decades in FY17. It has continued to demonstrate a steady financial performance for the last four years. The company's management, under the able leadership of Chandraiah, fought against all odds to follow the path of revival and transformation. The PSU has achieved a net profit of ₹14.50 crore on a turnover of ₹85 crore as on March 2020, employing 300 people.

Recently, in April, BCPL hogged the limelight again when it received the licence to produce hydroxychloroquine (HCQ), the much talked about drug in the treatment of COVID-19. The West Bengal Directorate of Drugs Control issued the licence. BCPL, the only public sector unit manufacturer of anti-malarial drugs in India, had applied for a licence to produce HCQ amidst the coronavirus pandemic. "It is a good opportunity for the company. We are waiting for the order from the government to manufacture it. But the major concerns are the availability of Active Pharmaceutical Ingredient (API) and its price escalation. China is one of the major suppliers of API," says Chandraiah. The company has the capacity to produce 10-15 lakh tablets a day.

After the COVID-19 pandemic hit the world, the demand for HCQ has zoomed globally. The use of HCQ as prophylaxis, had been suggested by experts to combat the coronavirus infection. India produces almost 70 per cent of the total HCQ supply globally. IPCA Laboratory, Zydus Cadila, and Wallace Pharmaceuticals are some of the top pharma companies which also produce the HCQ tablet. Several countries, including the US, had asked India to supply the medicine.

However, for the past three months, there has been debate and confusion over safety concerns regarding the usage of HCQ. Finally, in the first week of June, WHO announced the resumption of its global trial of HCQ. ICMR welcomed WHO's decision. HCQ is an anti-malarial and is also used in the treatment of lupus and rheumatoid arthritis. The ICMR recommended the use of the drug as a preventive medication for COVID-19 for asymptomatic healthcare workers in non-COVID hospitals and frontline staff involved in coronavirus infection-related activities.

BCPL is the first pharmaceutical company in India and was established by renowned scientist, academician and entrepreneur, Acharya Prafulla Chandra Ray. It was set up in 1892 and operated from a rented house in Calcutta in the name of Bengal Chemical Works (BCW). It only had a capital of ₹700. Ray founded the company with the intention of fostering a spirit of entrepreneurship among the Bengali youth, and providing an alternative to jobs from the colonial British government. It initially produced herbal products and indigenous medicines. In 1901, the enterprise became a limited company and was renamed the Bengal Chemical and Pharmaceuticals Works. Born in 1861, philanthropist Ray believed that the progress of India could be achieved only by expanding home-grown products – a philosophy of the 'Swadeshi' movement. As a professor of Presidency College, Ray motivated several young chemists. Famous Indian scientists Meghnad Saha and Shanti Swarup Bhatnagar were among his students.

Since the inception of the company, he attempted to harness modern manufacturing methods with indigenous resources that produced various products of British pharmacopoeia standard at a low cost. Eminent doctors with nationalistic views like Dr R.G. Kar, Dr N.R. Sarkar, Dr SP Sarbadhikari, and Dr Amulya Charan Bose came forward and patronised Bengal Chemicals' products. The reputation of the company grew rapidly. The quality chemical, drugs, pharmaceuticals and home care products produced catered to the needs of millions across India. From humble beginning with one factory in Manikala, the company set up three more factories in Panihati, West Bengal in 1920, Mumbai in 1938 and Kanpur in 1949. The outbreak of the Second World War saw a new business opportunity for Bengal Chemicals. There was a great demand for essential drugs and surgical dressing for servicemen.

Ramped up the production capacity

Ray's philosophy and his patriotism were lauded by eminent national leaders like Maharma Gandhi, C.R. Das, Subhas Chandra Bose and Jawaharlal Nehru. When Gandhi launched his non-cooperation movement, Ray sympathised with its objectives. He offered a space in the company's Panihati plant to open a cooperative handloom unit. Bachelor Ray led an austere life. Mahatma Gandhi once said: "It is difficult to believe that the man in simple Indian dress wearing simple manners could possibly be the great scientist and professor." Ray was a few months older than Gandhi and an avid follower of his ideology.

The father of chemical science, Ray died in 1944. The company saw its fortune slide in the late 60s and 70s because of the emergence of a number of pharmaceutical players – competitive pressures on BCPW increased. As the company could not evolve with the changing scenario, its performance suffered. The company, which produced everything from chloroquine to naphthalene balls, Phenyle, Kalmegh Aqua Ptychotis, Cantharidine hair oil and White Tiger, was nationalised in 1980. The name changed from BCPW to Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited (BCPL) in 1981 and it became a PSU.

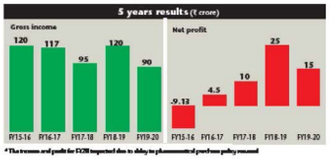

* The income and profit for FY20 impacted due to delay in pharmaceutical purchase policy renewal

Even after nationalisation, the company was not able to revive and its net worth eroded. It was also not tooled up for the post 1990 liberalised regime. It had been confined to a market in a protected environment and was slow to change. Due to prolonged sickness and labour unrest, BCPL was referred to BIFR in 1992. The company continued to bleed till 2015. Through sustained efforts thereafter, a proactive management team steered by Chandraiah helped BCPL turn around, reporting a profit in 2017 – its first in 60 years. In 2016-17, BCPL reported a net profit of ₹4.50 crore on a turnover of ₹117 crore.

It was a daunting task for Chandraiah, who joined the company as finance director in 2014 and later was given additional charge as managing director in June 2016. All the operation and financial systems were overhauled. Accounting, revenue collection, payment, bill processing, payroll, stores and fund management were streamlined. With this action, BCPL reduced procurement costs to a large extent and stopped financial leakages in the company. As a result, direct cost

to net sales in 2018-19 was reduced to 55 per cent compared to 86 per cent in 2013-14. The company also stopped cash transactions, to have more transparency. The major issue was improving the work culture and lifting up the morale of the workforce which had seen several setbacks in the past. "I made it very clear to them there is no hierarchy in the company. We all have equal responsibility towards survival and growth. Everybody is accountable," Chandraiah recalls.

The company also introduced a biometric attendance system, installed CCTVs in corporate office, factories and depots including gate control systems. A cost accountant, Chandraiah, 55, used his 35-year rich experience in various PSU's like NTPC, IREDA, IRCON, NSPCL and EPI to help implement all systems, including commissioning new facilities, without falling foul of the unions of the company.

"When our present managing director joined, the company was deeply in the red and morale was very low. In 2016, the first glimmer of hope could be seen with a ₹4.5 crore net profit. Now the books look healthy," says Biplab Dasgupta, marketing head. Between 2017-2019 a ₹24 crore government loan was repaid by the company and a ₹28 crore bank loan was paid as well. The company expects to turn net worth positive by 2022 from its negative net worth of ₹50 crore at present.

Currently, the company has three business verticals – pharmaceuticals, home care and industrial chemicals. In pharma some of the known products are Ciproxacin, Azithromycin, Paracetamol, Chloroquine, Amoxicillin, Aqua Ptychotis, Kalmegh, Eutheria and Benflam. In home products, Pheneol, White Tiger, Lysol, Cantharidine hair oil, and naphthalene balls are the known brands of the company. Both pharmaceuticals and home care products constitute 65 per cent and 30 per cent respectively of the revenue whereas five per cent comes from industrial chemicals products like Ferric alum and bleaching powder. BCPL has three manufacturing facilities – in Panihati, Manikteka in Kolkata and one in Kanpur. The company conforms to WHO standards and its cost competitiveness is due to its R&D innovations.

An old advertisement of Cantharidine hair oil from Bengal-Chemical

BCPL has ramped up production capacity by commissioning new facilities as part of its expansion plans such as an ointment block and external solution block, Betalactum block for tablets and capsules and a state-of-the-art injectable section for the manufacturing of life-saving antibacterials in Maniktala. The total capex was ₹145 crore. Maniktala plant is a Kolkata landmark. Even the metro station has been named after the company. "It is a heritage plant and witnessed the history of the company's rise and fall over a century, including the recent journey of revival," Chandraiah states. All the units follow Good Manufacturing Practice (GMP).

As a PSU the sale of pharmaceutical formulations of BCPL is entirely supported by government orders. It is B2B, based on the Pharmaceutical Purchase Policy (PPP) issued by the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemical and Fertilisers, Government of India. There are five PSUs in the pharma segment including BCPL. The others are KAPL, Hindustan Antibiotic, RDPL and IDPL. Apart from KAPL nobody has the marketing infrastructure to sell drugs in the open market.

The home care market faces stiff competition, with large FMCG and healthy pharma companies. BCPL products are sold through 450 distributors across India including tier II cities. It has entered into modern trade through a tie-up with Big Bazar, Reliance Retail and online platforms like Grofers and BigBasket. It competes mostly with regional companies. Pheneol is the highest selling product of the company in home care. "Our aim is to offer a complete range of cleaning agents," says Dasgupta. Conceptualising the product and fitting it to the right basket is a challenge. "We take advantage of our brand equity and introduce new products often," he adds. However, the lack of branding, adequate skills and attracting the best professionals are the main concerns of the company.

Incidentally, in December 2016, the Centre had formed a committee of ministers to decide on the strategic sale of a few undertakings including BCPL. The Union cabinet also approved the sale of surplus land of BCPL to meet its outstanding liabilities. The decision prompted Bengal Chemicals' Sramik Karmachari Union to move the high court in 2017. The court passed an order in the union's favour by setting aside the decision of the strategic sale. The Centre then challenged the order and moved the division bench. The matter is still pending in court. "We are opposed to the sale of the company. We had series of meeting with ministers in Delhi. Government should drop the sale plan as it is now a profit-making company," says Tushar Kanti Chakraborty, secretary of the Trinomial affiliated union INTUC. He wants Chandraiah to be made fulltime managing director.

Chandraiah has done his best to keep the company in the black and stand on its own feet. The effort has not gone unnoticed by the ministry. An insider says the government has deviated from the earlier stand and is happy with the company's performance. A recent advertisement by the government for the post of fulltime managing director reflects this decision. Chandraiah, who also applied for the post as internal candidate, is apparently the frontrunner.

"It is good to see that the oldest pharma company, Bengal Chemical which was almost on the verge of closing, is now back in the black. The new management has done a wonderful job. They need more encouragement from the government," says Ranajit Dey, joint managing director of Kolkata based Dey's Medical. He thinks post-COVID, the investment in the health sector will go up.

Chandraiah believes in long-term vision. He has also set a target for the company to achieve Mini-Ratna status in the next three to four years.

• JAJAL BOSE

jajal.bose@businessindiagroup.com

KISS & KIIT'S INCREDIBLE CONTRIBUTIONS TO SPORTS

Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) and KIIT Deemed to be University, Bhubaneswar are well-known across India and globe. KISS is known to all as the world's largest tribal residential institution providing accommodation, food, healthcare and education from KG to PG, vocational training and all other basic amenities of life absolutely free to 50,000 tribal children (30,000 existing student and 20,000 alumni). KISS has become the first University exclusively for tribal students in India and in the entire world. Similarly, KIIT is one of the most promising institutions for technical and professional education in India, attracting students from about 50 countries.

Besides quality education, KIIT & KISS have been according a high importance to sports and games since their inception. The two institutions have created world-class sports infrastructure and have produced more than 5000 sports talents in over 30 disciplines. "Our students have been representing India and Odisha regularly at international and national level sports meets, including Olympics, Asian and Commonwealth Games", informed Prof. Achyuta Samanta, Founder, KIIT & KISS at a press meet in New Delhi on June 28, 2019.

Rugby was introduced to the tribal students of the institute in 2006. Ever since, the institute has been spawning Rugby talents, who have been making a mark at national and international level. "KISS Rugby players – both boys and girls – have brought laurels for India many times. They have been getting place in both Men and Women National Rugby Team for last 5 years and performing very well in national and international championships", said Prof. Samanta.

Recently the Indian women's rugby team scripted history by clinching their first-ever international 15-a victory against top ranked Singapore 21-19 and winning Bronze Medal at the Asia Women's Div-

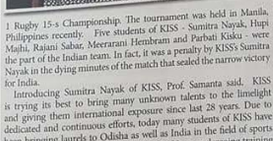

1 Rugby 15-s Championship. The tournament was held in Manila, Philippines recently. Five students of KISS – Sumitra Nayak, Rupi Majhi, Rajani Sabar, Meerarani Hembram and Parbati Kisku – were the part of the Indian team. In fact, it was a penalty by KISSs Sumitra Nayak in the dying minutes of the match that sealed the narrow victory for India.

Introducing Sumitra Nayak of KISS, Prof. Samanta said, KISS is trying its best to bring many unknown talents to the limelight and giving them international exposure since last 28 years. Due to dedicated and continuous efforts, today many students of KISS have been bringing laurels to Odisha as well as India in the field of sports and games. Currently, many students of KISS are undergoing training for upcoming Olympics, Asian and Commonwealth Games, informed Prof. Samanta.

BENGAL CHEMICALS EYES MINI RATNA TAG BY 4 YRS

Bengal Chemicals and Pharmaceuticals, which had been bleeding till three years ago, seeks to get the Mini Ratna status in the next four years. In the run up to achieve this target, BCPL, the country's oldest domestic pharmaceutical company set up in 1901 by legendary scientist Acharya Prafulla Chandra Roy, plans to repay all its financial loans by 2022. BCPL Managing Director P.M Chandraiah said that in the last financial year, the PSU had made a net profit of Rs. 25 Cr, the highest in its 118 years of history. BCPL's current total income

amounts to Rs. 120 Crore. This year, BCPL will enter the list of the first 100 public sector companies in India. Their aim is to bring the total income to Rs. 500 Crore by 2025. Presently BCPL is supplying medicines to Government and Government entities only. As the PSU wants to enter the drug retail market, the company official feels that BCPL will have to appoint medical representatives. However, since the name of BCPL is on the list of strategic disinvestments, no new recruitment is allowed by the Government, informed Chandraiah. In order to increase the revenue, BCPL has planned to sell its products through various e-commerce platforms. Now, it only sells different home products on Big Basket. Their medicines have garnered business worth around Rs. 65 Crore a year and present production capacity can make it possible to do Rs. 1,000Crore business a year.

Company will strive to fulfill its Vision / Mission by:

- Attaining rapid growth with high quality of products and cost competitiveness and leadership in the main product categories;
- Creating a culture of continuous innovation in R&D and Customer Care;
- Emphasizing on Environmental Friendly Activities that bring out Conservation of Resources and Waste Management leading Sustainable Development; and
- Improving Employee satisfaction levels by adopting modern Human Resource Management methods.

ARTICLE

Turnaround Story of BCPL

P. M. Chandraiah
MD&Director (Finance)
BCPL

Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (BCPL) has become a *"Turnaround Profit Making Organisation"* in 2016-17, which is the Biggest Turnaround in the Corporate World and for the consecutive 3rd year, BCPL not only reported a Net Profit but also doubling its Net Profits every year since 2016-17. From the year 2015, after I joined as Director (Finance), BCPL started improving its overall performance and reported a positive Gross Margin (PBDIT) of Rs. 11.24 crores in 2015-16, Net Profit of Rs. 4.51 Crores in 2016-17, Rs. 10.06 Crores in 2017-18 and a Net Profit of Rs. 25.26 Crores in 2018-19, as against reporting of a Gross Loss (PBDIT) of Rs. 22.90 crores in 2012-13 and a Net Loss of Rs. 36.55 Crores in 2013-14, the year before I joined BCPL. With this achievement, BCPL is now running its operations and also achieving the milestones which were laid down in its "Vision and Strategy Document". Further, BCPL is likely to Become The Highest Profit Making Company Out of All Psus Under The Department of Pharmaceuticals and also PSUs under The Health & Family Welfare Dept, Govt. of India". The financial highlights are given hereunder:

By reporting a Net Profit of Rs.25.26 Crore in 2018-19, Bengal

(Rs. in Crores)

S. N.	Particulars	2018 - 19	2017 - 18	2016 - 17	2015 - 16	2014 - 15	2013 - 14
1	Total Income	119.67	94.80	110.24	112.76	65.54	36.63
2	Net Profit/ (Net Loss)	25.26	10.06	4.51	(9.13)	(17.32)	(36.55)
3	Repayment of Bank Loans, Govt. Loans & Other Liabilities	36.00	30.00	24.00	Nil	Nil	Nil
4	Income per Employee	61.37	38.22	34.45	30.48	16.18	7.62
5	Corporate Governance Rating	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Fair	Poor
6	Holding of AGM	1st among all PSUs (Scheduled on 22nd May 2019)	1st among all PSUs 5th July 2018	1st among all PSUs 19th June 2017	Timely Completed	Timely Completed	Defaulting Company & Defaulting Directors

ARTICLE

Chemicals is likely to be listed in the list of *"Top 100 Profit Making CPSEs"* and I am is confident that Bengal Chemicals will be the *Higher Profit Making PSU* in 2018-19 out of 13 PSUs which are in Pharmaceutical business. Further, Bengal Chemicals is aiming for a Positive Net Worth Organisation by 2022 and thereafter it will apply for a Mini-Ratna Status CPSE by 2023.

The above achievements have become possible due to the stringent actions taken by through by Introduction of Centralized Procurement System, Centralized Accounting System, Centralized Collection System, Centralized Payment System, Centralized Bill Processing System, Centralized Payroll System, Centralized Stores System, Centralized Billing System, Centralized Fund Management System, Centralized HRM Record Maintenance System, etc.

With the above actions, Bengal Chemicals has reduced procurement costs to a large extent and stopped financial leakages, which can be seen from the reduction in Direct Costs to Net Sales ratio which has reduced to 55% in 2018-19 compared to 86% in 2013-14 and 64% in 2015-16. Further, BCPL has taken a number of initiatives to improve the overall performance of the company like-

Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (BCPL) has become a "Turnaround Profit Making Organisation" in 2016-17, which is the Biggest Turnaround in the Corporate World and for the consecutive 3rd year, BCPL not only reported a Net Profit but also doubling its Net Profits every year since 2016-17. From the year 2015, after I joined as Director (Finance), BCPL started improving its overall performance and reported a positive Gross Margin (PBDIT) of Rs. 11.24 crores in 2015-16, Net Profit of Rs. 4.51 Crores in 2016-17, Rs. 10.06 Crores in 2017-18 and a Net Profit of Rs. 25.26 Crores in 2018-19, as against reporting of a Gross Loss (PBDIT) of Rs. 22.90 crores in 2012-13 and a Net Loss of Rs. 36.55 Crores in 2013-14, the year before I joined BCPL.

- Stoppage of Cash Transactions by opening more than 200 Salary Accounts,
- Closure of around 50 Bank accounts,
- Introduction of Biometric Attendance System,
- Introduction of Annual Appraisal System of Employees,
- Finalization of Quarterly Financial Results and closely monitoring operations,
- Installation of CCTVs in Corporate Office, Factories and Depots,
- Disposal of more than 30 Horses which were lying unutilized for 10 years,
- Introduced Gate Control system in the Factories & Offices,
- Motivating employees by organizing Birthday & Retirement Day Celebrations, issuing Appreciation Letters for the extraordinary works done by them,
- Tie-up with e-commerce platform Co. and opening of Retail stores of BCPL
- Installation of around 70 Domestic Electric Meters in Quarters at Maniktala and Panihati by disconnecting Industrial Electric Connection,
- Surrendering/Disconnecting around 20 Telephone Connections,
- Reducing Manpower, Security Personnel, Daily Rated Labours, etc
- Implementation of Sales/ Distribution System by issuing Manual, etc.

ARTICLE

Following are the recent achievements of BCPL:

- Company has achieved a Net Profit of Rs .25.26 Crores in 2018-19 which is the highest ever Net Profit reported by the Company in its 120 years history, against a Net Loss of Rs. 36.55 crores in 2013-14,
- Company has repaid the entire Bank Loan of Rs. 28.00 Crores to United Bank of India in 2016-17 & 2017-18 from its cash generation and got released its mortgaged Corporate Office Building at Kolkata, which was mortgaged in 1983.
- Company has repaid/settled the Government Loan and other liabilities of Rs. 62 crores during the last three years
- Company has rated Excellent Corporate Governance rating consecutively for the last four-years against POOR ratings till 2013-14

Bengal Chemicals was established in 1901 by legendry Chemist Acharya Prafullya Chyandra Ray which is the first Pharmaceutical Company established in India. The Government of India has taken over this Private Company in 1977 due to incurring of heavy losses and a number of industrial relation problems. Thereafter, since the company continued to report losses, Bengal Chemicals was referred to BIFR in 1992 and a number of financial packages were given for modernization of its plants but all efforts were became vain and company was continued to suffer losses till 2015. However, after I joined Bengal Chemicals, the things have changed in a positive direction which can be seen from the above financial performance of the Company. My message to the -

Stakeholders: "Keep your company in the hands of Experienced, Dynamic, Honest and Goal Oriented Leader for Progress and Sustainability of your Organisation".

CEOs: "Take all decisions without *Fear or Favour* and think that you are spending from your own Pocket for all expenses of your organization, then no organization will incur losses for a prolonged period".

Employees: "Treat the organization in which you are working as your Own Organisation and follow the concept of काम करो, कमाओ और खाओ". ■

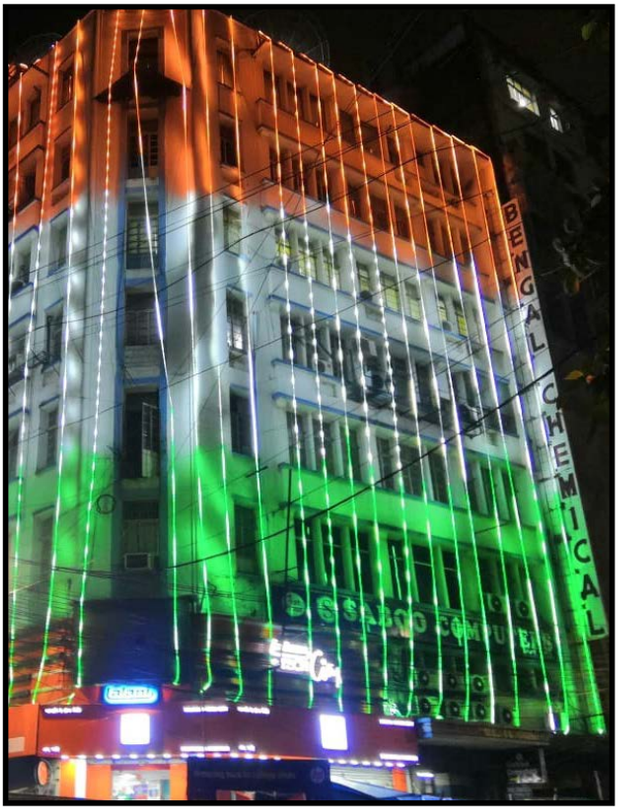

बंगाल केमिकल्स के वित्तीय परिणाम

(रु लाख में)

वार्षिक रिपोर्ट	वित्तीय वर्ष	स्रोत/ निदेशक मंडल की बैठक	परिचालन आय	अन्य आय	कुल आय	असाधारण आय से पहले कर पूर्व लाभ/ (हानि)	असाधारण आय	वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ/ हानि
PRIOR TO NATIONALISATION:								
25वां वर्ष	1925-26	Biography Book	25.00	0.10	25.10	2.81	-	2.81
40वां वर्ष	1940-41	09-07-1941	92.88	0.37	93.24	7.68	-	7.68
44वां वर्ष	1944-45	Biography Book	140.48	0.50	140.98	13.68	-	13.68
60वां वर्ष	1960-61	Biography Book	208.84	3.00	211.84	18.01	-	18.01
61वां वर्ष	1961-62	Biography Book	212.50	3.00	215.50	9.16	-	9.16
62वां वर्ष	1962-63	Biography Book	228.00	3.00	231.00	13.24	-	13.24
63वां वर्ष	1963-64	Biography Book	234.00	3.00	237.00	18.50	-	18.50
66वां वर्ष	1966-67	1967-68(PY Figs)	296.28	4.60	300.88	20.16	-	20.16
67वां वर्ष	1967-68	31-07-1968	299.63	5.46	305.09	(0.41)	0.67	0.26
68वां वर्ष	1968-69	26-07-1969	299.46	7.92	307.38	(0.35)	0.44	0.08
69वां वर्ष	1969-70	14-08-1970	306.62	7.78	314.40	(23.66)	-	(23.66)
70वां वर्ष	1970-71	28-08-1971	277.56	6.07	283.63	(24.90)	-	(24.90)
71वां वर्ष	1971-72	30-10-1972	277.89	7.71	285.60	(50.62)	-	(50.62)
72वां वर्ष	1972-73	31-08-1973	354.15	7.46	361.61	(21.00)	-	(21.00)
73वां वर्ष	1973-74	31-08-1974	414.97	8.79	423.76	(11.24)	1.03	(10.22)
74वां वर्ष	1974-75	04-08-1975	598.30	7.91	606.21	(0.45)	0.52	0.06
75वां वर्ष	1975-76	31-08-1976	575.50	12.19	587.69	(34.79)	-	(34.79)
76वां वर्ष	1976-77	ST-LT Action Plan	503.00	10.00	513.00	(111.00)	-	(111.00)
77वां वर्ष	1977-78	ST-LT Action Plan	388.00	10.00	398.00	(198.00)	-	(198.00)
78वां वर्ष	1978-79	ST-LT Action Plan	690.00	10.00	700.00	(76.00)	-	(76.00)
79वां वर्ष	1979-80	ST-LT Action Plan	802.00	10.00	812.00	(146.00)	-	(146.00)
80वां वर्ष	1980-81	ST-LT Action Plan	890.00	10.00	900.00	(285.00)	-	(285.00)
सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम- राष्ट्रीयकरण के बाद			-	-	-		-	-
1वां	1981-82	26-03-1983	1,107	23	1,129	(213)	-	(213)
2वां	1982-83	21-12-1984	1,118	21	1,139	(283)	-	(283)
3वां	1983-84	24-03-1986	1,055	36	1,091	(485)	-	(485)
4वां	1984-85	14-08-1986	1,068	25	1,092	(484)	-	(484)
5वां	1985-86	08-07-1987	1,159	14	1,173	(573)	-	(573)
6वां	1986-87	11-03-1988	1,076	28	1,103	(665)	-	(665)
7वां	1987-88	04-10-1988	1,245	25	1,270	(771)	-	(771)
8वां	1988-89	20-09-1989	1,592	62	1,654	(705)	-	(705)
9वां	1989-90	15-09-1990	1,859	50	1,909	(841)	-	(841)
10वां	1990-91	30-08-1991	1,778	61	1,839	(946)	-	(946)
			-	-	-	-	-	-
11वां	1991-92	28-08-1992	1,615	77	1,691	(1,513)	-	(1,513)
12वां	1992-93	27-08-1993	1,323	103	1,426	(1,274)	-	(1,274)
13वां	1993-94	26-08-1994	1,584	124	1,708	(1,098)	-	(1,098)
14वां	1994-95	01-11-1995	1,928	128	2,056	(638)	-	(638)
15वां	1995-96	16-09-1996	2,530	195	2,725	(359)	-	(359)
16वां	1996-97	16-09-1997	3,061	150	3,211	(260)	1,835	1,575
17वां	1997-98	29-06-1998	3,550	233	3,784	(337)	-	(337)
18वां	1998-99	02-07-1999	3,640	214	3,854	(368)	303	(65)
19वां	1999-00	30-06-2000	3,633	379	4,013	(387)	-	(387)
20वां	2000-01	23-11-2001	3,374	588	3,962	(702)	-	(702)
			-	-	-	-	-	-
21वां	2001-02	06-06-2002	3,799	640	4,439	(451)	-	(451)
22वां	2002-03	17-06-2003	4,036	695	4,732	(307)	519	212
23वां	2003-04	25-08-2004	3,705	773	4,479	(209)	1,005	795
24वां	2004-05	23-12-2005	3,856	782	4,638	(353)	-	(353)
25वां	2005-06	06-12-2006	4,486	723	5,209	(837)	-	(837)
26वां	2006-07	05-01-2009	3,845	791	4,636	(1,995)	-	(1,995)
27वां	2007-08	01-06-2010	4,208	1,099	5,306	(970)	-	(970)
28वां	2008-09	15-09-2011	6,257	1,344	7,601	(1,246)	-	(1,246)
29वां	2009-10	31-12-2012	5,733	1,167	6,899	(1,939)	-	(1,939)
30वां	2010-11	04-10-2013	5,485	1,160	6,645	(1,389)	318	(1,070)
31वां	2011-12	30-06-2014	4,825	2,419	7,245	(1,823)	-	(1,823)
32वां	2012-13	17-01-2015	2,737	1,749	4,486	(4,069)	-	(4,069)
33वां	2013-14	27-03-2015	1,706	1,629	3,335	(3,655)	-	(3,655)
34वां	2014-15	26-06-2015	4,584	1,530	6,113	(2,808)	1,076	(1,732)
35वां	2015-16	27-05-2016	8,819	2,373	11,192	(913)	-	(913)
36वां	2016-17	17-05-2017	8,536	2,362	10,898	451	-	451
37वां	2017-18	02-06-2018	7,801	1,679	9,480	1,006	-	1,006
38वां	2018-19	29-04-2009	10,050	1,917	11,967	2,526	-	2,526
39वां	2019-20	43,962	7,028	1,536	8,564	1,446	-	1,446

अतिरिक्त जानकारी:

1. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडियाका 28 करोड़ रुपये का बैंक ऋण चुकाया और बंधक (1983 में) कॉर्पोरेट कार्यालय भवन को बंधन मुक्त किया
2. 25 करोड़ रुपये का सरकारी ऋण चुकाया जो 2005-2007 के दौरान लिया गया था
3. 120 साल के कंपनी के इतिहास में पहली बार 123 करोड़ रूपए का उत्पादन, 101 करोड़ रूपए की टर्नओवर, 33 करोड़ रुपए का सकल मार्जिन तथा 25 करोड़ रूपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया
4. 2016-17 में 4.51 करोड़ रुपये (असाधारण आय को छोड़कर) का शुद्ध लाभ और 2018-19 में 6 करोड़ रुपये का संचालन से शुद्ध लाभ (असाधारण आय एवं अन्य आय को छोड़कर) रिपोर्ट किया, जो 50 वर्ष की लंबी अवधि के बाद था
5. 2015-16 से पिछले पांच वर्षों में लगातार सभी सीपीएसई से पहले एजीएम आयोजित की
6. पिछले पांच वर्षों से लगातार उत्कृष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग अवार्ड की गई है

हमारे संस्थापक... हमारे प्रेरणास्त्रोत

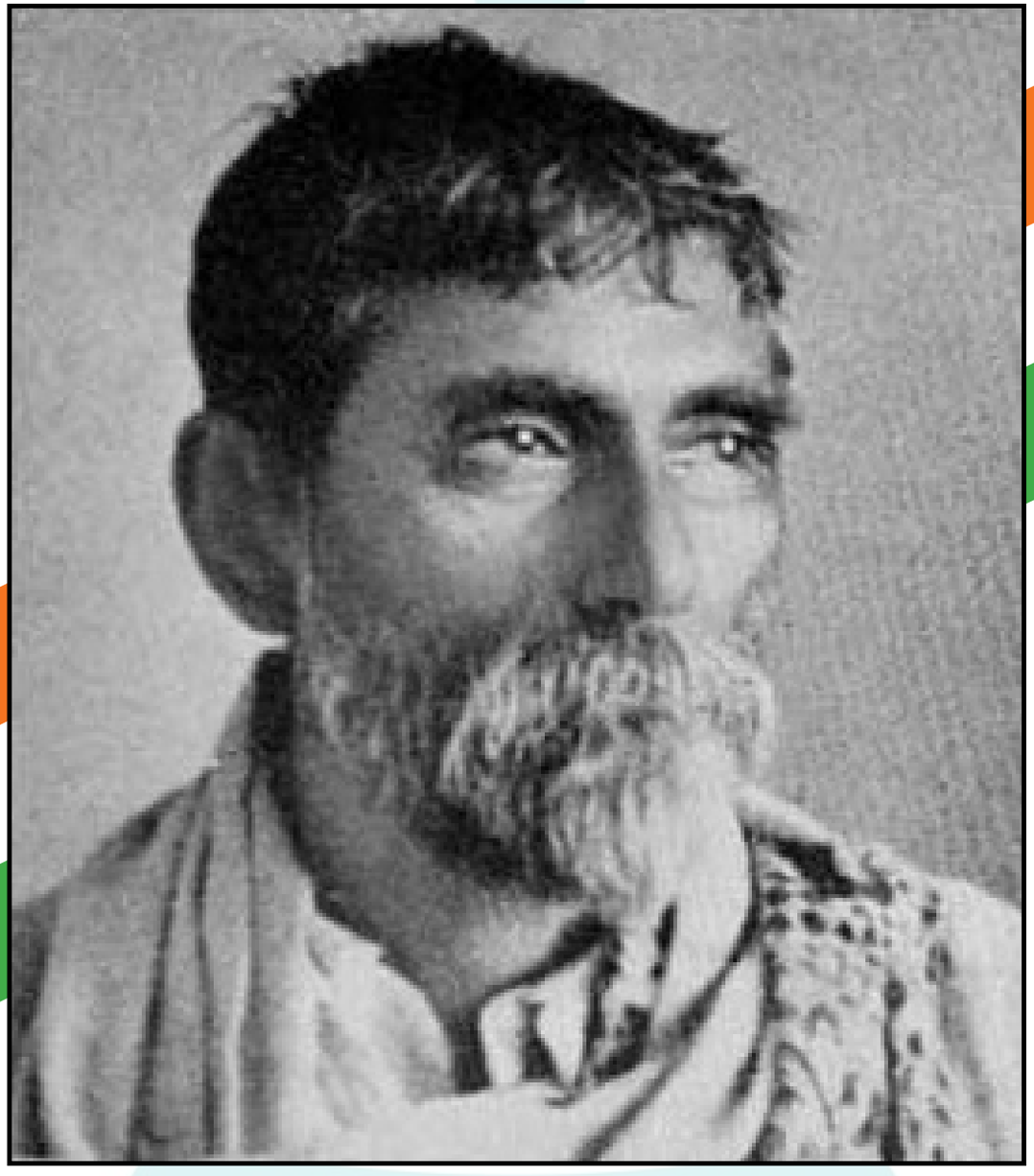

आचार्य जी प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक शिक्षाविद एवम बंगाल के प्रमुख उद्यमी थे। वह बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (1901) के संस्थापक थे, जो भारत की पहली फार्मास्यूटिकल्स कंपनी थी वर्तमान समय में बीसीपीएल, घरेलू उत्पाद, फार्मास्युटिकल्स एवं केमिकल के क्षेत्र में एक विस्व्सत नाम है, जो 120 साल की समृधि की विरासत से परिपूर्ण है।

आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय

(अगस्त 2, 1861-जून 16, 1944)

सभी के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा

बंगाल केमिकल्स के गृह देखभाल एवं स्वच्छता उत्पाद

कैंथाराईडिन हेयर आयल

फेनॉल

वाइट टाइगर

नैप्थालीन बॉल्स

ब्लीचिंग पाउडर

हमारे स्वच्छता उत्पादों की सिफारिश स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी की गई है

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

वेबसाइट : www.bengalchemicals.co.in

सीआईएन: U24299WB1981GOI033489

BC PL

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

उत्पाद यहां उपलब्ध हैं:

रिटेल स्टोर:

6, गणेश चंद्र एवेन्यू, कोलकाता -700013
153, लेनिन सरानी, कोलकाता -700013
39, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता -700016
44, गोपाल लाल ठाकुर रोड, कोलकाता-700036
502, एस.वी. सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई -400025